राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ३७वां दिवस [संख्या २९

शनिवार, दिनांक २८ मार्च, १९६४

[विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ६ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई]

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

विधायी कार्य

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुरः स्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान टीनेन्सी (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

मुख्य मंत्री महोदय द्वारा घग्घर के पानी विषयक वक्तव्य

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, कल गवर्नमेंट की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि हनुमानगढ़ में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में गवर्नमेंट स्टेटमेंट देगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि लिसाड़ा ड्रेन के बारे में इस सदन में जो चर्चा हुई थी और इसके सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गई थी, कल दिल्ली में भारत सरकार के सिंचाई मंत्री, श्री राव, श्री स्वर्णसिंहजी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर, इर्रिगेशन मिनिस्टर और मेरे और राजस्थान के इर्रिगेशन मिनिस्टर के बीच में कल मीटिंग हुई इस सम्बन्ध में और उसमें अब इस बात का फैसला किया गया है कि जो अपर रीचेज का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पानी लिसाड़ा ड्रेन के जरिये घग्घर में देने की योजना बनाई गयी थी उसमें से अपर रीचेज का पानी चन्द्रभान ड्रेन के जरिये सतलज के अन्दर डाइवर्ट कर दिया जायगा

(करतल ध्वनि)

और जो उसके बाद लोवर रीचेज के अन्दर पानी आता है उसके बारे में तारीख २४ और २५ को घग्घर और लिसाड़ा के केचमेंट एरिया को राजस्थान और पंजाब दोनों के चीफ मिनिस्टर्स, इर्रिगेशन मिनिस्टर्स और टैक्निकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज दोनों जगह को जोइन्टली विजिट करेंगे और इस प्रोब्लेम को स्पॉट पर देख कर और साथ ही साथ पंजाब सरकार घग्घर के केचमेंट से जो पानी देती है उसके लिए, इस पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए जो नक्शा उनने हाथ में लिया है जो पूरा होने वाला है या आगे जाकर होगा और जिसकी वजह से घग्घर में अभी जितना पानी आता है उसमें कमी होगी । इन सब जीचों को स्टडी करने के बाद आगे और जो लोवर रीचेज का पानी है, उस बारे में क्या फैसला किया जाय इसके लिए और मीटिंग होगी, यह मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं ।

हनुमानगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठी-चार्ज विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : हनुमानगढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : In a minute, Sir.

दिनांक १६ मार्च सन् १६६४ को सायं लगभग ५ बजे कम्युनिस्ट पार्टी ने हनुमानगढ़ नहरी विश्रान्तिगृह पर मुख्य मंत्री महोदय के वहां पहुंचाने पर उनके सामने काले झन्ड़ों से प्रदर्शन किया । प्रदर्शनकारियों की संख्या लगभग १५ थी और वे विश्रान्तिगृह के सम्मुख एकत्रित होकर कीमतों की वृद्धि को रोकने और नहरी पानी से सिंचाई में सुधार करने की मांगों के नारे लगाने लगे । कुछ समय बाद प्रदर्शनकारी विश्रान्तिगृह के पीछे की ओर गये । उस तरफ मुख्य मंत्रीजी से मिलने के लिए आये हुए कुछ व्यक्ति एवं कांग्रेस के कार्यकर्त्ता इकट्ठे हुए थे । प्रर्शनकारियों के उस ओर पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों और उन व्यक्तियों के बीच मुठभेड़ हो गई । पुलिस तत्काल ही उधर गई और उनके वहां पहुँचते ही झगड़ा बन्द हो गया और भीड़ तितर-बितर हो गई । इस घटना के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से भारतीय दण्ड संग्रह की धारा १४७, ३२३ के अन्तर्गत और श्री आत्माराम निवासी लीलावाली की ओर से भारतीय दण्ड सग्रह की धारा ३६५, १४८, ३२४, ३२५ के अन्तर्गत पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन पर मुकदमें दर्ज हुए हैं ।

दोनों ही दलों के जिन व्यक्तियों के चोटें आई उन्हें डाक्टरी जांच के लिए तत्काल ही भेजा गया । पुलिस द्वारा किसी भी आक्रमणकारी को संरक्षण नहीं दिया गया । किन्तु पुलिस तो दोनों ही पक्षों के विरुद्ध उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर मुकदमें दायर कर निश्पक्ष तफतीश कर रही है ।

Page No. 3

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो यहां वक्तव्य दिया गया है यह वास्तविक घटनाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जिस तरीके का अभी स्टेटमेंट दिया गया है अध्यक्ष महोदय, उससे भी इसके लेकुनाज़ स्पष्ट हैं।

एक तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही नहीं है कि मुख्य मंत्री महोदय के पहुँचने से पहले प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन रेस्ट हाउस पर कर रहे थे और दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ता भी जो वहां एक इलेक्शन के सम्बन्ध में टिकट किस को दिया जाय, किस को नहीं दिया जाय इस सम्बन्ध में इकट्ठे हुए थे। संख्या के बारे में जो भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, बहुत थोड़ी संख्या में बताते हैं, उनकी दलील मान भी ली जाय संख्या जो उन्होंने बताई हैं वह मान मान ली जाय, यह बात तो स्पष्ट है कि मुख्य मंत्रीजी के दौरे के समय पुलिस का माकूल इन्तजाम रेस्ट हाउस पर होगा और माकूल तरीके से पुलिस, किसी किस्म का झगड़ा न हो इस तरीके से तैनात की होगी और वह तैनात थी भी। मुख्य मंत्रीजी के पहुंचने से पहले प्रदर्शनकारी झण्डा लेकर खड़े थे और नारे लगा रहे थे। उस समय तक झगड़ा नहीं हुआ। मुख्य मंत्रीजी जब वहां पर पहुंच गये तब प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाये तब मुख्य मंत्रीयी अन्दर चले गये, प्रदर्शनकारी नारे लगाते रहे। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया, मुख्य मंत्रीजी रेस्ट हाउस के पीछे की तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से व मिलने वालों से बात कर रहे थे उसके बाद प्रदर्शनकारी पीछे की ओर प्रदर्शन करने के लिए गये जो कि उनका अधिकार था। वे वहां प्रदर्शन करते रहे। उससे प्रवोक होकर और लोग अन्दर से जाते हैं वे लोग भी मिलने वाले थे। स्टेटमेंट में कहा गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता वहां गये हैं, आत्माराम की लीडरशिप में १०.१२ लोग लकड़ियां लेकर अन्दर से आते हैं प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, जिनमें से ६ आदमियों को चोट सख्त आई है जिनमें से माननीय श्री श्योपतसिंह, एम. एल. ए. सदन के सदस्य भी हैं उनके भी चोट आई है। इस तरस से अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत गम्भीर स्थिति है यदि अलग जगह किसी गाव में जहां पर पुलिस का इन्तजाम नहीं है, वहां आपसी मीटिंग हो और दो-चार के बीच में झगड़ा हो जाय तो समझ में आ सकता है लेकिन हनुमानगढ़ जैसी जगह में जहां पर प्रदर्शन करें, पुलिस मौजूद हो, जहां चीफ मिनिस्टर साहब की विजिट के कारण पुलिस का माकूल इन्तजाम था, वहां चीफ मिनिस्टर साहब के पहुंचने से पहले कोई झगड़ा न हो और उनके पहुँचने के बाद कुछ प्रदर्शन वहां पर करें, वहां पर पूरी तादाद में पुलिस मौजूद हो फिर झगड़ा होता है, रेस्ट हाउस के अन्दर से लकड़ियां लेकर लोग आते हैं, उन पर हमला करते हैं, लोगों को जख्मी करते हैं, अन्दर चले जाते हैं, पुलिस उनको ले जाती है। मुख्य मंत्रीजी को जो लोग जख्मी हुए थे उन्हें बतलाया गया और उनकी देख रेख में झगड़ा होता है, लोगों पर हमला होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर स्थिति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। हमने प्रदर्शन किया है, सरकार की नीतियों के खिलाफ किया है, काले झण्डे दिखाकर प्रदर्शन किया है, हम यह मानते हैं कि यह हमारा अधिकार है, मुख्य मंत्रीजी को वह पसन्द आवे न आवे लेकिन यह हमारा अधिकार है, चाहे हमारी संख्या अधिक न हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I was expecking a question, Sir, not speech.

श्री रामान्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप समझने की कोशिश करें कि कितना गम्भीर प्रश्न इस तरीके से उत्पन्न हो जाता है। जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विरोधी दल हैं वे सरकार की नीतियों से असंतुष्ट जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जो मीटिंग करने का, जलसे करने का जलूस और प्रदर्शन करने के हमारे संविधान के अन्दर अधिकार प्रदत्त हैं, उन अधिकारों का उपयोग करते हैं। पर हमारे मुख्य मंत्री खुद वहां जायं, उनके पास पुलिस का विभाग है, फिर भी उनकी मौजूदगी में, उनके जाने के बाद झगड़ा हो। इसका सीधा अर्थ, अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा नतीजा यह निकलता है कि उन लोगों ने मुख्य मंत्री से बातचीत की, उनसे सलाह की और मुख्य मंत्री से सलाह करने के बाद उन लोगों ने हमला किया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : निराधार है।

श्री रामान्द अग्रवाल : इसका कोई एक्स्प्लेनेशन इस स्टेटमेंट के अन्दर नहीं दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : This conclusion is absolutely wrong.

श्रीरामान्द अग्रवाल : तो फिर क्या हम यह मानें कि पुलिस, गवर्नमेंट की पुलिस इतनी नाकामयाब और इतनी अयोग्य थी जब वहां केवल थोड़े से प्रदर्शनकारी थे, जैसा आप कहते हैं कि प्रदर्शनकारी पन्द्रह थे, अगर प्रनर्शनकारी पन्द्रह थे और जैसा कि आपके जवाब में है तो क्या मान यह लिया जाय कि आपकी पुलिस इतनी तादाद में तैनात होते हुए भी उनके ऊपर हमला होने से बचा नहीं सकी और मुख्य मंत्री के होते हुए, एस. पी. के होते हुए और पुलिस का अमला होते हुए भी जो इस तरह से प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी हों उनको संरक्षण नहीं मिल सके, उन पर हमला हो जाय, उन पर अटेक हो जाय और पुलिस अपनी ओर से पहले से कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं ले सके। यह अफसोस की बात है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, पुलिस वहां धारा १४४....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इतना लम्बा भाषण दे रहे हैं, हम लोगों को भी एड्जोर्नमेंट मोशन पर इतना समय दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी पार्टी का इसमें सवाल नहीं है........

श्री मानसिंह महार : हमारा कोई लेना देना नहीं है, अध्यक्ष महोदय। अगर इस प्रकार अव्यवस्था की जायगी तो उसको

Page No. 5

(श्री मानसिंह महार)

सरकार को कन्ट्रोल करना चाहिए। मैं ऐसे मामले और भी रखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ऐसे मामले और भी रखूंगा कि इस प्रकार से पुलिस....

श्रीमानसिंह महार : इसमें व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पुलिस की तरफ से न तो सेक्शन १४४ लगाई गई, न प्रदर्शनकारियों के संरक्षण के लिए कोई एक्शन लिया गया-यह बात साबित करती है कि प्रदर्शनकारियों का कोई काम गैर-कानूनी नहीं था, उन्होंने कोई भी अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन वहां पर जो लोग मुख्य मंत्री से मिलने आये थे, जैसा स्टेटमेंट में कहा गया है कि वे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, तो निश्चित तौर से वे सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और मुख्य मंत्री से मिलने वाले थे-इसका सीधा नतीजा यह निकलता है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह गम्भीर स्थिति है, इसमें चीफ मिनिस्टर इन्वाल्व्ड हैं, इसलिए इस चीज की इन्क्वायरी होनी चाहिए, इसकी जुडिसियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और हाई कोर्ट के लेवल पर इन्क्वायरी होनी चाहिए जब कि चीफ मिनिस्टर इसके अन्दर इन्वाल्व्ड हैं। इस तरह के गैंग्स्टर्स को, गुंडागर्दी को ऑर्गेनाइज़ करने की जिम्मेदारी उनकी है। ऐसा कानूनी अधिकार....

श्री मथुरादास माथुर : It is wrong.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं चाहूंगा, गवर्नमेंट वास्तव में चाहती है कि लोगों में विश्वास हो तो चूंकि इसमें चीफ मिनिस्टर इन्वोल्व्ड हैं....

एक माननीय सदस्य : Point of order......

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए इसकी इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार होना चाहिए हाई कोर्ट के जज से, जो प्रान्त के बाहर का हो, इसमें जुडिशियल इन्क्वायरी करानी चाहिए और उन लोगों को दंड दिया जाना चाहिए जिन लोगों ने इस प्रकार झगड़ा किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं, जिससे कुछ भ्रांतियां दूर हो जायं और बहस में गर्मा गर्मी आने की आवश्यकता न रहे। जहां तक केस और मारपीट का सवाल है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता इस स्टेज पर पर्टीक्यूलरली, क्योंकि मामला पुलिस के पास पेंडिंग है इन्क्वायरी के लिए और मेरे कहने से उस पर कुछ असर पड़ सकता है-इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो कुछ घटना सामने है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग हनुमानगढ़ गये हुए हैं, वे इस बात को जानते होंगे कि जो इरीगेशन का डाक बंगला है, रेस्ट हाउस है उसके सामने प्रदर्शनकारी मौजूद थे और कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे और दूसरे लोग भी, जो वहां अपनी अपनी समस्यायें लेकर आये हुए थे, मौजूद थे। तो सब लोग सामने मौजूद थे, उसके अन्दर कांग्रेस वाले काफी बड़ी तादाद के अन्दर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इकट्ठे हुए थे । वहां पर वे चाहते थे बात करना । मैंने उनसे कहा कि बात करनी है तो प्रदर्शनकारियों के बीच में बात करना मुश्किल है इसलिए अच्छा हो, आप लोग पीछे की तरफ अलग चले जायं, जहां आकर मैं अलग से बात कर सकूं बजाय इसके कि शोर-गुल में बात की जाय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब लोग सामने मौजूद थे, वहां मेरे ख्याल से, जैसा आपने भी कहा-मेरी जानकारी है-कोई कन्फिलक्ट नहीं हुआ। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे की तरफ रवाना होकर, उनके साथ दूसरे भी हो सकते हैं, पीछे की तरफ गये तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदर्शन करने वाले आये हुए थे वे भी पीछे पीछे भाग कर गये और वहां जाकर कनफि-लक्ट हुआ। मैं नहीं समझ पाता कि जो प्रदर्शन करने के लिए आये थे, वे सर्किट हाउस के सामने पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे और बाद में भी कर सकते थे और जब दोनों पार्टीज़ के लोगों को सेपरेट करने के लिए, उनसे अलग बात करने के लिए सर्किट हाउस के पीछे भेजा तो प्रदर्शनकारियों को उनके पीछे पीछे जाने की क्या जरूरत थी ? वे दौड़ कर गये और उसके बाद मारपीट हुई। तो जो कुछ अभी कहा गया कि मुझसे सलाह करके गये और दूसरी बातें हुईं, मैं आपको निवेदन करूं कि मैं जैसे ही पहुंचा, वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद जो ड्राइंग रूम है सर्किट हाउस के लेफ्ट साइड में है;- उसमें एन्टर किया जहां कम से कम सत्तर, सौ आदमी होंगे, उनमें ऑफिसर्स भी थे- वहां बैठने के अलावा जब तक ये सारी घटनायें हुईं-मैं वहां से उठ कर एक सैकिंड को भी इधर उधर नहीं गया, वहां का वहीं रहा हूं जहां सत्तर या सौ आदमी थे। यह कहा जाय कि कॉन्स्पिरेसी से हुआ है या सलाह से हुआ है-यह पोलिटिकली एक दूसरी पार्टी पर आघात पहुंचाने वाली बात है। मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। जो फैक्ट्स हैं उन पर चलना चाहिए। मैंने इस बात को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया है कि किसी तरह का वायोलेन्स हो। जहां तक पुलिस फोर्स का सवाल है, डिस्पर्स करने का और दूसरी बातों का वह वहां मौजूद रही और प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे। मैं कार से उतर कर आया तो उनको प्रदर्शन करने के लिए किसी ने ना नहीं कहा। वैसे प्रदर्शन कम्पाउन्ड के बाहर किया जाता है लेकिन वे गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे जहां से उतर कर मैं मकान के अन्दर गया। वे कह रहे थे कि पुलिस ने इन्टरफिअर क्यों नहीं किया, मेरे कहने से नहीं किया-उन्हें इस बात का अहसास करना चाहिए कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वहां सारे मामले में, किसी प्रकार प्रदर्शन को रोकने, झगड़े को प्रोत्साहन देने या समर्थन करने का किसी प्रकार का स्टेप नहीं लिया गया और थ्रू आउट जहां मैंने बताया वहां बैठा रहा। यह आपस का झगड़ा था, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, law will take its own course, तो इसके बारे में मैं यहां कुछ कहूं, मैं समझता हूं कि वह उपयुक्त नहीं होगा। दोनों तरफ के लोगों को चोटें पहुंची हैं और जांच के द्वारा जो कुछ साबित होगा उसके अनुसार फैसला होगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : विधायक श्री श्योपतसिंह ने आपको सूचना दी कि वे आपसे मिलना चाहते थे। क्या

(श्री विजयसिंह झाला)

आपको मालूम था कि यह प्रदर्शन एक विधायक के नेतृत्व में हो रहा है ? क्या आपने उनको मिलने के लिए........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिलने के लिए सूचना नहीं दी गई। आम तौर पर स्ट्रेटेजी यह है कि कोई विधायक मुझसे मिलें या दूसरे डेपुटेशन मिलें-इस तरीके में विश्वास नहीं किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने यह बताया कि जो झगड़ा हुआ वह आपके आने के बाद हुआ। और पीछे की तरफ गये प्रदर्शकारी तो वह गैर कानूनी या तो पुलिस ने........

श्री अध्यक्ष : सारे मामले में जांच हो रही है। मैं समझता हूँ, इसमें ज्यादा बहस करने की बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक बात साफ है, मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट है उससे यह बात क्लीअर है कि जो भी झगड़ा हुआ वह उनके जाने के बाद हुआ और वह जहां पर पहुंचे तो प्रदर्शनकारी........

श्री अध्यक्ष : इस बहस से मतलब क्या ? आप जो अन्दाज लगायें वह निकाल लीजिये। तथ्य सारे आ गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात साफ है कि ये प्रदर्शनकारी थोड़ी तादाद में थे.... ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपकी जानकारी के लिए और स्पष्ट कर दूं, जैसा कि कहा गया कि मैं पीछे मिल रहा था दूसरे लोगों से-यह गलत है। मैं ड्राइंग रूम के बाहर नहीं गया, न पीछे की तरफ गया और न आगे की तरफ गया। वहां से एक मिनट को भी नहीं गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आपके वहां जाने से पहले वे मौजूद थे और कांग्रेस कार्यकर्त्ता और दूसरे लोग मौजूद थे, उस वक्त उनमें झगड़ा नहीं हुआ—यह बात स्पष्ट है। अगर नहीं हुआ तो अभी बता दें—यह झगड़ा पहले हुआ या बाद में हुआ। जब वहां और लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे तो प्रदर्शकारी मौजूद थे और नारा लगा रहे थे तो उनमें किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हुआ। उस समय स्वयं पुलिस मौजूद थी और उनमें किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ। बाद में जब आप आये और कांग्रेस कार्यकर्त्ता पीछे गये, उनके पीछे प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ गये....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आप मौके पर मौजूद नहीं थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मौके पर मौजूद था या नहीं, लेकिन स्टेटमेंट से यह बात क्लिअर है।

श्री अध्यक्ष : बात क्लीअर यह है कि जो घटना हुई उसके तथ्य सदन के सामने आ गये, उनकी जांच हो रही है। इसमें बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री के इन्साइटमेंट से झगड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : Order please ! This is very wrong. I would not tolerate such irresponsible statement.

जब चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं कि ड्राइंग रूम के बाहर नहीं गये। माननीय सदस्य ने कहा कि पीछे गये कांग्रेस वालों से मिलने–वह इस बात को स्वीकार नहीं करते। फिर आप दोहराये जा रहे हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कांग्रेस वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने स्टेटमेंट दिया कि मैं पीछे मिल रहा था। यह सही साबित हो जाय तो मैं चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : What is his explanation for this, आप इसकी हाई कोर्ट से जांच करायें, आप इसके लिए तैयार हों ? आप पुलिस के मिनिस्टर हैं, पुलिस आपके पीछे है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनन्द अग्रवाल : उनकी सुरक्षा आप नहीं करा सके जो पन्द्रह लोग प्रदर्शन कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष........

श्री अध्यक्ष : नहीं जी, कोई बहस नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप इसके लिये हाईकोर्ट द्वारा जुडिशियल इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं ? आप पुलिस के मिनिस्टर हैं, आपके पीछे पुलिस है। मैं यह कहूंगा कि पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार की घटना हुई है।

श्री अध्यक्ष : Order please! अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। यह बहुत गलत चीज है कि इस तरह से बहस होती रहे। कुछ तथ्य सदन के सामने आये और उसके बारे में कार्यवाही होनी चाहिये। मगर इस मौके पर तो आपको नहीं बोलना चाहिये।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय पुलिस की मौजूदगी में इस प्रकार से....

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य बैठ जावें !

श्री हरिराम चौहान : झगड़ा हो और....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाएं। Order please ! आप काफी बोल चुके हैं। यह गलत तरीका है कि आप जब चाहें बोलने लग जाएं।

श्री हरीराम चौहान : जुडिशियल इन्क्वायरी से क्यों डरते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाएं।

(फिर भी बोलने का प्रयत्न किया)

(श्री अध्यक्ष)

मैं कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर बहस का कोई तरीका होना चाहिये। आपके नेता बोल चुके हैं। आपको इस समय बोलने की अब क्या आवश्यकता है ?

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : Order please ! मैंने माननीय सदस्य से कह दिया है कि आप बैठ जाएं आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके नेता बोल चुके हैं।

(श्री हरिराम चौहान द्वारा बोलने का पुनः प्रयत्न करने पर)

मैंने आपको निवेदन किया कि आप बैठ जाएं। आपको जब तक बोलने की आज्ञा नहीं मिले आप न बोलें। नहीं तो इस तरह से सदन की व्यवस्था चल नहीं सकती। आपके नेता ने सारी बातें कह दीं और चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, फिर भी आप आगे बढ़ने और बोलने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान : इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Order please ! यह नारेबाजी सदन में न करें। यहां पर शांति पूर्वक तरीकों से कार्य करें। यहां उत्तेजना पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर इन्क्वायरी किस बात की होगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जुडिशियल इन्क्वायरी की बात करते हैं उसे मुख्य मंत्री नहीं मानते। इसमें बहस की क्या जरूरत है ? आगे कार्यवाही चलेगी। बहस करने से कोई उनका इसके लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। मांग आपने एक दफा रख दी, उसके बाद आपने आर्ग्यूमेंट्स रख दिये। एक दफा रख दो, दो दफा रख दी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम से कम गवर्नमेंट इस बात के लिए एक्सप्लेनेशन दे दे कि पुलिस मौजूद नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य चाहें तो सब्स्टेन्टिव मोशन लाकर इस पर बहस कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसके लिए मौका मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आप कानून के मुताबिक कुछ भी ला सकते हैं।

कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया।

स्थगन–प्रस्ताव

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। उसमें स्टेटमेंट के लिये था।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : मांग पर बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने काफी इस पर प्रकाश डाला। मगर उस समय अव्यवस्था थी इस कारण बहस का जवाब नहीं दिया जा सका। यह एड्जोर्नमेंट मोशन है लेकिन इसका रिप्लाई देने का मुझे कोई आदेश नहीं था।

श्री अध्यक्ष : आप परसों दे दें।

एक माननीय सदस्य : मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी से इस पर विचार करके निर्णय दिया जावेगा।

श्री दयाचन्द सोन (बारां–सु०) : मेरा भी, बारां में एक नाकेदार का कत्ल हुआ है उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष : डिप्टी होम मिनिस्टर इसके बारे में भी ध्यान दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जैसी भी जानकारी हो।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय मंत्रीजी घबराते क्यों हैं ? जवाब देने में कंजूसी क्यों करते हैं ? कंजूस की आपको टाइटल दी हुई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको तैमूर की दी हुई है।

श्री विजयसिंह झाला : आप कंजूसी ज्यादा मत दिखाइये।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६४ (अग्रेत्तर विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक सम्पर्क विभाग में एक कर्मचारी जो करीब ३ वर्षों से सस्पेन्डेड है उस पर चर्चा कर रहा था कि किस प्रकार से धन का अपव्यय और दुरूपयोग हो रहा है। आप एक व्यक्ति को तीन साल तक सस्पेन्ड रखते हैं जबकि सरकार का इस प्रकार का फैसला है कि दो साल से ज्यादा किसी को सस्पेन्डेड नहीं रखा जा सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूँगा कि क्या आपने इस बारे में सूचना दी है कि आप इस प्रकार का प्रश्न उठावेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर आपको इसका उत्तर कैसे आवेगा ? बगैर जानकारी प्राप्त किये माननीय सदस्य को कैसे सरकार की तरफ से इसका उत्तर प्राप्त हो सकेगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा दृष्टिकोण केवल इतना ही है कि अपने धन का अप व्यय हो रहा है उसको रोका जावे। इस प्रकार से अनेकों कर्मचारी सस्पेन्ड पड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सामान्य तौर से कह कसते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : एग्जेम्पल मांगी; इसलिए दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप बहस जारी रखें।

श्री मुरलीधर व्यास : इस विभाग के अन्तर्गत जितने ज्यादा अपव्यय की चर्चा हुई उतनी किसी के लिये नहीं हुई। कई दफा चर्चाएं हुई और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में इसके लिए यहां तक लिख दिया कि इसके संचालक किसी भी मीटिंग में हाजिर नहीं हुए हैं और जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने आगे कहा है। अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उपरोक्त तथ्यों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि जन-संपर्क कार्यालय की जो नीति रही है वह उपेक्षा पूर्ण रही है, यदि राज्य सरकार जागरूक रहती तो आज की सी हालत देखने को नहीं मिलती और परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए ....

श्री मथुरादास माथुर (उप-मंत्री, विधि) : In all these matters, enquiry is going on.

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस संबंध में मैं यह भी कह सकता हूं कि किसी प्रकार से आप डिपार्टमेंटल जांच नहीं करा सके और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए और वह बैठा रहे। अभी माननीय मंत्री ने कहा, उसको मैं मान्य करता हूं लेकिन मैं कुछ बात और कहना चाहता हूं कि यह विभाग इस मामले में कितना धन का दुरुपयोग करता रहा है। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में विज्ञापन दिये जाते हैं और विज्ञापन देने का किस प्रकार का रवैया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

विज्ञापनों के अन्दर देखें, किस प्रकार का रवैया है, किन किन पत्रों को देते हैं। यह नवजीवन अखबार है, साप्ताहिक सबसे ज्यादा विज्ञापन इसको दिये जाते हैं...

श्री मथुरादास माथुर : यह गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : फोटोज़ को देखते हैं तो पुराने लोकसेवी और निर्माताओं के फोटोज़ दिये हैं, माणिक्यलालजी वर्मा, मोहनलालजी सुखाड़िया, हरिदेवजी जोशी, बिनोबाजी हैं, माथुर साहब, कुम्भारामजी के फोटो भी हैं, श्रीमती इन्दुबाला का भी है, देखिये एक अखबार में इतने फोटोज़ सिर्फ इसलिये कि किस किसने कितना काम किया है.....।

श्री मथुरादास माथुर : कौनसी तारीख का है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ४-११-६३

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्यों क्या कोई नई पोलिसी अख्त्यार की है ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं वैसे ही पूछना चाहता हूं।

आपको फोटोज़ छपने से एतराज है या विज्ञापन छपने से ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे एतराज यह है कि :

"शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा ॥"

इसके नीचे शहीदों के फोटोज़ दिये हैं। महात्मा गांधी का फोटो है, सरदार बल्लभभाई पटेल का फोटो है, गोविन्दबल्लभ पन्त, मालवीयाजी, टंडनजी, सरोजनी नायडू, भगतसिंह, जमनालाल बजाज के फोटोज़ हैं, जिन्होंने कुर्बानी की, मर–मिटे उनकी तस्वीरें इस शेर के नीचे दी हैं पर कांग्रेस के भूतपूर्व महा मंत्री का भी फोटो दे दिया है कि ये भी मर चुके हैं, शहीदों के अन्दर इनका भी फोटो दे दिया है। कांग्रेस के भूतपूर्व महा मंत्री प्रसिद्ध गांधीवादी श्री शंकरराव देव का भी फोटो शहीदों में दे दिया है, सारे शहीदों के १६ फोटोज़ हैं; उनमें इनका भी फोटो दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कांग्रेस से निकल गये इसलिये शहीद हो गये क्या ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : 'भूतपूर्व' लिया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : भूतपूर्व का मतलब यह थोड़े ही है कि मर गये।

श्री मुरलीधर व्यास : एक अखबार जिसमें सबसे ज्यादा विज्ञापन निकले हैं। साप्ताहिक में.......

श्री मथुरादास माथुर: यह गलत है, ६२–६३ और ६३–६४ के आंकड़े मुलाहिजा कर लें फिर बात करें।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आपका विभाग, कांग्रेस के उन भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी, जिसके बारे में अखबार में छप जाय कि मर चुके, आपने, आपके विभाग ने इस पत्र को पत्र तक नहीं लिखा।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, ३५० वीकली राजस्थान में निकलते हैं, कई दफा तो फोटो आते हैं तो पता नहीं चलता कि यह फोटो किसका है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : फोटो वाला कालम आप जरूर देखते होंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी बात सुनिये। अलवर के एक अखबार में आपका फोटो देखा तो, वहां फोटो के बजाय केवल काला दाग ही है, नीचे नाम लिखा हुआ था आपका। इसमें अब हम क्या करें ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : काला मुंह हो रहा था क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जितने अखबार मान्य हैं उनके कटिंग्ज़ आपके विभाग में आते हैं, फोटोज़ आपके विभाग में आते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : हर एक का कटिंग नहीं आता, फोटोज़ के कटिंग नहीं आते।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि हम। इस मामले में इतने ज्यादा लापरवाह रहते हैं कि इतने गलत तरीके की चीजें छप जाती हैं। आप यह कह दीजिए कि यह अखबार आपका मान्य नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मान्य और अमान्य करने का अधिकार भी एक कमेटी को दे रखा है जिसमें एम. एल. ए. हैं, जरनलिस्ट्स हैं। १६ फोटोज में से एक गलत ढंग से छप गया तो क्या किया जाय ?

एक माननीय सदस्य : माथुर साहब का फोटो है ?

श्री विजयसिंह झाला : माथुर साहब का फोटो शहीदों में नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे अफसोस है कि हमारा फोटो हमें बिना पूछे ही छाप दिया। यह भी अफसोस है कि नेता महोदय का फोटो नहीं दिया, इनका फोटो आना चाहिये। ये भी राजस्थान के निर्माताओं में से हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माथुर साहब के फोटो में यह फर्क पड़ गया है कि पहले, मुख्य पृष्ठ पर बड़ा फोटो आता था, अब बीच में या पीछे छोटा फोटो आता है।

श्री मुरलीधर व्यास : ठीक है, आप निर्माता हैं, मैं मानता हूँ, आज का युग इस प्रकार का विज्ञापन का युग है कि किसी ने पान खा कर मुंह से पीक थूक दिया है तो उसको भी खून कहने वाले आज मौजूद हैं, जिसको चाहा उठा दिया और जिसको चाहा उड़ा दिया। मैं तो इस बात पर कहना चाहता हूं कि अखबारों में इस प्रकार की गलत चीजें छपती हैं और आपका विभाग कुछ भी ध्यान नहीं देता।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपके विभाग में यह बात रखनी चाहिये कि जो कोई अच्छा काम करता है, उस विभाग में ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये, उसके अच्छे कार्य को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था होनी चाहिये। पर आज जो अच्छा काम करने वाला है उसकी भी वही स्थिति है और जो भ्रष्टाचारी नं० वन है उसकी भी वही स्थिति है। जिसका काम अच्छा है, हर कागज को अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ कर देता है, कभी किसी प्रकार से किसी काम को नहीं रोकता, अच्छा काम करता है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। गवर्नर साहब ने अपने भाषण में कहा कि डाकुओं का सफाया हुआ, जोइन्ट आपरेशन डाकुओं का किया, दो महीने में हमारे एरिया में जो लोग हमला करते थे, वहां जोइन्ट ऑपरेशन किया, वहां जिन लोगों ने पाकिस्तान में डाकुओं का सफाया किया उनको बिल्ले भी दिये, धन भी दिया, प्रोत्साहन दिया पर हमारे यहां यह है कि जिनके चोटें आईं उनको इनाम नहीं दिया, जिन लोगों ने डाकुओं को आत्म समर्पण करवाया, इसमें जिन सब-इन्स्पेक्टरों ने काम किया किसी को हैड कॉन्स्टेबल बना दिया, डिग्रेड कर दिया, तो आप प्रोमोशन देने की बजाय डिग्रेड करते हैं। काश्मीर में हमारे यहां के सिपाही गये वहां मोहम्मद साहब के बालको लेकर उपद्रव हुए वहां हमारी आर. ए. सी. ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा कन्ट्रोल किया और वहां

Page No. 14

गड़बड़ी को बहुत जल्दी समाप्त किया। बंगाल में आर. ए. सी. ने बहुत अच्छा काम किया बालिया गट्टा में जहां कर्फ़्यू लगा हुआ था वहां बहुत अच्छा काम किया और कर्फ्यू को हटा दिया और अच्छा कन्ट्रोल किया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आम तौर से पुलिस अच्छा काम करती है, आप यहां बोलते हैं तो उल्टी बात कर देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अच्छा काम करते हैं उसकी हम तारीफ करते हैं, पर आप उनको प्रोत्साहन नहीं देते, आपको उनकी तारीफ करनी चाहिये, इनाम देना चाहिये, पर आप वह नहीं करते। भूतपूर्व एम. एल. ए. गुरूदयालसिंह डेढ़ महीने से गिरफ्तार किये हुए हैं, ३०२ का मामला दर्ज है, मैं मुख्य मंत्री से कहता हूँ कि किसी विश्वस्त आदमी को भेज कर जांच करा लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूंगा कि मर्डर का केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, उसके बारे में डेफिनिट रिफ्लेक्शन दे कर सारे केस को प्रज्युडिस्ड न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह कहता हूं कि इसमें राजनैतिक षड्यन्त्र है....

श्री मोहनलाल सुखाडिया : राजनैतिक षड्यन्त्र कह कर तो सारा मामला ही खत्म कर दिया और क्या कहते।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी मान्यता है कि एक भूतपूर्व एम. एल. ए. जिसने राजनैतिक कार्य किया है और उस केस में यहां तक बयान हो चुके हैं कि ११ से २ बजे तक वे मजिस्ट्रेट के पास थे और डेढ बजे घटना होती है, मजिस्ट्रेट बयान देता है कि मेरे पास मौजूद था। पर वहां दो ग्रुप हैं; एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खत्म करना चाहता है। इस तरह इसके पीछे राजनैतिक चाल है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं बहुत स्पष्ट निवेदन कर दूं कि न इसके पीछे कोई राजनैतिक चाल है और न कुछ और है। एक मिस्टर सन्धु जो इनके भतीजे लगते हैं, मिलिटरी में मेजर या ऐसी ही पोज़िशन में हैं वे रोते हुए मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि उनके वहां दो तीन कत्ल हो चुके हैं, यह एक और कत्ल हो गया है, फौज में काम करने वाले हैं। तो हम यह चाहते हैं कि इम्पार्शियल एन्क्वायरी हो जाय। न हम प्रेज्युडिस्ड हैं गुरूदयालसिंह से और न ही किसी के खिलाफ हैं facts must come to light क्योंकि दो-तीन मर्डर्स हो गये हैं इसलिए मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जवाब दिया ठीक है। मेरी आत्मा में यह बात बैठी तब मैंने कह दी। मेरा पहले एड्जर्नमेंट मोशन पेश करने का विचार था लेकिन फिर सारी जानकारी करने के बाद इस बात को आपके सामने रखा। आप सारी स्थिति की जांच करलें। अभी मैं राजनैतिक चर्चा कर रहा हूं कि इस प्रकार से घटनाएं होती हैं। इस पर गहराई से आपको देखना चाहिए। अभी की घटना पर जैसे आपने जवाब दिया तो मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। अब मैं सर्किट हाउस की बात पर आता हूं कि बाहर प्रदर्शन करना

Page No. 15

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहिए, भीतर नहीं जाना चाहिए। पर मैं इसको मानने को तैयार नहीं, जैसे मुख्य मंत्रीजी ने कहा....

श्री अध्यक्ष : यह सामान्य बहस नहीं हो रही है। एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है, उन्हीं मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जनरल बहस से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं है। नियमों के अंतर्गत क्या सीमाएं हैं, हर वाद-विवाद के लिए उनको ध्यान में रखकर फिर आगे बहस को बढ़ाइये। मुझे हर वक्त आपको इन्टरप्ट करना अच्छा नहीं लगता, आप स्वयं ध्यान रखें।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Point of Order आपने केवल १५ मिनट फरमाए थे, लेकिन २० मिनट हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष : बस दो मिनट।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता, यह मेरे दिमाग में बात आ गई....

श्री अध्यक्ष : हर बात को जो दिमाग में आए उसको मुंह पर नहीं लाना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : खास तौर से पॉलिसी के मामले में अर्ज करना चाहता हूं। अपने फाइनेन्सेज़ को बढ़ाने के लिए सरकार के लिए यह अच्छा है कि अपनी बुनियादी नीति पर चले बुनियादी नीति जो हमारी समाजवाद की है उसके अंदर सबसे पहले हमें कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम को एबोलिश करना चाहिए, चाहे खान में, चाहे वन में, चाहे और किसी डिपार्टमेंट में, आपको उसे समाप्त करना चाहिए। जैसे मैं जिप्सम पर लगातार कहता रहा हूं, जिसमें सरकार के खुद के शेयर्स हैं। अगर आप कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम को एबोलिश कर दें तो मजदूर को लाभ होगा। आपने पॉलिसी सोशियलिज्म की अख्त्यार की, लेकिन जो नमक के प्लॉट्स अलॉट किए गए वह पहले १० एकड़ का प्लॉट था, आपने फिर ३० एकड़ का कर दिया और ३० एकड़ से २०० एकड़ का प्लॉट एक एक आदमी को देते हो। उसके बाद ३० एकड़ प्लॉट्स पर १६ कूएं बनते हैं। १६ कूएं ३२ हजार रुपये के होते हैं उसके बाद में ऊपर का खर्चा लगाते हैं। एक आदमी एक कूएं को लेकर काम नहीं चला सकता। एक तरफ आप सीलिंग लागू करना चाहते हो जमीन पर और उधर नए जागीरदारों का निर्माण कर रहे हो। एक एक आदमी को दो दो सौ एकड़ जमीन दे दी और उन्होंने डेढ़ लाख की लागत कर ली। वहां पर मजदूर क्या करते हैं जो कुओं पर काम करते हैं वह सदा के लिए उनके एम्प्लोई बन जाते हैं और इस प्रकार से लोकली काम करने वाले आदमियों को लाभ नहीं होता है और व्यक्तिगत मुनाफे से नए जागीरदार खड़े होते हैं। एक उदाहरण इसलिए दे दिया कि आप जांच कर लें। केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि ये प्लॉट्स कोऑपरेटिव बेसिस पर देने चाहिए। आप समाजवाद की बात करते हैं और इसी साल भुवनेश्वर में समाजवाद के मुद्दे उठाए गए और आप १० एकड़ की जगह २०० एकड़ के प्लॉट्स देते हैं और समाजवाद की तरफ न जाकर बिल्कुल विपरीत चले जा रहे हैं। इसलिए इन मामलों के अंदर ऐसे पॉलिसी मैटर्स के

(श्री मुरलीधर व्यास)

अंदर आपको निश्चित हो जाना चाहिए। हो सकता है कि उसके अंदर आज बड़ा भारी संघर्ष चल रहा है, उसमें आप नाकामयाब हों, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा और नई नीति का प्रतिपादन करना पड़ेगा, तब जाकर नए समाज का निर्माण हो सकेगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत है। इस बहस में सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन सरकार की जो कुछ प्रॉलिसीज़ हैं उनके बारे में जरूर कुछ निवेदन करूंगा। मैं समझता हूं कि हमारा जो बजट है वह तो हमेशा के अनुसार घाटे का तो है ही। उस बारे में कहना एक प्रकार से अनुचित है क्योंकि एक आदमी जब कर्जे में दब जाता है तो वह कितना ही फड़फड़ाए, लेकिन उसको जब तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जैसा कोई उदार महकमा न मिले जो आंख मींच कर कर्जा दे और कर्जे पर कर्जा देता जाय, तब तक वह ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए वित्त मंत्रीजी को इस बारे में क्या कहूं ? पहले के वित्तमंत्री वगैरह आए उन्होंने इतना उनको कर्जे में दबा रखा है कि उस दलदल से वे १० वर्ष तक भी नहीं निकल सकेंगे। लेकिन उनकी जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसके ऊपर मेरा नम्र निवेदन है कि वह गलत है। उन्होंने टैक्सेज लगाने में कमी जरूर की है। मैं मानता हूं कि गत वर्षों में जितने टैक्सज नहीं लगे लेकिन जब टैक्सों की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जैसे टी. बी. की तरह हो जाती है और हिलने लगती है, वह हालत टैक्सेशन पॉलिसी की हो चुकी थी तो अगर सदा की की तरह टैक्स लगाते तो देश में बगावत होती। इसलिए उन्होंने अपना फेस-सेविंग करके कुछ कम टैक्सेज़ तो जरूर लगा दिए लेकिन मैं आपकी बजटिंग के स्ट्रक्चर की पॉलसी को गलत समझता हूं।

मैं समझता हूं कि आपने बजट बनाया वही स्टीरियोटाइप्ड चीजें रखीं वही पुरानी चीजें रखीं। आपने यह नहीं सोचा कि आपको कर्जे किस प्रकार से कम करने चाहिए। मैं जो महत्वपूर्ण चीजें वित्तमंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं वे यह हैं कि आप अपना दिमाग इन चीजों में लगाते हैं कि किस टैक्स से कितने रुपये लिए जायं, किस तरह से आमदनी बढ़ाई जाय, उसका दसवां हिस्सा भी, क्योंकि आजकल दशमलव प्रणाली चल पड़ी है, इसलिए कहता हूं कि दसवां हिस्सा भी अगर खर्चा कम करने में लगा दें तो बहुत फायदा होता। जब हम लोग प्लानिंग के विरुद्ध जाते हैं या कुछ कहते हैं तो इधर बैठे हुए हमारे प्लानिंग मिनिस्टर तो कह देते हैं कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। आप तो विरोधी हैं। मैं कहता हूं कि आपकी प्लानिंग को मुबारक हो कि हर रोज सरकारी अफसरों की तादाद बढ़ा रहे हैं, क्लर्कों की तादाद बढ़ा रहे हैं, आंख मींच कर तादाद बढ़ाते जाते हैं और रिटर्न क्या मिलता है ?

सेक्रेटरियेट में किसी प्रकार के पर्टिक्यूलर ऑफिसर को अगर आपको रखना होता है तो किसी जगह पर आप उसे ओ. एस. डी. बना देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। आप फरमाएंगे कि नाम मत लो, मगर कोई किसी प्रकार का

(श्री मानसिंह महार)

एक्सपर्शन कास्ट नहीं करना चाहता हूं। गत वर्ष जब हमारे खैरी साहब रिटायर होने वाले थे, एक स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर बालासहाय गुप्ता को नीचे लगा लिया कि कुछ काम सीख ले और खेरी साहब के रिटायर होने के बाद उस जगह पर काम कर सके। जिस दिन रिटायरमेंट होने वाला था उस दिन तक उनको यह इन्टीमेशन नहीं दी गई कि आपकी मयाद बढ़ाई जाती है। सुबह को १२ बजे बाला साहब उनसे कहते हैं कि चार्ज दे दीजिए, तो खैरी साहब बताते हैं कि आफ्टर लंच चार्ज दूंगा। लंच टाइम के दौरान में ऑर्डर आ जाता है कि एक साल का समय बढ़ाया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह सब वितंडावाद है।

श्री मानसिंह महार : एक साल मयाद बढ़ गई। बाला साहब आराम से बैठे हुए हैं, काम नहीं है, ट्रेनिंग पीरयड चल रहा है। एक सीनियर ऑफीसर पर पैसा बरबाद होता है उस ओर नहीं देखेंगे। सेक्रेटरियट में हजारों ऐसी मिसालें हैं।

श्री अध्यक्ष : हजारों तो नहीं होंगी। सैकड़ों होंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : हजारों से ज्यादा हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं आपको पंचायत इलेक्शन्स और दूसरे मसले और देता हूं। हर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत ऑफिसर्स मुकर्रर कर दिए। गरदन हिलाने से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता को फेस करना पड़ेगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : यह कोई पब्लिक मीटिंग में भाषण नहीं दे रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : स्टाफ मुकर्रर हुआ, पंचायत ऑफिसर्स मुकर्रर हुए। ५-६ महीने उन्होंने काम किया, यह प्लानिंग का नमूना देता हूं कि कितना वेल प्लान्ड वेल ओर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है।

पंचायत इलेक्शन सरक गये। वे दो तीन महीने और पड़े रहे, कोई काम नहीं। अब दिमाग में आया है। यह विचार हो रहा है। अब सप्लाई आफिसर उनको बनाकर बिठा दिया गया है। सप्लाई का काम इतना बढ़ गया है कलेक्टोरेटस में जिसकी कोई हद नहीं है। छः महीने से कोई इन्तजाम नहीं। एस. डी. ओ. आमेर सप्लाई का काम करते थे। उनको जब से एस. डी. ओ. बनाया और सप्लाई का काम वे करते रहे तो मुकदमे पड़े रहे और कोई इन्टरेस्ट नहीं ले सकते थे। तीन तीन साल तक मुकदमें पड़े रहे हैं। मैं आपकी यह प्लानिंग की बात बता रहा हूँ। गुड़ चीनी में काला बाजार हुआ तो सप्लाई अफसर अब नियुक्त हुए।

इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कई पोस्ट्स ऐसी हैं जिनको आप इमीजियेटली तोड़ सकते है और काफी बचत कर सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : बताओ ना।

Page No. 18

श्री मानसिंह महार : बताया ना। बाला सहायजी का बताया। श्रो० एस० डी० सेक्रेटेरियेट में हैं कहीं। उनकी श्रोर आपका ध्यान नहीं जाता। यह काम के लिए पोस्ट नहीं होती हैं, यह पोस्टें मनुष्य के लिए क्रीयेट की जाती हैं। किसी आदमी को प्रमोशन देना हो, किसी आदमी को लाना हो तो श्रो. एस. डी. बना देते हैं।

इसी प्रकार से जिस प्रकार पंचायत समिति श्रोर जिला परिषद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात आयी कम से कम एक महीना हो गया, वहां न चेयरमेन है, न सेक्रेटरी है, एक ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट काम कर रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत है।

श्री मानसिंह महार : बहुत अच्छा है। एक ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट काम कर सकता है तो चेयरमेन श्रोर सेक्रेटरी हजार पन्द्रह सौ की तनख्वाह वालों को क्यों अपोइन्ट करते हैं ? उनको मत कीजिये। बहुत अच्छा है तो वह बात चरितार्थ हो जायगी। यही बताना है कि वह योग्य आदमी है, इसने चेयरमेन श्रोर सेक्रेटरी का काम किया है, यू. डी. सी की ग्रेड का आदमी होते हुए उसने काम किया है। यह दिखाना है श्रोर उस आदमी को लिफ्ट देने के लिए वहां कोई अपोइन्टमेन्ट नहीं हुआ। इन बातों की श्रोर आप तवज्जह दीजिये। आज आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह ऐसा हो रहा है उसका क्या कारण है ? ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट इतने ऊंचे ओहदे का काम करता है श्रोर आप कहते हैं बहुत अच्छा है लेकिन जब आपसे यह कहा जाय कि ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट पर ही छोड़ दीजिये तो आप कहेंगे यह नहीं हो सकता है चेयरमेन तो कोई रिटायर्ड आदमी होना चाहिये श्रोर कोई रिटायर्ड सेशन जज होता है। लेकिन वहां एक ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट काम कर रहा है। यह आपका एक नमूना है।

अभी मेरे मित्र ने राजस्थान आर्म्ड पुलिस (आर० ए० सी०) की तारीफ को तो मेरा भी हृदय गद्गद् हो गया। वाकई पुलिस ऐसा महकमा है कि आज के दिन में उसकी बहुत ही ओकवर्ड पोजिशन है। पुलिस जहां कहीं भी झगड़ा होता है उसको कन्ट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे मेरे साम्यवादी मित्र फरमा रहे थे। पुलिस को इन्वोल्व किया जाता है राजनैतिक मामलों में मैं यह कहने को तैयार नहीं। कुछ थानों पर कृपा पात्र लोग होंगे वे तो जरूर पोलिटिकल काम करते होंगे वरना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजस्थान की पुलिस निष्पक्षता से काम करती है श्रोर आज के युग में जितना काम राजस्थान की पुलिस करती है उतना किसी का नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अच्छा गठबन्धन हो रहा है। कौनसा गठबन्धन सामने आ रहा है।

श्री मानसिंह महार : आप घबराइये नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : आप सही कह रहे हैं।

श्री रामकिशन (बैर) : सदन में सही कहने वाले आप एक ही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह शादी मुबारिक हो।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

Page No. 19

श्री मानसिंह महार : यह घाट दरवाजे और पैलेस में पहूँचने का हो रहा है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या परसों के प्रदर्शन से घबराकर आप पुलिस की तारीफ कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : वे पुलिस को डिमोरेलाइज करना चाहते हैं । मैं उसकी मदद करता हूँ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिमोन्स्ट्रेशन से घबरा गये क्या ? राजाओं के प्रिवीपर्स बन्द हों, इससे घबरा गये ।

श्री अध्यक्ष : फतहसिंहजी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री फतहसिंह (चौहटन) : ये झूंठ कह कह रहे हैं ।

मानसिंह महार : मैं पुलिस की एक मिसाल देना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : ये आपकी पार्टी के ही सदस्य क्या कह रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : He is being denounced by his own party member.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उनको फिर से सुना जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इतना ही काफी है ।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक केस देना चाहता हूं अपने कथन के समर्थन में । अध्यक्ष महोदय, आज के चार दिन पहले मेरी कान्स्टिट्युएन्सी में चार सिपाहियों को लेकर एक थानेदार एक मीणे को पकड़मे के लिए जाते हैं । मैं अपने कथन की पुष्टि के लिए यह मिसाल देता हूं । वे गये एक बैल का चोर था उसको पकड़ने के लिए । मीणों का वह गांव है । गांव वालों के रूबरू उन्होंने एक चोर को गिरफ्तार किया और उसको एक मील दूर तक ले आये । उस गांव के पचास साठ मीणों ने यह तय किया कि अपने साथी को छुडाना चाहिये । पचास साठ आदमी लाठियां लेकर भागते है । मील डेढ मील पर जाकर उन मीणों ने थानेदार को और सिपाहियों को इतना पीटा कि एक सिपाही का हाथ टूट गया और एक सिपाही की पसलियां टूट गयी हैं शायद, एक्सरे रिपोर्ट अभी नहीं आयी है । वे लोग कहते रहे मुतवातिर कि इनको (पुलिस वालों को) खड्डा खोद कर गाड़ दो । मैं पुलिस वालों की फिर भी तारीफ करूंगा कि इतनी गम्भीर स्थिति में भी वे भागे नहीं । उनको जबरदस्ती पकड़ कर, सिपाही के बेल्ट में हथकड़ी लगी हुई थी उसके उस बेल्ट को तोड़ा और उस चोर को हथकड़ी समेत छुड़ा कर भाग गये । हथकड़ी भी ले गये और चोर को भी भगा ले गये । थानेदार वगैरह बुरी तरह पिटे, लेकिन हमारी सरकार है कि उसने आज तक कोई सख्त कदम उनके खिलाफ नहीं उठाया है, उनको पकड़ने में कोई तवज्जह दिखायी हो या कुछ किया हो, कुछ नहीं । मैंने कल परसों मुख्य मंत्रीजी से जिक्र किया तो उन्होंने इससे अनभिज्ञता प्रकट की कि मुझे मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई घटना घटी है ।

एक दूसरा पहलू लीजिये । डिमोरेलाइ-जेशन हो रहा है पुलिस फोर्स में । पुलिस

(श्री मानसिंह महार)

वाले कहते हैं क्या करें। अगर हम चोरों को पकड़ने की कार्यवाही करते हैं तो हमारी पिटायी होती है। कहीं कोई सुनायी हमारी नहीं होती है। जरा सा भी स्ट्रोंग एक्शन ले लें तो सस्पेन्ड कर दिया जाय। एस० आई० का ठीक हुआ। उसके लट्ठी की लग कर पिस्तौल दूर चला गया। अगर वह फायर कर देता तो सस्पेन्ड जरूर होता और इतनी पिटायी हुई, इतना घोर अन्याय हुआ फिर भी सस्पेन्ड होता। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से और उपमन्त्री से दोनों से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह नहीं किया तो देश में अराजकता आ जायगी। और मेरे इस तरफ बैठने वाले मित्र हैं, मुझे ऐसी बात कहने से रोकते हैं इसलिए कि वे ऐसा चाहते हैं, उनकी कामयाबी इसी में है कि इस देश में अराजकता आ जाय और उनका लाल झंडा कामयाब हो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको लाल झंडे का डर लग रहा है।

श्री मानसिंह महार : मुझे डर इस बात में है क्योंकि मैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाला एक आदमी हूं, प्रजातन्त्र हमारे देश में कायम रहे, मैं इसमें विश्वास करता हूं और यह तब ही रहेगा जब हमारी सर्विसेज का डिमोरेलाइजेशन नहीं होगा। वे चाहे इस प्रकार की मदद करें, बात बात में सिफारिश करके दबाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप क्या यह चाहते हैं कि पुलिस सर्विसेज द्वारा सैकड़ों वर्षों से जनता का जिन्होंने खून चूसा है, उनको कायम रखा जाय, जनता यह कभी सहन करने वाली नहीं है।

श्री मानसिंह महार : मैं इनको जवाब तो देना नहीं चाहता लेकिन इतना कह दूं चीनी मेथड्स जो अपनाने वाले हैं उनका जरूर विरोध करना है, यह डिमोरेलाइजेशन सरविसेज में नहीं आना चाहिये।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि आपने जो पुलिस वालों की तनखा बढ़ायी है वह बहुत कम है उसको अधिक बढ़ाया जाय।

अब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की ओर आता हूं अध्यक्ष महोदय, इस डिपाटमेन्ट के बारे में एक खास निवेदन कर ना चाहता हूं रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट और आपके विकास विभाग में कुछ समन्वय नहीं होता। जब तक आपस में इनका को-आपरेशन नहीं होगा आपका पंचायत विभाग कभी कामयाब नहीं होगा। मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, आज हम देखते हैं पटवारी ग्राम सेवक को देख नहीं सकता, ग्राम सेवक पटवारी को देख नहीं सकता यह आम चीज है कि सरपंच कोई कार्यवाही करता है तो ग्राम सेवक अड़चन डालता है, ग्राम सेवक कोई काम करता है तो सरपंच या पटवारी अड़चन डालता है। पटवारी सरपंच एक तरफ होते हैं ग्राम सेवक अड़चन डालता है अगर आपको पंचायत विभाग को कामयाब बनाना है तो उसका एक ही तरीका है पटवारी और इस विभाग का और सरपंच का अधिक समन्वय होना चाहिए। जब तक यह

(श्री मानसिंह महार)

नहीं करेंगे तो आपका यह विभाग कामयाब नहीं होगा।

मैंने आपके सामने रूपा रामपुरा का मामला रखा था उसमें सरपंच की गलती थी ही। पटवारी की अधिक गलती थी। पटवारी ने सरपंच और तहसीलदार को यह नहीं बताया कि इस गांव के अन्दर कृषि की भूमि सिवाय चक की भूमि को बेचा गया है यह पटवारी की गलती थी। अध्यक्ष महोदय, पटवारी ने कृषि भूमि में से अपने भाई के नाम से प्लाट लिया, सरपंच ने कृषि योग्य भूमि में से अपनी औरत के नाम से पति का नाम बदल कर जमीन ले ली है। रामपुरा में इन्हीं तहसीलदार महोदय ने प्लाट लिये हैं तहसीलदार एग्रीकल्चर लेन्ड को होम करने जा रहे–यह मैं सर्विसेज की डिमोरेलाइजेशन की बात कह रहा हूं। ये सारी गड़बड़िया हो जायं वह नीचे के तबके के आदमी को प्लॉट दे देते हैं और उसमें से कुछ बड़े आदमियों को दे दी जाती है ताकि उनके द्वारा की हुई गड़बड़ियां छिप जाय। यह सब आपस में मिली हुई साजिश है। साजिश नीचे वाले करते हैं और आप उसमें आखें बन्द करके कुए में गिर जाते हैं आपको मालूम नहीं रहता। इस ओर आप ध्यान दीजिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप रामपुरा रूपा पंचायत के रेकार्ड को सीज़ करवाइये। पटवारी के रेकार्ड को सीज़ करवाइये, पटवारी को सस्पेन्ड कीजिये, पटवारी ने छोटे भाई के नाम से जमीन ली है। जो भूतपूर्व वहां के तहसीलदार सुगनचन्द थे यह कोशिश हो रही है यह दुःख का विषय है कि जब से मैंने इस मामले को सदन में उठाया है श्री सुगनचन्द को वापिस जयपुर का तहसीलदार बनाने का विचार हो रहा है। सारे ऑर्डर्स हो गये हैं ताकि उस सारे मामले पर लीपा–पोती कर दी जाय। मुख्य मन्त्रीजी से प्रर्थना करूंगा, उन्होंने जिस प्रकार का वायदा मुझसे किया उनको वहां नहीं भेजा जायगा। रामपुरा में मैं इन्क्वायरी के सिलसिले में गया था वहां के सरपंच कहते हैं पहले रामपुरा हीरापुरा पंचायत में था उस समय ज्यादातर जमीन हीरापुरा सरपंच ने बेच दी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सारे मामले को जिस दिन माननीय सदस्य ने बताया था उसके बाद एस० पी० एन्टी करप्शन, एडीशनल कलेक्टर, जयपुर को पंचायत के सारे रेकार्ड को सीज़ करने के आदेश दे दिये हैं और इनवेस्टीगेशन करके जो दोषी है उसके लिये स्ट्रोन्ग एक्शन लेने के बारे में, सजा देने के बारे में ऑर्डर्स इश्यू कर दिये हैं जिस रोज आपने यह रखा था।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आपने जो कुछ किया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। आपने कुछ एक्शन तो लिया। एक तरफ तो तीन रुपये के गबन पर आप सस्पेन्ड कर देते हैं और तीन–तीन वर्ष से वे पड़े हैं। दूसरी तरफ जिसने लाखों की जमीन बेच दी, गोल माल कर दी, उसके लिये केवल जांच के ही आदेश दिये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रिपोर्ट तो आ जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एस० डी० ओ० की रिपोर्ट आ गई है आपके पास ?

श्री मानसिंह महार : मैं आपसे यह कह दूं कि सरपंच सारे रेकार्ड को लेकर गायब हो गया है, अन्डर ग्राउन्ड हो गया है। दो तीन दिन से मिल नहीं रहा है। ऐसा सीरियस मामला है जिस रोज ये सरपंच हुए इन पर १७ हजार रुपया कर्जा था। इन तीन वर्षों के अन्दर एक लाख का मकान तो गान्धीनगर में बना लिया। दस-पन्द्रह प्लॉट रामपुरा रूपा क्षेत्र में ले लिये, लखपति बन गये इस पंचायत में आने के बाद। इसलिये मैं यह कहता हूं कि हीरापुरा का मामला भी इन्हीं समय में हुआ था। पहले रामपुरा हीरापुरा एक पंचायत थी, रामपुरा में इस सारे करप्शन का श्री गणेश किया गया और हीरापुरा वाले महाशय ने किया था। आप तीन वर्षों के कागजात अपने कब्जे में लीजिये और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन दोनों सरपंचों को फौरन सस्पेन्ड करके उचित कार्यवाही करें। यह मैं निश्चित बात के लिये आपसे कह रहा हूँ, अनुचित बात मैं नहीं करता।

अब मैं ठेकेदारी प्रथा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे मैं ठेकेदारी प्रथा के बिल्कुल ही खिलाफ नहीं हूँ कुछ कुछ इसका हामी भी हूँ। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि सुपर ठेकेदार इम्पोज नहीं किये जायं इसका मैं कट्टर विरोधी हूँ। पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर यहां मौजूद नहीं उनके डिप्टी होंगे नहीं तो मुख्य मन्त्री सुनते होंगे, वे ही उन तक पहुँचा देंगे। वह एजेन्सी है भारत सेवक समाज की। यह मैं मानता हूँ कि यह सेन्टर की पॉलिसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं मिसाल की तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ, जयपुर-बीकानेर रूट को चौडा करने का ठेका दिया गया, उसके बूम को निकालने का ठेका भारत सेवक समाज को दिया गया। जब हम उस रूट से जाते हैं तो हमें मजदूर मिलते है वे कहते हैं कि भारत सेवक समाज उनको उचित मजदूरी नहीं देता है, काम करा लेता हैं लेकिन मजदूरी नहीं देताहै। जहांतक ठेकेदार का सवाल है उससे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मजदूरी तो दिलवा देता है ये जो सुपर ठेकेदार हैं वे मजदूरों को मजदूरी नहीं देते। इन्जीनियर की हिम्मत नही पड़ती कि वे उसमें इन्टरवीन करें। इन्जीनियर वहां जाते हैं, दबे हुए खड़े रहते हैं, जोर देकर नहीं कह सकते। सड़क के नीचे जो खंजरा जुड़ रहा है मोटे पत्थरों का जुड़ रहा है। आप चल कर देख लें यह मैं भारत सेवक समाज के ठेके का नमूना बता रहा हूँ। जिस ठेके को पूरा करने के लिये एक साल का समय दिया गया वह अभी तक आधा भी नही हुआ उसकी मियाद तो और बढ़ जायगी। आप किसी ठेकेदार को अगर ठेका देते हैं और वह समय पर काम खत्म नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी जब्त कर लेते हैं। इनसे तो सिक्योरिटी लेना दूर रहा इनको तो एडवान्स में रुपया दिया जाता है। ठेकेदार को एडवान्स का सवाल नहीं, सिक्योरिटी ली जाती है। भारत सेवक समाज को एडवान्स रुपया दिया जाता है, रकम का ब्याज दूर रहा वह तो घाटा सरकार भुगतती है; और भारत सेवक समाज द्वारा काम ठेकेदारों से भी खराब किया जाता है,

एक माननीय सदस्य : उसमें सभी त्यागी लोग हैं।

श्री मानसिंह महार : वे नेता लोग उसमें हैं जो यह कहते हैं कि हम तो पार्टी बाजी से, राजनीति से दूर हैं, ऊपर हैं।

हमारे जयपुर भारत सेवक समाज के जो अध्यक्ष या मन्त्री हैं वे तो राजनीतिऐ में से पड़े हुए हैं कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मुख्य मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस भारत सेवक समाज को राजनीति से ऊंचा उठाइये। मगर आप शायद उठा नहीं सकेंगे क्योंकि वे महानुभाव भी दस दिन तक महुवा कॉन्स्टीट्यूएन्सी में पड़े रहे थे अपनी मोटर डी० एल० एफ. को लेकर। हरिश्चन्द्रजी शर्मा, जो जयपुर के भूतपूर्व एम० पी० भी थे। आप जानते हैं, भोले मत बनिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उन्होंने जनसंघ और सोशियलिस्ट पार्टी भी जोइन की थी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : राजस्थान भारत सेवक समाज के ?

श्री मानसिंह महार : राजस्थान नहीं, जयपुर कह रहा हूँ। वे पहले भी चुनाव में यह कह रहे थे कि मैं तो मुस्लिम लीगी हूँ इसलिये मुसलमानों का मुझे ही समर्थन मिलेगा। तो ऐसे आदमियों को भारत सेवक समाज में जगह मिलती है। वे अक्सर वहां खड़े हमें मिल जाते हैं और उनसे जब कभी बात भी करता हूँ मैं। तो ये आपके भारत सेवक समाज का नमूना पेश कर रहा हूँ आपके सामने।

दूसरी बात और बताऊं, अध्यक्ष महोदय, कि इन महानुभाव ने अपने नाम से एक ट्रक लिया और तीन महीने तक उस ट्रक को रजिस्टर भी नहीं कराया। किराये पर ट्रक जो चलता है, उस हिसाब से रजिस्टर नहीं कराया और जितना माहवारी खर्चा होता था उसको हड़प गये और खुद का वह ट्रक वहां चल रहा है वहां सड़क बनाने के काम में।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे मित्र जो कह रहे हैं तो वह ट्रक भी सरकारी पैसों से खरीदा गया होगा ?

श्री मानसिंह महार : मैं ऐसी गलत बात सदन में नहीं कहूँगा। मैं तो वही बात सदन में कहता हूँ जिसके बारे में मैं पूरी तरह से स्योर हूँ कि यह सच है।

श्री अध्यक्ष : इस आश्वासन के लिये धन्यवाद !

श्री मानसिंह महार : तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री से कहूँगा कि आप इस भारत सेवक समाज को कितनी ही पवित्र संस्था समझते हों, सेन्टर के डाइरेक्टिव भी चाहे आते हों, पर काम सफ़र करे, क्वालिटी आफ वर्क सफर करे, काम समय पर न हो, काम से इन्जीनियर असन्तुष्ट हों, और फिर भी आप भारत सेवक समाज को अपनी जिद्द में आकर इस प्रकार के ठेके दें–यह अनुचित है और आपको अपनी इस पॉलिसी को बदलना चाहिये। अगर आप ठेकेदारी प्रथा को खतम करना चाहते हैं तो काम को डिपार्टमेन्टली कराइये। मुझे इससे कोई एतराज नहीं और कोई कोऑपरेटिव से कराइये। इसके लिये भी मुझे ज्यादा विरोध नहीं है, हालांकि मैं इसका हामी तो नहीं हूँ। कुछ ठेकेदारी प्रथा का विरोधी हूं, पूरा विरोधी नहीं हूं क्योंकि ठेकेदारी प्रथा ही ऐसी है जिसको कि हमारे

Page No. 24

(श्री मानसिंह महार)

पी० डब्लू० डिपार्टमेन्ट वाले अच्छी तरह धमका कर सिक्योरिटी रखकर ठीक से काम करवा लेते हैं। पर इस सुपर एजेन्सी को वे कुछ नहीं कह सकते उससे वे काम नहीं करवा सकते ठीक तरह से, यह मेरी निश्चित धारणा है।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में मुझे कुछ कहना है क्योंकि डिमाण्ड्स के अन्दर यह डिस्कशन में नहीं आया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विभाग भी एक अनआर्गेनाइज्ड विभाग सा है। इसमें भी हमारे माथुर साहब का प्लानिंग कम काम करता है। मैं तो यह भी कह सकता हूं इस विभाग के लिये कि This is the most unplanned Department of the Rajasthan Government-यह भी कह दूं तो कोई हर्ज़ नहीं होगा।

हमको पता ही नहीं चलता कि कहां बिजली जा रही है और कहां नहीं जा रही है। आदमी नौकर रखे जाते हैं उनके पास सामान नहीं होता, आदमी सोते रहते हैं। वर्क का कितना आउट-पुट और रिटर्न होगा यह मालूम नहीं है हमारी सरकार को। जहां बिजली की किसान को जरूरत होती है वहां उसको नहीं दी जाती। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है और ऐसा गांव है कि जहां पर ट्रान्सफोर्मर लगते ही तीस कूओं से पानी निकालने को हम तैयार थे। पॉवर मिनिस्टर ने सेंक्शन कर दिया। हमारे कूओं में मोटरें लग गईं। पर आज छः महीने हो गये और एक महीने से ट्रान्सफोर्मर भी पड़ा है पर वह लगाया नहीं जा रहा है। मैं बताऊं, उस ट्रान्सफोर्मर की पहरेदारी के लिये दो नौकर वहां पड़े हैं। मगर बिजली विभाग से वह फिक्स होकर अब तक भी पानी वहां चालू नहीं हुआ। इसको क्या कहा जावे। आपकी प्लानिंग मुबारिक हो। प्लानिंग मिनिस्टर महोदय के दो आदमियों की तनख्वा बरबाद हो रही है, किसान पानी पानी चिल्ला रहे हैं और ट्रान्सफोर्मर पड़ा पड़ा धूल में भर रहा पर वह चालू नहीं हो सकता। मुबारिक है इस प्लानिंग को, राजस्थान सरकार की को।

इसके विपरीत उन गांवों को बिजली दे दी गई जहां दो दो बर्षों से आठ आठ सात सात कूओं में भी पाइप फिट नहीं हुए क्योंकि वहां सिफारिशें पहुँच गई। हो सकता है कि सरदारशहर के डिप्टी मिनिस्टर ने टेलीफोन से सिफारिश कर दी हो या हमारे गृह विभाग से किया हो। कहीं आ गये होंगे मित्र लोग तो कूओं से ज्यादा पानी भी जहां नहीं जा रहा है वहां भी पानी के लिये बिजली मिल गई। पर जहां तीस कूंए तैयार हैं, जहां १०–१५ कूओं में तो मोटरें कूओं के अन्दर मौजूद हैं, वहां ट्रान्सफोर्मर फिट नहीं होगा क्योंकि वहां पर विरोधी पक्ष के सदस्य का गांव है, उसका इलाका है। तो यह आपकी कोई ठीक प्लानिंग नहीं है, आप विरोधी पक्ष में और अपने में अन्तर मत समझिये। न्याय करिये। आप अगर राजस्थान की जनता को अपने साथ लेना चाहते हैं तो आप उचित और अनुचित की ओर ध्यान दीजिये। आप यह मत समझिये कि व्यक्ति विशेष की ओर जाने से आप सही सलामत रह जावेंगे।

अब सोशल वेलफेयर के बारे में कहना चाहता हूँ। इसके बारे में तो, अध्यक्ष महोदय, क्या अर्ज़ करूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : सम्बन्धित मिनिस्टर महोदय तो हैं ही नहीं।

श्री मानसिंह महार : उनको तो मालूम नहीं क्या क्या हो जाता है, रक्त चाप हो जाता है और न जाने क्या क्या हो जाता है, मैं अर्ज नहीं करूंगा इस बारे में अधिक। पर मुख्य मन्त्रीजी इन्टरवीन करेंगे इस में। मैं समझता हूं कि अगर मुख्य मन्त्रीजी किन किन सोसायटियों को, किन किन बैकवर्ड क्लासेज को कितना कितना लोन दिया गया है इसकी एक लिस्ट सामने लाकर रख दें तो मैं कोई प्रदर्शन वगैरह नहीं करता।

श्री रामकिशन (वैर) : फिर और क्या कर रहे हैं ?

श्री मानसिंह महार : मेरे समाजवादी भाइयों की तरह मैं बातें नहीं करता कि नीचे बैठकर कहा जावे। वे नीचे आवें, मैं तो आपके कमरे में आ जाऊंगा।

तो आप लिस्ट मंगवा लीजिये कि जिससे आपको मालूम हो कि आपका करोड़ों रुपया बरबाद हुआ है। मैं बताता जाऊंगा उस लिस्ट में कि इसमें खायगी हो गई, इसमें हो गई, उसमें हो गई। आप जांच फिर करवा लीजिये। जैसा मैंने रामपुर रूपा का केस साइट किया वैसे ही इनमें करूंगा। रामपुर रूपा के लिये आपने बहुत महरबानी की कि जांच कराने का आश्वासन दिया है।

श्री रामकिशन : आप भी कभी महरबानी करेंगे..... (अशाव्य)

श्री मानसिंह महार : आप तो कभी जिन्दा रहने वाले नहीं हैं। आपको तो जाना है। आप यह मानकर चलिये। आप कितना ही कह लीजिये। अगर कभी कभी हमारे उधर बैठने वाले मन्त्री या मित्र लोग भावावेश में आपसे लगना चाहते हैं तो ऐसों के प्रति भी गैर वफादारी करते हैं।

श्री रामकिशन : आप तो वफादार हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं और मेरी पार्टी तो यह चाहते हैं कि आपको भी उधर बिठाया जावे। हम तो आपकी बू से भी दूर जाना चाहते हैं। आपके नजदीक नहीं आना चाहते।

तो ये चन्द बातें मैंने कहीं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से आशा करूंगा कि मैंने जो तथ्यपूर्ण और वास्तविक पोइन्ट रेज किये हैं उन पर वे गौर करेंगे और वित्त मन्त्री जी भी इन फिजूलखर्चियों को कम करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं उनमें इसकी क्षमता है क्योंकि उनका खूंटा मजबूत है। जैसे घोड़ा खूंटे के पीछे कूदता है वैसे ही आप भी कूदते हैं। बिना खूंटे वाला फिर जोरदार काम भी नहीं कर सकता है। आप फिर डरते क्यों हैं, दस-पांच सीनियर ऑफिसरों को जो किसी की कृपा से रख दिये गये हैं उनकी पोस्ट की और तनख्वाह सेंक्शन मत करिये। आप बहादुरी से चलिये। जनता आपका साथ देगी, आपका खूंटा जोरदार है, ऊपर से है आपका खूंटा, आप इनकी परवाह क्यों करते हैं। राजस्थान का नया नक्शा बनाने का आप श्रेय लें। ये शब्द कहते हुए और वित्त मन्त्रजी से आग्रह करते हुए कि शराब की जितनी छूट आपने गांधीजी के चेले होते हुए दी है उसके लिये मुबारकबादी देते हुए...

Page No. 26

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): आपको विशेष कन्सेशन दिया है।

श्री मानसिंह महार : इसके लिये भी मुबारकबादी देता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप लोगों के लिये तो सब कुछ हाजिर है।

श्री मानसिंह महार : यह तो....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके राज्य में भी आप रख लेंगे क्या इनको वित्त मन्त्री ?

श्री मानसिंह महार : यह तो समय बतावेगा। पर आपने यह तो मान लिया कि हमारा राज्य जल्दी ही आने वाला है।

तो मेरी पार्टी का अधिक समय न लेकर, वित्तमन्त्रीजी से अपील करूंगा कि जो फिजूल-खर्चियां हो रही हैं आपके राज्य में उनमें जरा कमी लाने की वे कोशिश करें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस चल रही है और इसी बहस के संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार के बजट की स्वीकृति से पूर्व यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम उस पर हर एक दृष्टिकोण से विचार कर लें और इसी प्रकार के विचार के समय राज्य सरकार की सारी योजनायें और बजट आज न मालूम क्यों प्रत्येक व्यक्ति और समाज को ऐसा विचार देती हैं कि जिसमें असंतोष पैदा होता है। असंतोष की दृष्टि से जब हम देखते हैं और विचार करते हैं तो यही हम सोचे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग उनकी जो कार्य प्रणाली आज है वह कार्य प्रणाली जब हम देखते हैं तो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कानून के विपरीत यह लोग जा रहे हैं। तब व्यक्ति के मस्तिष्क में और जनता के मस्तिष्क में, समाज के मस्तिष्क में एक ही प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। मैं यहां दो तीन विभागों के विषय में चर्चा करूंगी। सबसे पहले पुलिस विभाग के बारे में कुछ कहूँगी। पुलिस के संबंध में सदन में कई बातें आ चुकी हैं इसलिए लम्बी चौड़ी बात के विषय में न जाकर इतना ही कहूँगी कि पुलिस विभाग का निर्माण ही इस-लिए हुआ है, और निश्चित इसीलिए किया गया है कि हमारे प्रान्त की जनता के धन और जीवन की रक्षा हो। लेकिन बजाय उसके आज एक जगह चोरी होती है और चोरी करने से पहले या चोरी करने के बाद वे चोर पुलिस के दरवाजे पर सलाम लगा दें और उसके बाद साहूकार के लिए पुलिस के दर-वाजे बन्द हो जायें तो सन्देह पैदा होता है। डाकू डकैती करें और उस डकैती का कोई परिणाम न हो, डाकू पकड़े नहीं जायें और उसके लिए कोई निश्चित जवाब सरकार की तरफ से न हो तो सन्देह पैदा होता है। एक्सीडेन्ट्स होते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं और कातिल पकड़ाई में नहीं आता और यदि आता है और फिर जाकर वह स्टेयरिंग पर बैठ जाता है तो संदेह पैदा हो जाता है। तो मैं कहना चाहती हूं कि ऐसी बातें आने के बावजूद भी हम सोचने लगें कि सभी व्यक्ति ऐसे हैं, पूरा विभाग ही ऐसा हो—यह नहीं है। मैंने बारबार इस बात पर जोर दिया है कि सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखे कि हमारी

(श्रीमती नगेन्द्रबाला) •

इस मशीनरी के अन्दर कौन गलत है और कौन सही है। आपने सभी को एक डंडे से हांकने की कोशिश की है यह उचित नहीं है। भ्रष्टाचार की आवाज लगाते लगाते कोई दिन ऐसा न आ जाये कि हम स्वयं राह भूल जायें। और, अध्यक्ष महोदय, मैं सच-मुच कहना चाहती हूं कि हमारी रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा इस सेन्स में कि धीरे-धीरे यहां बैठकर जो हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लूज़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और मेरी यह मान्यता है कि हिन्दुस्तान तो खास तौर से इतना माइन्यूटली गया है जिसमें आज का विज्ञान फेल हो रहा है कि जिस तरह हम विचार करते हैं वैसा वातावरण बनता है और धीरे-धीरे वह कमजोरी हमारे अन्दर आती है और कम से कम हम कुछ समय के लिए इस बात का रुख भी देखते हैं कि एक पक्ष की बात हमारे सामने आ जाती है केवल यह सोचें कि जोरदार शब्दों में बोलें चाहे सही हो या गलत–तो यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। हम धीरे–धीरे इन खतरों की तरफ गये तो सही क्या है और गलत क्या है इसे हम सोचने को मजबूर हो जायेंगे। सरकार को इसके लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, मेरा सुझाव नहीं है, सुझाव तो अमूमन है लेकिन मेरा निवेदन है कि आप कुछ बातों की तरफ निश्चित रूप से गौर करके उसे कार्यरूप में परिणित करने की कोशिश कीजिए। वह यह कि किसी भी टेबल पर, सरकारी मशीनरी के या किसी भी मिनिस्टर के टेबल पर कोई भी कागज बिना किसी कारण विशेष के पड़ा न रहे। एक कागज पड़ा रहता है और पचास पचास आदमी बार बार पूछते हैं और लोगों की सेक्रेटेरियट में भीड़ मची रहती है। यह क्यों नहीं निकलते हैं ? सरकारी मशीनरी है, किस लिए ये मिनिस्टर हैं किस लिए, फाइलें गायब हो जाती हैं, कागज गायब हो जाते हैं। फिर आप करते क्या हैं ? तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार ज्यादा अच्छा हो कि रात और दिन हम इसके लिए मजबूर न करें कि हम लूज़ एड-मिनिस्ट्रेशन की बात करें और भ्रष्टाचार की बात करें। इसके ऊपर यदि कोई कदम उठाया गया तो अच्छी बात है वरना धीरे–धीरे हम ऐसे विनाश की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए हमें खुद को मालूम नहीं है कि क्या भविष्य होगा।

अब मैं समाज कल्याण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूँ। यह एक ऐसा विभाग है, वैसे तो बहुत अच्छा विभाग है कि समाज कल्याण होना चाहिए, जनता को राहत मिलनी चाहिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यदि इसे धर्मादा विभाग कहें तो कोई अति-श्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि इस विभाग में जितने भी काम हो रहे हैं उनमें घोटाले हो रहे हैं। पैसों का दुरुपयोग हो रहा है इसको कोई नहीं देखता है। जनता के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन उनको कितनी राहत मिली है इस बात की जांच किये बिना आप इस नतीजे पर नहीं आ सकेंगे कि आपको भविष्य में क्या करना है। एक बार आप रकम फेंक दें। हम मानते हैं कि जब भी परिवर्तन आते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। यह स्वाभाविक है लेकिन उसके साथ ही साथ हम खामियों की ओर ध्यान न दें, तो किसी प्रकार से सुधार होने की सम्भावना नहीं हो सकती। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ होता है उसमें जस्टिस होना

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या सही होता है, क्या गलत होता है, इस नतीजे पर जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक ये बातें होती रहेंगी। हम नहीं कहना चाहते कि हमारी सरकार जागरूक नहीं है लेकिन जागरूक होते हुए भी उतनी सतर्कता नहीं है कि जो होनी चाहिये, उसके लिए कहना चाहती हूँ।

मैं बैटरमेंट लेवी के बारे में कहना चाहती हूं। क्योंकि समय कम है इसलिए लम्बी-चौड़ी बहस में मैं नहीं जाऊंगी। हमारे यहां कोटा डिवीज़न में दो तीन पंचायत समितियां ऐसी हैं कि जहां यह निश्चित है कि बैटरमेंट लेवी लग रही है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर किसानों में इसके प्रति बहुत असन्तोष है। बैटरमेंट लेवी का मतलब है खुशहाली कर। मैं थोड़ा सा वर्णन कर दूं। सरकार ने बहुत बड़े बड़े बांध बनाये, नहरें निकालीं और किसानों की वह जमीन इसके अन्दर आई जो कि उनको अन्न देती थी और उनका भरण-पोषण करती थी। किसानों को उन जमीनों के मुआवजे नहीं मिले। वहां से नहरें जाने से गांवों की हालत यह हो गयी कि खेत ऊसर हो गए। वहां पर फर्टीलाइज़र का कोई साधन नहीं है और वहां पर ऐसी नहरें आई हैं कि खलिहान और गांव इतने दूर कर दिये कि किसानों को अनाज लाने के लिए इतनी मुश्किल होती है कि अगर कोई जाकर देखे तो आपको प्रत्यक्ष नजर आयेगा कि वहां पर सड़कें नहीं हैं और नहरों की वजह से रास्ते ऐसे रुक गये हैं कि समय पर आने के लिए जानवरों को भी कीचड़ में से गुजरना पड़ता है और मण्डी तक पहुंचने के लिए गाड़ियों को बड़ी मुश्किल होती है। जब तक इस खुशहाली का नजारा आप गांवों में जाकर न देख लें तब तक यह किसान अगर विद्रोह करते हैं तो कोई गलती नहीं करते। एक किसान मुश्किल से १२ महीने में खेती से अनाज पैदा करता है और उसको अपने जीवन यापन का आधार बनाता है और उधर जब वह मण्डी में जाता है तो भाव गिर जाते हैं, मण्डी तक जाने के लिए साधन नहीं हैं। सड़कों का निर्माण हो रहा है केवल शहरों में। गांवों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। शिक्षा के लिए कॉलेज बन रहे हैं तो शहरों में गांवों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। करों की आप बात करते हैं। करों से कोई इन्कार नहीं कर सकता लेकिन करों का रिटर्न जब तक जनता को नहीं मिलेगा तब तक जनता हजार बार पूछेगी कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि बिजली की चकाचौंध के लिए आप देखते हैं तो शहरों की तरफ। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और फिर आप गांवों की तरफ जाते हैं बहुत लम्बे समय के बाद। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पहले आप गांवों के किसानों को सन्तुष्ट कीजिए। यदि वह सन्तुष्ट होंगे तो मिलों के मजदूर सन्तुष्ट होंगे तो सारी बातें खत्म हो जायेंगी। मुझे एक कहानी याद आ गयी। एक गुड़ की कहानी है। जब गुड़ ने देखा कि मुझे तो सब खाते हैं और मेरी रक्षा नहीं है। तो गुड़ भगवान् के पास गया और कहने लगा कि मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान् ने कहा कि मेरे भी मुंह में पानी आ गया। तो धीरे धीरे यह बातें करते करते कहीं इस भ्रष्टाचार और अनैतिकता रूपी गुड़ से हमारे मुंह में भी पानी न आने लगे? इसलिए मैं बिल्कुल गम्भीरता से और विनय के

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

साथ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने यहां कागज टेबलों पर मत रहने दीजिए। तबादलों के लिए मैं मंत्री महोदयों से कहूंगी कि आप अपने डिपार्टमेंट्स को पूरा अधिकार दीजिए कि वह जस्टिस के साथ तबादला करें और आवश्यकता के साथ करें और उसके बाद कोई शिकायत आती है तो आप न्याय कीजिए । आप तबादले की मशीनरी मत बनो ।

यह चीज मैंने पहले भी निवेदन की थी कि किसी का एक साल में ६ बार तबादला होता है और किसी का ६ साल में एक बार भी नहीं होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

जिस प्रकार की शिकायतें आती हैं, किसी तरह के गबन की बात आती है तो आप इमीजियेटली जांच बिठाइये, निष्पक्ष जांच बिठाइये और जांच होने के बाद न्याय–व्यवस्था से फैसला कीजिए इसमें आपको मजबूत होना चाहिए। वरना आज इस तरह से आपकी सरकारी मशीनरी को देखते हुए मैं आपको बताऊं कि हाथ के हाथ को खाने की बात चल रही है, क्योंकि जो ईमानदार आदमी हैं, कई दफा हम महसूस करते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि सामाजिक कार्य के कारण हमको आदान-प्रदान मिलता है, हम सरकारी मशीनरी के पास जाकर बैठते हैं, दूसरे कार्यकर्ताओं के पास जाकर बैठते हैं, तो कई दफा यह महसूस करते हैं कि ऐसे भी कर्मचारी राज्य में हैं जिनसे सबक लेना चाहिए । वे बड़े नेक, बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े महनती लोग हैं। आप सबको एक घाट पानी पिलाने का नियम लागू मत कीजिए। आपकी सरकारी मशीनरी खराब हो रही है, शासन-व्यवस्था खराब हो रही हैं, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ढीला हो रहा है। प्रशासन–व्यवस्था ठीक हो, न्याय–व्यवस्था ठीक हो, इस तरफ सरकार ध्यान दे। आप और हम सब लोग और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो। मंत्रि-मंडल चुनने के बाद भी कांग्रेस पार्टी तो सिद्धान्त की ही बात कहती है और सिद्धान्त की बात कराना चाहती है। यदि आप लोग सिद्धान्त छोड़कर मंत्रि-मंडल में बैठने की बात सोचें या सिद्धान्तों को इन चेयर्स पर बैठकर भूलने की बात करेंगे तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अपने सिद्धान्तों का पालन कराना चाहती है, और सिद्धान्तों के लिए जैसा कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं सहमत हूं उनकी इस बात से कि आप न्याय करते समय क्यों डरते हैं। आप न्याय करके देखिये, आप व्यवस्था करके देखिये, जनता आपके साथ है, सब लोग आपके साथ हैं। इससे कोई खराबी नहीं होती है। डर करके एडजस्टमेंट की बात करना गलत है। एडजस्टमेंट आपके व्यवहार में हो सकता है। आप लोग यदि कोई जवाब नहीं दें तो आपकी बहुत बड़ी अकर्मण्यता है। लेकिन राजस्थान की जनता, मैं समझती हूं, यदि किसी अच्छे काम को आप मजबूत होकर साहस के साथ न्याय–व्यवस्था नहीं देंगे और एडजस्टमेंट में कमी नहीं करेंगे, तो उन्हें महसूस करना होगा कि इस बात के लिए ये दोषी हैं या दोषी नहीं हैं। यह मैंने निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय, समय ज्यादा नहीं लेकर मैं सरकार से सीधा निवेदन करना चाहती हैं कि आप प्रशासन–व्यवस्था को सुधारें, न्याय–व्यवस्था को सुधारें और सब लोगों को गलत रास्ते पर

Page No. 30

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

जाने से बचायें और खुद बचें ।

अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री **रामकिशन** (वैर) : मेरा नाम लिया आपने या रामानन्दजी का । यह तो कल बोल चुके हैं बाहर ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है। पिछले १५ दिनों से राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर हमने बहस की है, कुछ विभागों की मांगों पर भी बहस की है। अध्यक्ष महोदय, इस तमाम बहस से कुछ नतीजे निकलते हैं और वह नतीजा यह कि सरकार की नितियां, चाहे वह फूड–प्रॉब्लेम्स के सम्बन्ध में हों, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव हों, और चाहे वह फिस्कल हों। वह तमाम नीतियां आज जिस दिशा में जा रही हैं वह राजस्थान की जनता के हितों से टकराव में आती हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बात पर खास तौर पर मंहगाई पर बहुत चर्चा रही। सभी ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने मंहगाई के प्रश्न पर बहुत चिन्ता व्यक्त की। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो भी कदम उठाये उससे हाउस को सन्तोष नहीं हुआ, लेकिन आयन्दा लाम्ग रन में भी सरकार फूड प्रॉब्लेम को, खाद्यान्न की समस्या को भी हल करने के बारे में जो कदम उठा रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि लाम्ग रन में भी उसका वह नतीजा नहीं निकलने वाला है यदि सरकार अपनी नीतियों में बेसिक चेन्जेज नहीं करे, अपनी पॉलिसी में बेसिक चेन्जेज नहीं करे तो। बहुत अर्से पहले सरकार ने क्लेम किया था, शायद सन् ६०–६१ में कि हम अन्न के बारे में सेल्फ–सफिशियेन्ट हो गये हैं, सरप्लस हो गये हैं, एक्सपोर्ट कर सके हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है यह इस अर्से से हमारे सामने आई है, और आज भी, अध्यक्ष महोदय, जो अनाज के प्रॉब्लेम को साल्व करने की सरकार की नीति है वह केवल एक टैक्निकल तरीके से एग्रीकलचर में मदद करके और उसी तरह से अन्न की पैदावार को बढ़ाने की सरकार की कोशिश है। उसकी कोई उपयोगिता न हो उससे मैं इन्कार नहीं करता। टैक्निकल एड, अच्छे उन्नत तरीके पैदावार के–वह जरूर मददगार होते हैं, लेकिन जब तक हम बेसिकली यहां की भूमि समस्याओं को हल नहीं करेंगे, अध्यक्ष महोदय, हम बुनियादी तौर से अपनी इस पैदावार की समस्या, अन्न की पैदावार की समस्या को हल नहीं कर सकते। और इस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि या तो सरकार बहुत कम्प्लेसेन्ट है अपने खुद के जो कानून पास किये हैं उनसे। उसकी वास्तविकता से सरकार खुद वाकिफ नहीं है। वरना मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो सरकार के दिमाग में गलतफहमी है कि हमने बहुत रेडीकल लैण्ड रिफार्म्स कर दिये है। इस पोजीशन को स्टेबिलाईज़ करने की जरूरत है यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसको जितना जल्दी सरकार दूर सके उतना ही अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज भी चाहे नाम कुछ भी रख दिया हो, जमीन पर बिचौलिये मौजूद हैं। सरकार का यह ख्याल है कि हमने बिचौलिये खत्म कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिये, लेकिन वास्तविकता यह है कि पर्सेन्टेज पहले के मुकाबले में कम हो सकती है, लेकिन बिचौलिये काफी बड़ी तादाद में मौजूद हैं । हमारी एग्रीकल्चर इकोनामी में, पैदावार की बढ़ोतरी में एक बहुत बड़े रोड़े के रूप में आज भी शेयर–क्रापिंग, बटाई बावजूद कानून के अन्दर प्रेस्काइब्ड होने के, बावजूद १।६ बंटाई मुकर्रर होने के आज भी बंटाई बाकायदा जारी है, और एक बहुत बड़े भाग में कितनी है उस तरह का अन्दाजा मुख्तलिफ है, अन्दाजा २५,३०,४० और ५० पर्सेन्ट तक है, इस हद तक जहां इतनी आती है भूमि जिसमें कि सब टेनेन्ट हैं उसमें, अध्यक्ष महोदय, आधी बंटाईली जाती है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज इस समय इस सम्बन्ध में इन तमाम डिटेल्स पर इस प्रश्न पर बहस करने की बात नहीं है, लेकिन मैं निवेदनकरूंगा कि एक्चुअली लान्ग-रन में अगर सरकार अपनी पैदावार की समस्या को हल करना चाहती है तो केवल टेक्निकल तरीके से एग्रीकल्चर में हेल्प करने से स्वयं इस समस्या का निदान नहीं कर सकती है । रेडीकल रिफार्म्स जो भी प्लानिंग कमीशन निर्देशन दे रहा है उस दिशा में करने की आवश्यकता है । प्लानिंग कमीशन के खुद के निर्देशन के को किसी न किसी तरह से इवेड करना, गलत गलत स्टेटमेंट देकर, गलत स्थिति को सरकार प्लानिंग कमीशन के सामने की कोशिश करे और राजस्थान की वास्तविक स्थिति को दबाने का प्रयत्न करती है । अध्यक्ष महोदय, इस रूप में मैं यह निवेदन करूंगा कि आज भी लैण्ड पर इन्टरमीडियेरीज़ मौजूद हैं । किसान, एक्चुअल टिलर ऑफ दी सोइल, का एक्स्प्लोइटेशन भारी लगानके रूप में हो रहा है, आधा बांटा के रूप में हो रहा है और अब भी बावजूद आपके कानून के इजेक्टमेंट हो रहा है । Security of the tenure, tiller of soil को नहीं है । कानून आपका किसी तरह का रहा हो लेकिन tiller of the siol को इजेक्ट किया जाता है यह समस्या सरकार के सामने है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सीलिंग कानून बनाया और सीलिंग कानून को लागू भी कर दिया लेकिन उसमें जो बेसिक कमी है उस कमी को सरकार दूर नहीं करेगी तो उस कानून का इतना फायदा नहीं मिलने वाला है, भूमिहीन को जमीन नहीं मिलने वाली है । मसलन पार्टिशन आपने अलाऊ किया । लेकिन पार्टिशन गैर कानूनी बहुत से लोगों ने किया है । सरकार की ओर से इत्तला मिलती है, गैर कानूनी पार्टिशन रिकोग्नाइज नहीं होंगे लेकिन इस पर कौन एक्शन लेगा कौन इसके लिये पिटीशनर बनेगा, कौन दावा करेगा ? इनडिविज्युअल आदमी जिसका डाइरेक्टली इन्ट्रेस्ट नहीं बनता है वह तो पार्टी बनेगा नहीं । सरकार की जैसी मशीनरी है उससे भी आशा है नहीं, रेवेन्यू विभाग ने किस तरह से इस पर अमल किया है इसका व्यक्तिगत उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं । राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर हैं उनके खुद के गांव की हमने जांच की । उनके खुद के गांव में उनकी अपनी ही जमीन पर आधा बांटा वसूल हो रहा है और वह रेवेन्यू रेकार्ड पर आज भी मौजूद है, इस प्रकार के लोग अब भी मौजूद है...

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कौन है वे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोटा के श्री गजेन्द्रसिंहजी। उनके खुद के गांव में रेवेन्यू रेकॉर्ड हमने देखा है। बीबी के नाम से जमीन एन्टर्ड है, उसमें आधा बांटा लिया जाता है। ऐसे लोग कानून के इम्प्लीमेन्टेशन को लिये बैठे हैं, जहां वे खुद इस तरीके से करते हैं तो किस प्रकार कानून का इम्प्लीमेन्टेशन होगा, सरकार स्वयं सोच सकती है।

इसी प्रकार सीलिंग के कानून में पार्टीशन का प्रोविज़न रखा है, बहुत लोगों ने नाजायज़ पार्टिशन किये हैं। मेरी जानकारी में बहुत से केसेज़ हैं। हमारे अलवर जिले में श्री भोलानाथजी, जो स्वयं मंत्री पद रह चुके है, भौजपुर गांव में १२५ बीघा जमीन खरीदी ! किस तरह से खरीदी यह अपने आप में एक कहानी है। लेकिन सीलिंग से बचने के लिये उन्होंने उस जमीन को पांच जगह डिवाइड किया है। उनको कौन कहेगा, पहल करने के लिये कौन जायगा जब कि वे इतने व्यक्ति हैं ? इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने आस-पास की और जमीन पर कल्टीवेशन कर लिया अपनी जमीन के अलावा। जब पटवारी ने हिम्मत करके उनसे इस बारे में कहने की कोशिश की तो उसका तबादला वहां से करा दिया तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह उम्मीद करें कि क़ानून की अवहेलना नहीं करने दी जायगी। मैं सोचता कि जब तक सरकार खुद कड़ा कदम नहीं उठायेगी तब तक भूमि की समस्या हल नहीं हो सकेगी और भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी।

इसी तरह से हमने पिछले सेशन में कानून पास किया था राजस्थान एस्टेट्स एंड रिजम्पशन एक्ट पास किया था उसको अभी तक लागू नहीं किया गया। कहा जाता है कि उसको एसेन्ट नहीं मिला है। चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे प्रान्तीय सरकार हो वे एक ही पार्टी है और उनकी जिम्मेदारी है। हम यह मानते हैं कि यह साधारण तौर पर देरी नहीं हो रही है, कांग्रेस पार्टी की यह पॉलिसी है कि जनता के दबाव से कानून ले आये लेकिन उन लोगों के द्वारा पॉलिटिकल एडजस्टमेन्ट के हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वे एडजस्टमेन्ट करें कि हम यह रियायत देंगे वह देंगे, इस तरह से पेन्डिंग रखा है। पिछले सदन में हमने देखा कि उनके साथ समझौता किया जो लगान सन् ५० से वसूल किया जाना था उसको ६२ से तरमीम किया। अभी तक भूतपूर्व राजाओं पर पाबन्दी नहीं है कि वे जमीन सेल नहीं कर सकते। सरकार ने उनको छूट दे रखी है। कानून बना कर अलग रख दिया है। उनको खुली छूट है कि वे अपनी जमीन बेच दें, उसका पार्टिशन कर दें। सब काम हो चुकेंगे तब वे इस कानून को लागू करेंगे। इस तरह से हाफ हार्टेड मेजर्स काम में लाने से न जमीन की समस्या हल होगी न भूमिहीनों को जमीन मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह कुछ समस्याएं हल करने का सरकार ने आश्वासन दिया, यह भी आश्वासन मुख्य मंत्रीजी ने दिया, बावजूद मुख्य मंत्रीजी जल्दी त्यागपत्र देने की बात कर देते है। अध्यक्ष महोदय, वे इस समय मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने हाउस में इस बाद की घोषणा १९ अप्रेल, सन् १९६२ को की थी कि अलवर –भरतपुर जिले के निष्क्रमणार्थियों की भूमि पर जो प्री पार्टिशन टीनेन्ट्स बैठे हैं उनके साथ वही ट्रीटमेंट किया जायगा, जो गैर

श्री रामानन्द अग्रवाल)

मुसलमान बैठे थे उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वैसा ही इनके साथ किया जायगा यानि उनसे कीमत नहीं ली जायगी और जिस तरह से दूसरे खातेदारों को राइट्स मिल गये है उसी तरह इनको भी मिल जायेंगे। २ वर्ष से ऊपर हो गये लेकिन इसके लिये कानून नहीं लाया गया। यह ठीक है कि वसूली यहां पर नहीं की गई, वह भी श्रोर्डर से नहीं। अब भी वसूलियत होती हैं। जब मुख्य मंत्रीजी इस हाउस में आश्वासन देते हैं तो वह वर्ड श्रोफ लॉ है और उसका पालन करने के लिये जल्दी से जल्दी कानून लाया जायगा यह आशा की जा सकती है लेकिन अब तक नहीं लाया गया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं समझता हूं माननीय सदस्य जानते हैं कि इसका संबंध कस्टोडियन श्रॉफ इवेक्यूई प्रोपर्टी से होने के कारण, उनकी प्रोपर्टी होने की वजह से हम इस असेम्बली में इसका फैसला नहीं कर सकते। इसलिये वसूली रोक कर गवर्नमेंट श्रोफ इंडिया को स्वीकृति देने के बारे में बराबर मूव किया गया है। उनकी स्वीकृति के बिना कानून बनाने के लिये यहां लॉ नहीं सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके लिये तरीके और भी हैं। आपने और जमीन भी ऐसी टेक श्रोवर की है और कानून बनाये हैं। जिस तरह से जागीरदारों कीमीन का रिजम्पशन किया है उसी तरह से कस्टोडिन की जमीन का भी रिजम्पशन कर सकते है, चाहे इसके लिये कम्पेनसेशन देना पड़े—यह भारत सरकार और आप के बीच की बात है, अलग अलग नहीं है। टेक श्रोवर करने का कानून बना सकते हैं या भारत सरकार को प्रेस करके कानून बनवा सकते हैं। इस तरह से इसको इवेड नहीं किया जा सकता। लेकिम प्रश्न यह है कि करने की इच्छा है या नहीं। प्रश्न यह है कि दो वर्ष पहले आपने कहा था उसको अमली रूप नहीं दे सकते ऐसी बात नहीं है लेकिन इसके लिये इच्छा है या नहीं ? यह प्रश्न है। इस तरह से लीगल स्क्रिबलिंग्ज बताकर दिक्कत बताते हैं, जहां हल करने की इच्छा होती है वहां जल्दी हल हो सकता है और जिसको लटकाये रखना होता है उसको चाहें जब तक लटकाये रख सकते हैं। इसी प्रकार पुरुषार्थियों के साथ बातचीत करके समस्या हल की जा सकती थी लेकिन आज आपने उसको हल करने के बजाय लटका छोड़ा है।

इसी तरह से सवाई जमा के बारे में कहा गया था कि वसूल नहीं करेंगे यह उसका पहला क्लाज है लेकिन अफसोस है कि जिन्होंने तीन तीन बार किश्त दे दी है, जो खातेदार हो गये हैं अब भी उनसे कहा जाता है कि तुम से सन् ६३ तक की सवाई वसूल करेंगे। इसके लिये कईयों की कुड़कियाँ हुई हैं। इस प्रकार जिन लोगों से समझोता हुआ उसका वायलेसन है। जो कीमत तय की थी उससे ज्यादा वसूल की जाती है, क्लेम्स की बात एक तरफ रख दें, कर्जे की वसूली के लिये कुड़कियां होती हैं। गरीबों के साथ सरकार ने वायदे कर दिये लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता। सरकार ने जो कानून बनाये उनका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होता। यह खाली अलवर की बात नहीं है, गंगानगर में भी इसी प्रकार का प्रश्न है, और जिलों में अब

Page No. 34

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

किस्म के प्रश्न है। सरकार को सीरियस होकर खाद्यान्न की समस्या हल करनी है तो लैंड प्रॉब्लम में रेडिकल व्यू अपनाना पड़ेगा। रेडिकल व्यू अपनाने की आप की नीति नहीं है। लेकिन आप अपनी नीति को अपनाना चाहते हैं, प्लानिंग कमीशन ने जिसे स्वीकार किया है उसे ईमानदारी इन लैटर एंड स्प्रिट लागू करेंगे तो लोगों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अफसोस यह है कि सेबोटेजिंग होता है, ऊपर दिखाने के लिये कह दिया जाता है कि हमारे यहां सब समस्या हल हो गई हैं लेकिन रियलिटी दूसरी है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का सम्बन्ध है मैं उसके विषय में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत से विभागों पर बहस हुई, सरकार के सामने बहुत सी मिसालें आई जिनमें एक बात सामने आई कि प्राइमा फेसी मामलों में गड़बड़ी होने के बावजूद सरकार का हर मामले में यह रुख नहीं रहा कि सम्बन्धित व्यक्ति को सजा मिलेगी ही और उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जायगा। कितने ही क्वेश्चन अवर्स में यह देखा है, और डिपार्टमेंट्स के ऊपर बहस में देखा है। हमारी समझ में नहीं आता, यह सरकार आखिर क्यों करप्ट लोगों के केस को, जिनके खिलाफ प्राइमा फेसी केसेज हैं, क्यों लम्बा डाल कर, लीगल ओपियन का नाम लेकर, और जानकारी नहीं है यह बात कह कर कवर अप करने की कोशिश करती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक गम्भीर बात की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है, मुझे इस बात की खुशी है कि सदन में कल अपनी आथोरिटी पर बहस हुई कि हिन्दुस्तान में चुने हुए लेजिस्लेचर्स को सुप्रीम आथोरिटी है, विल आफ पीपुल सुप्रीम होनी चाहिए-इसको असर्ट करने के लिए भावनायें व्यक्त की। मैं यह चाहूंगा कि सदन अपने राइट्स के बारे में नहीं बल्कि पॉलिसी के बारे में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने के बारे में अपना यह राइट असर्ट करे कि जो सुप्रीम पॉवर है वह सदन या चुने हुए लोगों की संस्था है उनमें निहित होगी और कोई भी प्लेजेज, कोई भी एश्योरेन्सेज, कोई भी मुआयदा हो वह हाउस आफ दी पीपुल से ऊंचा नहीं हो सकता। अगर हिन्दुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता चाहती है कि इस तरह से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए तो उसे सरकार कानून की बिना पर प्लेजेज की बिना पर, एश्यारेन्सेज की बिना पर और मुआहिदों की बिना पर इन्कार नहीं कर सकती।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पता लगा है कि इस सदन में जो आई. ए. एस. आफिसर्स, सेक्रेटरीज और बड़े बड़े आफिसर्स की आलोचनाएं हुई हैं, वे आफिसर्स को बहुत महसूस हो रही हैं और वे आपस में मिलकर, मीटिंग करके जोइन्ट रिप्रजेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सदन के अन्दर रिप्रेजेंट न करें, तो क्यों इस प्रकार हमारे खिलाफ आरोप लगें, क्यों हमारी आलोचनायें हों, क्यों इस तरह की बातें हों। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह सरकार और मंत्री इन बड़े बड़े आफिसर्स, इन आई. ए. एस. आफिसर्स से दबी हुई है, यह सरकार उन लोगों के इशारे पर चलती है। यदि मैं कहूं कि वास्तव में राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सुखाड़िया नहीं हैं बल्कि श्री भगवतसिंह मेहता हैं, तो वास्तविकता में यह गलत नहीं होगा। इस तरीके से, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार में कमजोरी हो सकती है, किसी मंत्री में कमजोरी हो सकती है, इस सर्विस क्लॉस आई. सी. एस. ने, जिस तरह से फ्यूडलिस्ट्स ने अंग्रेजों से हिन्दुस्तान की आजादी का फैसला होते वक्त कहा था, हिन्दुस्तान की आजादी का फैसला होने से पहले हमारे हितों का फैसला होना चाहिए, उस तरह से कहा था और उस वक्त इनकी देश भक्ति हिन्दुस्तान की जनता के सामने आ गई थी........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमने कभी ऐसी बात नहीं कही। राजाओं के सामने जब सुझाव किया, भारत सरकार ने हमको बुलाया तब बात आरम्भ की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज़, जिसके माननीय सदस्य एक सदस्य थे, के जो ऑफिस होल्डर्स थे, उन्होंने क्या मेमोरेन्डम क्रिप्स मिशन के सामने किया था ? वह यह किया था कि हिन्दुस्तान से हम अलग है, हिन्दुस्तान में सुप्रीमेसी की सिक्योरिटी अलग मिलनी चाहिए। वह मनवा कर रहे, हिन्दुस्तान की जनता इस बात को जानती है और यह सही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस बात को स्वीकार नहीं करते ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज़ ने कोई मेमोरेन्डम ऐसा नहीं रखा कि हिन्दुस्तान से बिल्कुल अलग हैं। हम हिन्दुस्तानी हैं, हम हिन्दुस्तान के अन्दर रहे हैं लेकिन जब तक विधान निश्चित नहीं हुआ था तब तक हम भी यह नहीं समझ सके थे कि हमारी स्थिति क्या होगी, हमें कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ? यह कहा। आप कहते हैं जैसे पेट्रीयोटिज्म पर आपकी मोनोपोली हो और दूसरों की नहीं हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न........

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान से बातचीत राजाओं ने की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस समय के वाइसराय माउन्टबेटन और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके प्रति वफादार थे और उनके सम्मुख दरख्वास्त की कि हिन्दुस्तान की जनता के बीच और इनके बीच में क्या रिलेशन्स होंगे, उनको तय किया जाय। इस तरीके से, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह सौदा इन्होंने किया, उसी तरह से आई. ए. एस. सर्विस ने मुल्क के उस तंग वक्त में कहा : हमारे हितों को संरक्षण दिया जाय........

एक माननीय सदस्य : आई.सी.एस. !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आई. सी. एस. उसी कैडर में आई. ए. एस. हैं, उन्होंने मांग की कि हमारे इमोल्यूमेंट्स कम नहीं किये जा सकते, सर्विस कन्डीशन्स कम नहीं की जा सकतीं, हम लोगों का जो अधि-

Page No. 36

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कार है उसको कम नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आज हिन्दुस्तान में यह ऊंची सर्विस का तबका अपने अधिकारों, अपने हितों की बात करता है, और जो करोड़ों जनता भूखी और नंगी है उसको अन्धी समझता है और उस गारन्टी की बिना पर क्लेम करता है कि हिन्दुस्तान के लोग भूखे हैं तो भी हमारे कान्स्टीट्यूशन में उस गारन्टी की वजह से हमारी तनख्वाहें कम नहीं की जा सकतीं। वह इस बात का भी क्लेम करता है कि हिन्दुस्तान में और चाहे कितने ही परिवर्तन कर लें, कितने ही कानून बना लें लेकिन हमारी सर्विस कन्डीशन्स को चेंज नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, चाहे कान्स्टीट्यूशन में कोई बात लिखी हो, इस सदन को इस बात को असर्ट करना चाहिए कि विल ऑफ दी पीपुल्स सुप्रीम है, हिन्दुस्तान की जनता के अधिकार, हिन्दुस्तान की जनता के हित, राजस्थान की जनता के हित सर्वोपरि हैं। अगर कान्स्टीट्यूशन में दी हुई गारन्टी जनता के हितों के बीच में कोई दाखिल होती हैं तो हिन्दुस्तान की जनता उस कान्स्टीट्यूशन को बदलने की कोशिश करेगी और जो लोग कान्स्टीट्यूशन का नाम लेकर और शील्ड लेकर हिन्दुस्तान की जनता की छाती पर अपने हितों को रख कर अपनी रक्षा करना चाहती है, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहेगी।

तो आई. सी. एस. इतने सैंसटिव बनते हैं इस क्रिटिसिज्म से, और चाहते हैं अपने दफ्तर में बैठ कर चाहे जितनी गड़बड़ी करें, लेकिन चूंकि लोगों को फाइल नहीं मिल सकती, चूंकि उसका सबूत नहीं मिल सकता। इसलिए लोगों को कहने का मौका नहीं दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई कमजोर मिनिस्टर इस बात को मंजूर कर सकता है, जो कमजोर मिनिस्टर के कहने पर उनके दफ्तर पर नहीं जाय, जिनके कहने से रिपोर्ट पेश नहीं करें, वे इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यह आगस्ट हाउस नहीं करेगा, यह आगस्ट हाउस अपनी ऑथोरिटी एसर्ट करेगा चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, मुख्य मंत्री को यह अच्छा लगे या बुरा लगे, इस सरकार को यह अच्छा लगे या बुरा लगे। हाउस का यह चीज देखने का अधिकार है कि हमारी सर्विसेज किस तरीके से काम कर रही हैं, यह हाउस, आगस्ट हाउस जो कानून पास करता है, जो उसकी मन्शा है, उसको मिनिस्टर और सर्विसेज एक्जीक्यूट करती हैं या नहीं। हमने देखा है, जो यह आगस्ट हाउस पॉलिसी तय करता है उसमें सर्विसेज अपने तरीके से सेबोटेज करती हैं, उस पालिसी के अन्दर तरह-तरह से सेबोटेज करने की कोशिश करती हैं, एक गलत काम करवाती हैं मिनिस्टर से और फिर दस गलत काम खुद करती हैं। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वह मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता के अनुकूल नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सरकार की है, जो नीति है, पॉलिसी है सरकार की वह इन बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए नहीं है और छोटे छोटे कर्मचारियों के खिलाफ यह काम में लाते हैं।

(१०.६ म० पू०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापती, पदासीन)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह तस्वीर के दो पहलू हैं सरकार के जो जनता के हितों से मेल नहीं खाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमको बहुत सीरियसली इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौनसा औचित्य है इस बात में कि आप इन छोटे–छोटे कर्मचारियों को इतनी मंहगाई के बावजूद केवल पांच रुपये में संतुष्ट करना चाहते हैं और ये बड़े–बड़े ऑफिसर्स जो हैं, २,७००) रु० २,७००) रु० पाने वाले हैं और फिर भी इधर–उधर ब्लैक मार्केट का पैसा दबाने वाले हैं और फिर कॉन्स्टीट्यूशन की दुहाई दें और किसी तरह के प्रोमिसेज की दुहाई दें। हिन्दुस्तान की आजादी के वक्त अंग्रेजों से, आकाओं से कह कर कॉन्स्टीट्यूशन में जो चीजें लिखने को मजबूर किया है, उन चीजों को कायम रखना श्रेयकर नहीं हो सकता, लोगों के हितों के, जनता के हितों के अनुकूल नहीं है, इसलिये इस सरकार को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाते समय इस बात पर विचार करना होगा।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तो रही गारन्टी की बात। इसके अलावा और भी कई केसेज हमने देखे हैं और जिनको हम सरकार के सामने लाये मगर इस सरकार के अन्दर कितना अन्धेर है कि किसी न किसी तरह से उन केसेज को दबाये जाने की कोशिश की गई है। हम कितने एलर्ट हैं, कितने सेन्सिटिव हैं इसका उदाहरण तो हमें पब्लिक रिलेशन विभाग के डाइरेक्टर के खिलाफ जांच से चलता है। इसके लिये सन् ६२ से हम आपसे जांच के लिये मांग करते आ रहे हैं और आप कहते हैं की जांच चल रही है। आज उस जांच को चलते चलते तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है फिर भी आप कुछ नहीं कर पाये हैं। वह ऑफिसर वहीं पर काम कर रहा है। उनके खिलाफ आपके पास सबूत ठीक होते हुए भी तीन वर्ष तो हमें देखते हुए हो गये और कहते हुए हो गये मगर इसके बावजूद भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की और आपकी जांच ही चल रही है। इससे साफ जाहिर है कि आप जान बूझ कर देरी करना चाहते हैं और justice delayed means justice denied. आप उनके खिलाफ प्राइमा फेसी केस मानते हैं और यह भी मानते हैं कि चार्ज सही है मगर आप उनको, आज तीन साल का अर्सा हो गया, निलम्बित भी करने को तैयार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मिस्टर एम० एल० सेठी, डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के बारे में बहुत सीरियस बातें कही गई हैं और यह भी कहा गया कि इस हाउस को आपने कॉन्फीडेन्स में नहीं लिया। यह शख्स भी अभी तक वहां पर ही अपना काम कर रहा है इसके खिलाफ इतने सीरियस चार्जेज होते हुए भी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार को शीघ्र ही अपनी इस एडमिनिस्ट्रेटिव पोलिसी को चेन्ज करने के बारे में एक निर्णय लेना पड़ेगा कि जिससे आई० ए० एस० और बड़े बड़े अधिकारी जो आटोनोमस हो गये हैं, उनके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाया जा सके।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अगर यह सरकार सही तरीके से इस सदन की इच्छाओं द्वारा बनाये हुए कानूनों को पास कराने के बाद उन कानूनों को अमल में नहीं ला सकती तो इस हाउस का यह कर्त्तव्य है

Page No. 38

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस हाउस को उन पर विजिलेन्स रखना होगा और रख रहा है और फिर भी ज्यादा तेजी से विजिलेन्स रखना होगा। अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि........

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री गिधारीलाल व्यास) बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्रीमती सभानेत्री : अभी इन्होने समाप्त नहीं किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने अभी समाप्त नहीं किया है।

श्रीमती सभानेत्री : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे बजट में तीन बातें मुख्य तौर से ध्यान में रखनी होंगी। फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने दो हैं। एक तो यह कि जो लोन्स हैं उनका चुकारा हमको सेन्ट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ता है। यह बड़ा कम्पेन्सेशन देना पड़ता है जो बहुत भारी होता है। वास्तव में भारत सरकार से इस सम्बन्ध में सीरियसली आपको बात करनी चाहिये। आप लोन्स ले रहे हैं और उन लोन्स को ऐसे कामों में खर्च कर रहे हैं जिसका रिटर्न आपको जल्दी नहीं आने वाला है। आप उसको लोग-टर्म में खर्च कर रहे हैं। लोन को आप ज्यादातर राजस्थान केनाल, भाखरा या चम्बल के कामों में खर्च करते हैं। जिसका रिटर्न आपको अभी जल्दी मिलने वाला नहीं। वह रिटर्न आपको फोर्थ प्लान में जा कर आवेगा मगर वह कर्जा जो आपने लिया है उसको तो आपको पहले ही देना पड़ता है। इसलिये ऐसी हालत में आप अपने बजट को संतुलित नहीं रख सकते। जब तक आप इसमें तब्दिली नहीं करायेंगे हम आपको कितना ही पैसा क्यों न दे दें फिर भी आप घाटे की बात ही हमेशा करते रहेंगे।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बावजूद इतनी बहस के, नतीजा यह निकलता है कि आप अपनी टैक्सेशन की पॉलीसी है उसको बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। इसके लिये बराबर हर डिपार्टमेंट की मांग पर बहस करते समय निवेदन किया गया मगर आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। अन्ततोगत्वा कुछ तो आपको करना चाहिये। आपके कुछ तो वे टैक्स हैं चाहे वे जागीरदारों के हों, चाहे राजाओं के हों, मगर उनको वसूल करने के लिये आप अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। क्योंकि आपने उनको एश्योरेन्स दिये हैं और आपके हाथ उन एश्योरेन्स से बन्धे हुए हैं। कुछ आप आर्थिक कठिनाइयों को और चीजों के भावों में वृद्धि के औचित्य को मानते हैं और आपने लोगों की तनख्वाह बढ़ाई है, इस बात को आप मानते हैं कि मंहगाई भत्ता दिया गया है वह थोड़ा है और इस बात को भी आप मानते हैं कि आर्थिक संकट है, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर आपको देखना चाहिये कि क्या कर सकते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहता हूँ कि अगर राजस्थान इन नीतियों को बदलने के लिये आगे बढ़ सकता है तो बहुत उचित है और अगर आप इस बात पर अड़े रहे, इन नीतियों को नहीं बदला जाय तो जनता के पास सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वह इसके लिये आन्दोलन करके आपकी नीतियों को बदलने के लिये आपको मजबूर करे। आपने राजा महाराजाओं और जागीरदारों को जो कन्सेशन की छूट कॉन्स्टीट्यूशन में दे रखी है और जिसके द्वारा आपके हाथ बन्धे हुए हैं, तो मैं यह कहूंगा कि पब्लिक इस कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर रहते हुए इस कोन्सटीट्यूशन को तोड़ेगी।

We will break this Constitution within this Constitution.

जिससे आप इस बात को लेकर यह न कह सकें कि .. ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। Within this constitution, we will break this constitution, आपका इससे क्या मतलब है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस प्लेज को आप आए दिन कहते हैं कि सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उन लोगों को एश्योरेन्स दिया है और कॉन्स्टीट्यूशन में रखा है, जिसको आप इतना पाक और साफ मानते हैं लेकिन राजाओं के प्रीवी पर्स के सम्बन्ध में बोलते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टीट्यूशन है उसमें एश्योरेन्स दिये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से किया हुआ है। जिस समय Independence of India का एनाउन्समेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट में हुआ उसकी तहत आपने कॉन्स्टीट्यूशन में यह किया है। वह कांग्रेस पार्टी का एश्योरेन्स हो सकता है, वह सरदार वल्लभभाई पटेल का एश्योरेन्स हो सकता है लेकिन हिन्दुस्तान की जनता इससे पाबन्द नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : यह कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है न यह सरदार पटेल का ही है। सरदार पटेल भी जनता के प्रतिनिधि थे और उन्होंने जनता के प्रतिनिधि के नाते यह एग्रीमेंट किया था।

(शोरगुल)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir. आपने यहां जितने माननीय सदस्य चुन कर यहां सदन में आये हैं उन्होंने सबने यहां पर सत्य निष्ठा से कॉन्स्टीट्यूशन के प्रति वफादारी की कसम खाई है फिर इस सदन में इस तरह की कोई बात माननीय सदस्य को नहीं कहनी चाहिये और यदि कोई कहता है तो वह गैर जिम्मेदारी की बात कहता है और वह गद्दार है जो इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातें कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन कॉन्स्टीट्यूशन की जिन धाराओं का आप नाम लेते हैं वे जनता के .. ....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह जो गद्दार शब्द हमारे यहां पर कहा गया है,

Page No. 40

(श्री मानसिंह महार)

मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां पर ये गद्दार कौन हैं !

(शोरगुल)

गद्दार ये हैं !

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम न तो इन लोगों की इच्छा से यहां आये हैं न आपकी इच्छाओं से यहां आए हैं । हम जनता की इच्छा से यहां आये हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कॉन्स्टीट्यूशन के प्रति वफादारी की कसम यहां खाई है फिर भी संविधान के बारे में इस तरह कहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनता ने हमें भेजा है । अध्यक्ष महोदय, इस कॉन्स्टीट्यूशन को हमने स्वीकार किया है और इस कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर रहते हुए इस कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार हम काम करते हैं और करते रहेंगे और इस कॉन्स्टीट्यूशन की अगर कोई धाराए जनता के हितों के विरोध में जाती है तो हम प्लेज्ड हैं, हमें अधिकार है, हम कोई बन्धे हुए नहीं है We will break those aricles of the Constitution हम उन धाराओं को बदलेंगे, उनमें परिवर्तन करायेंगे....

श्री मानसिंह महार : आप कहते हैं कि हम कॉन्स्टीट्यूशन को ब्रेक करेंगे, यह बात मोस्ट ओब्जेक्शनएबल है । आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते । अगर ब्रेक करेंगे तो जेल में आपको जाना पड़ेगा । आपके हाथ की बात है कन्स्टीट्युशन को ब्रेक करना ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चिड़ते क्यों हैं ? प्रिवीपर्स तो चाहे स्वतन्त्र पार्टी सारी की सारी दूसरी पार्टीज को मिला कर कोशिश कर ले, चाहे कांग्रेस के नेता भी मिल जावें तो भी मैं यह कहूँगा आपका यह प्रिवीपर्स अब नहीं बच सकता । हिन्दुस्तान की जनता इसके लिये कटिबद्ध है । इस प्रिवीपर्स और प्रीविलेज को खतम करने को जनता कटिबद्ध है । यह कॉन्स्टीट्यूशन के पहले हुआ है इसमें हमें परिवर्तन कराना होगा। अगर कांग्रेस की सरकार इसमें परिवर्तन नहीं करेगी तो कांग्रेस की सरकार को उठाकर फेंक दिया जाएगा, जनता उसको उठाकर फेंक देगी । इसलिये मैं आपसे निवेनन करूंगा कि यह एक सिद्धान्त की बात है आपके लिये अच्छा हो कि आप इसके लिये पी. सी. सी. में आपस में बात कर लें ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : Point of Order, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम जब इस प्रिवीपर्स की बात कहते हैं तो आपको तिलमिलाहट क्यों होती है । आपके प्रिवीपर्स को जब खतम करने की कहते हैं तो आपको तिलमिलाहट होती है और आप यह कहते हैं कि पुलिस बहुस अच्छा काम करती है ।

श्रीमती सभानेत्री : पोइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री फूलचन्द जैन : मैं यह निनेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि हम संविधान की धाराओं को तोड़ेंगे । हमारा संविधान कितना पवित्र है

(श्री फूलचन्द जैन)

उसके प्रति वफादारी की शपथ हमने ली है तो ऐसी हालत में जो माननीय सदस्य ने कहे हैं उनको वापिस लें।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आपको काफी समय हो चुका है, अच्छा हो कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से बहुत गम्भीरता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार की बागडोर आपके हाथ में है, आपकी सरकार के नीचे बने कानून के तहत हम काम कर रहे हैं, आप इस बात पर विचार कीजिए कि यदि आप जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लाना चाहते हैं तो उन गारन्टियों को जो चाहे राजाओं को दी हैं, चाहे सर्विसेज को दी हैं, चाहे केपिटेलिस्ट्स, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स को प्रोपर्टी के कम्पेन्सेशन के रूप में या और किसी रूप में दी हैं, उन गारन्टी को वापिस लेना होगा, क्योंकि आज समाजवाद कायम करने में वे एक बहुत बड़ा रोड़ा हैं। तो मैं इस सरकार से कहूंगा, आप चाहे फिर अपनी पार्टी में मुख्य मंत्री से, चाहे वित्त मंत्री से नाराज हों अगर वास्तव में आगे बढना चाहते हैं तो इसमें बेसिकली चेंज करनी होगी, हम साफ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की यह सरकार वह नहीं कर रही है। कि अपने आश्वासनों को वापिस ले जो इन लोगों को इसने दिये हैं।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : कान्स्टीट्युशन को तोड़ेगे ये जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे हैं उनके सम्बन्ध में पोइन्ट आफ आर्डर रेज किया गया है पहले उसके सम्बन्ध में निर्णय दिया जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : Within the Constitution कान्स्टीट्यूशन की धाराओं को तोड़ेगे, यह कहा है। सभापति महोदया, ये ४७ के बाद के कांग्रेसी हैं इनको पता नहीं है १९३७ में महात्मा गांधी ने इन शब्दों को यूज किया था। जब महात्मा गांधी ने यह कहा था, ३५ में गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट आया तो प्रोविन्शियल इकोनोमी को स्वीकार किया जाय या नहीं इस सम्बन्ध में दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया था। इस सम्बन्ध में बाद में आने वाले परमिट लाइसेंस वाले कांग्रेसियों को पता नहीं, पुरानों को तो पता है....

श्रीमती सभानेत्री : समय काफी हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल एक मिनट ....

He had said, "We will accept this Government of India Act. We will accept this provincial autonomy. We will enter into Ministries but we will break the Constitution within the Constitution.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : Don't misinterpret the things.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये उस कान्स्टीटयूशन में काम करते हुए देख लेंगे कि

Page No. 42

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह कान्स्टीटयूशन जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकता इसलिये इसमें मौलिक परिवर्तन करने होंगे। आज हिन्दुस्थान की जनता इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि जो आपने अलग अलग इनिडविज्युअल्स को अलग अलग वेस्टेड इन्टरेस्ट्स को अलग अलग गारन्टियां दी हैं वे लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं और समाजवाद को कायम करने के प्रतिकूल हैं इसलिये जनता उसको बदलेगी, उसकी इस तरह की धाराओं को बदलेगी, इधर बैठने वाले माननीय सदस्य इसके लिये कटिबद्ध हैं, हर तरह इस कान्स्टीट्युशन के तहत कार्य करते हुए इस सदन में ही नहीं बाहर भी हमें काम करने का अधिकार है जनता के संगठनों से उसको बदलेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी (सभानेत्रीजी), जो सारी बहस हुई प्रिवीपर्स की धारा बदले, नहीं बदले यह अलग बात है, मुख्य बात यह है कि कान्स्टीट्यूशन अमेंड हो सकता है, चाहे इसमें मतभेद हो, कोई कह सकता है कि कान्सटीट्यूशन में अमेडमेंट होना चाहिये, जो इस बात में विश्वास करते हैं, यह कहने का उनको अधिकार है। लेकिन कान्स्टीट्यूशन को हम ब्रेक करेंगे और फिर सिर्फ कान्स्टीट्यूशन की खानापूर्ति के लिये कह दें कि Within the Constitution रह कर तोड़ेगे। तो मैं समझता हूं कि "तोडेंगे" यह शब्द कान्स्टीट्यूशन के लिये कहना अन कान्स्टीट्यूशनल है। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि कॉन्स्टीट्यूशनल तरीकों से अमेंडमेंट करायेंगे। कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ेगे, यह बात गलत है, डेमोक्रेसी के मूल बेसिस के खिलाफ है। इसलिए उस बात के बारे में माननीय सदस्य स्पष्ट करें कि By democratc means की बात करते हैं या कान्स्टीट्यूशन को ब्रेक करने वाली बात पर इन्सिस्ट करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति....

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : Point of Order.

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य रामानन्दजी जवाब देंगे, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। Order ! Order Pleasse !!

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा पोइन्ट ऑफ आर्डर है। मैं एक मिनट में ही अर्ज कर देता हूँ। सदन के नेता ने प्रस्ताव रखा है कि इस प्रकार की बात को विथ्ड्रा करें, इसके लिए मैं अपना प्रिविलेज समझता हूँ बोलने का। जहां तक विधान सभा में विचार रखने का सवाल है, मैं यह भी कहने का अधिकार रखता हूँ कि जिसको हम ठीक नहीं समझते उसको तोड़ेंगे......

(शोरगुल)

मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ता हूं, कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं तो आपको अधिकार है कि आप मेरे खिलाफ कार्यवाही करें।

(शोरगुल)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, Order ! Order please !!

श्री मुरलीधर व्यास : कहने का अधिकार हमको बराबर है। जहां तक तोड़ने का

(श्री मुरलीधर व्यास)

सवाल है आप कार्यवाही करें, पर यहां पर हमारे प्रिविलेज का प्रश्न है। कहने का हर एक को अधिकार है। इस कहने के अधिकार पर प्रतिबन्ध हो कि यहां नहीं कह सकते तो मैं समझता हूं कि यह प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, यह कहने का हमें अधिकार है, यहां।

श्रीमती सभानेत्री : Order ! Order please !! आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, इसका उत्तर माननीय रामानन्दजी देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : हम तो यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार शब्दों पर बल दे रहे हैं, यह उचित नहीं है।

(१०.२७ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष,.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष ....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Please hear !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, कौन बोल रहा है ?

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया गया है और वह हमारे कॉन्स्टीट्यूशन की सेंक्टिटी के सम्बन्ध में है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलततरीके से इन्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इस बात का निर्णय जब तक नहीं हो जाता तब तक आगे की कार्यवाही नहीं की जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): जैसा कि सदन के नेता ने कहा कॉन्स्टीट्यूशन कान्सटीट्यूशनल तरीकों से अमेंड हो सकता है, यह कोई नई बात नहीं है पर यह कह दें कि कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ेंगे, सर्विसेज़ की गारन्टी नहीं होगी, सर्विसेज़ की गारन्टी विथड्रा कर ली जायगी तो फिर इस तरह से तो इस देश के शासन में चीन को इन्वाइट करना होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पासपोर्ट ले लें ब्रिटेन का।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कॉन्स्टीट्यूशन के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिये, उसकी अक्षुण्णता को बनाये रखने के लिये बड़े नाप तौल कर शब्द कहने चाहिये। कॉन्स्टीट्युशन को तोड़ने की बात कहना सदन की परम्पराओं के और लोकतन्त्र के प्रतिकूल है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यहां यह उठा है।

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : The Chair is on its legs.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I cannot hear like that.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरिदेव जोशी : पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाया गया है ...

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ आर्डर पर ही बात चल रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सीधे सादे सवाल को तोड़मरोड़ कर गलत अर्थों में लिया जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप कह दीजिए ना कि यह उनकी मंशा नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सुन लीजिए। इस देश के अन्दर इस वक्त संवैधानिक शासन चलता है। हमने संविधान के तहत शपथ लेकर कार्य करने की प्रतिज्ञा की है। लेकिन संविधान की अमुक धारा है, आर्टिकल है, जिसे अनुच्छेद कहते हैं वह आज की जनता की मांग के विपरीत आता है, हमारी प्रोग्रेस में रोड़ा अटकाता है। तो समय का तकाजा है कि जो कुछ प्रिविलेजेज़ के नाम पर जो हमने इन राजाओं और महाराजाओं को दिया है और जो जनता का खून चूसने वाला डकस और मारसेल्स का लाइसेंस है उनको तोड़ने के लिए Within the Constitution हम मांग करते हैं। आपकी भावना भी वही है। मैं समझता हूँ कि आप भी सोचते हैं कि देश में समाजवाद लाना चाहिए आप भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हम भी उस प्रोग्रेस को हमारे यहां पर....

(कोलाहल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझता हूँ कि जिस वक्त...

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य से क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ कि कॉन्स्टीट्यूशन में प्रिवीपर्सेज़ को देने की गैरंटी कौनसे आर्टीकल में है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! अब आप कह चुके हैं। अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं नम्र निवेदन कर रहा था कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप निवेदन कर चुके हैं। स्थान ग्रहण करें। Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जो व्यक्ति इधर बैठने वाले हैं, मैं कांग्रेस बैंचेज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उनकी भावनाएं भी इस मामले में वही हैं क्योंकि वे सही माने में समाजवाद की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता का यह अधिकार है कि अगर इस देश को आजादी के मार्ग पर चलाना है तो उन कॉन्स्टीट्यूशन की धाराओं को जो जनता की प्रोग्रेस के बीच में आती हैं, उनको कॉन्स्टीट्यूशन के प्रावधानों के भीतर रहकर संशोधन करके उनको तोड़ डालेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान हमारी रक्षा के लिए है न कि हम संविधान के लिए हैं। उन धाराओं की रक्षा के लिए हम अपने विचार स्वतंत्रापूर्वक रख सकते हैं। हो सकता है कि यह आपको ग्राह्य हो या नहीं, परन्तु हमारा प्रिविलेज है, भाषण की स्वतंत्रता, विचारों की

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

स्वतंत्रता मिली है, हम कोई अनुचित बात नहीं कहते हैं प्रिविलेज के अन्दर बोल रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : जिस समय अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी उत्तेजना में कहा था........

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि कुछ भी बात हो उत्तेजना का वातावरण बनाने के बजाय एक एक व्यक्ति सुनने का प्रयत्न करें तो आसन भी सुन सके और उसके बाद में जो कुछ निर्णय होगा वह हो जायगा, लेकिन कम से कम शोरगुल करके इस सदन की प्रतिष्ठा को धक्का न पहुँचाएं और दूसरों को भी अपनी बात कहने का अवसर दें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि जिस समय माननीय सदस्य ने "तोड़ना" शब्द कहा उस समय मैंने समझा था कि जितनी गर्मी से वे बोल रहे थे तो अमेंड करने के बदले तोड़ना कह दिया हो मगर उसके बाद में जितनी बहस हुई है, उसमें अपनी बात पर एडमंट हैं। उससे उनकी मन्शा कॉन्स्टीट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टीट्यूशन की सैंक्टिटी के बारे में बहुत स्पष्ट है। सब लोग अनुभव करते हैं कि कॉन्स्टीट्यूशन तोड़ नहीं सकते, कान्स्टीट्यूशन अमेंड किया जा सकता है। जो लोग कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ने की बात कहते हैं वे डेमोक्रेटिक वेज में बिलीव नहीं करते हैं। जो लोग कॉन्स्टीट्यूशन को अमेंड करने की बात करते हैं, वे अपनी मन्शा के अनुसार, अपने अनुकूल देश में वातावरण बनाकर उसे अमेंड करवाने की बात करते हैं, उसे तोड़ने की बात नहीं करते। तोड़ने की बात तो वे ही करते हैं जो यह अनुभव करते हैं कि देश हमारे साथ में नहीं है। तो दो फंडामेंटल्स हैं। एक बात पी. एस. पी. और एस० पी० के माननीय सदस्यों ने कहीं। पर जिन मुद्दों पर उनके सेन्टीमेन्ट्स हैं दूसरे लोगों के सेन्टीमेंट्स भी उनसे कम नहीं हैं। प्रश्न यह है कि कॉन्स्टीट्यूशन अगर अमेंड किया जाता है तो देश को साथ में लेकर किया जाता है। कॉन्स्टीट्यूशन तोड़ने की जो चीज है तो डेमोक्रेटिक मेथडस से हर्गिज कॉन्स्टीट्यूशन तोड़ा नहीं जा सकता। जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते वे कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ने की बात करते हैं। दुनियां में ऐसे कई मुल्क हैं जिनमें कई लोगों ने खुले दिल से कहा है कि हम कॉन्स्टीट्यूशन में बिलीव करते हैं, मगर अवसर आने पर उनकी भावनाएं ऐसी हुई हैं कि कॉन्स्टीट्यूशन तोड़ने की हरकतें की हैं। इसलिए स्पष्ट शब्दों में 'हां' या 'ना' कहा जाय। मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि सदन भी जानना चाहता है और इस सदन का अधिकार है कि माननीय सदस्य और उनकी पार्टी किस पॉलिसी में बिलीव करते हैं–आया वे चाहते हैं कि जहां अनुकूलताएं नहीं हैं, देश की पार्लियामेंट यह अनुभव करे, देश का इलेक्टोरेट अनुभव करे, कि अमुक धाराएं देश को आगे ले जाने वाली नहीं हैं तो उन्हें अमेंड किया जाना चाहिये अथवा वे यह अनुभव करें कि देश साथ में नहीं है, अमुक चीजें सूट नहीं करती हैं वहां उन धाराओं को तोड़ दिया जाय। एक पृष्ठभूमि हमारे सामने है कि पिछले दिनों डी० एम० के० ने हमारे देश की एकता को धक्का पहुँचाने की कोशिश की, उसके बाद में एक प्रावधान हुआ कि हम कॉन्स्टी-

(श्री हरिदेव जोशी)

ट्यूशन के प्रति वफादार रहेंगे। यह शपथ हम सबने ले ली है उसके ऊपर कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ेंगे। जैसे Leader of the opposition ने कहा, इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, गंभीरता देनी चाहिए, कॉन्स्टीट्यूशन एक सेक्रेड चीज है, तोड़ने की इसमें बात हो तो वह ठीक चीज नहीं है। इसलिए इस बारे में स्पष्टता पहले होनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप अपनी रूलिंग दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने दो शब्द संविधान के विषय में हैं........

श्री हरिदेव जोशी : आपसे भी पूछ लिया जाय कि क्या कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो स्पष्ट आ चुका है।

श्री हरिदेव जोशी : सदन के सामने स्पष्ट है कि कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ने की चीज है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे बहुत हमदर्दी है कि गवर्नमेंट के मुख्य सचेतक और मुख्यमंत्री महोदय से, जो भी उनकी लैंग्वेज के बारे में समझ है........

श्री उपाध्यक्ष : बीच में एक बात और कह दूं। माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि बहस सुन्दर शब्दों में हो, चाहे उसमें कितनी भी गर्मी आ जाय; किन्तु अभद्रता का वातावरण और दुर्व्यवस्था का वातावरण नहीं बनना चाहिए। वह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बहस चले उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इस सदन की प्रतिष्ठा को रखते हुये चलें। yes, please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने बात कही थी, सचेतक महोदय ने उसके एक हिस्से की बात कही है....

श्री हरिदेव जोशी : मैं सचेतक नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ दूसरे बन गए क्या? जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात को कहा कि कॉन्स्टीट्यूशन को तोड़ेंगे। दूसरा जो उसका हिस्सा है उसको दबा गए। मैं समझता हूं, यह सप्रेशन ठीक नहीं है। मैंने यह साफ तौर पर कहा था "We will break the Constitution within the Constitution".

इसका साफ मतलब यह है कि इस कोन्स्टीट्यूशन के अन्दर रहते हुए इस कोन्टीट्यूशन की धाराओं के तहत काम करते हुए हम जिन धाराओं को जनता के हित के विरूद्ध समझते हैं उनको तोड़कर रहेंगे। रहते हुए धारा किस प्रकार तोड़ी जा सकती है वह इस तरह कि हम देश में इस प्रकार का वातावरण जनता में तैयार करेंगे जिससे जनता इस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह से इस सरकार को फेंक कर इस प्रकार की सरकार कायम करेंगे जो संविधान को बदलेगी। यह सुनकर बड़ा दर्द

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुआ हमारी रूलिंग पार्टी को कि हमारी मिनिस्ट्री चली जायगी इस वजह से पोइन्ट ऑफ प्रीविलेज उठाकर किसी को दबाना चाहेंगे तो हम दबने वाले नहीं हैं।

दूसरी बात मैं साफ तौर पर उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखें कि आप कितने संविधान के प्रति वफादार हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से बराबर आप कहते हैं हम सेन्टर के आदेशों का पालन करते हैं, भारत सरकार जो आदेश देती है उसको हम पूरी तरह से पालन करते हैं, उसको मानने के लिये कटिबद्ध हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट का आदेश है यू. पी. से गुड़ आना बन्द हुआ पंजाब ने गुड़ बन्द किया उपाध्यक्ष महोदय, कामां के अन्दर गुड़ आ रहा है खैरथल के अन्दर गुड़ आ रहा है लाखों मन आ रहा है, ब्लैक मार्केट हुआ है उससे लोगों ने करोड़ों रुपये कमाये हैं क्या आप उसको बन्द कर रहे हैं, सरकार देख रही है लेकिन वह बन्द नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के पास पुलिस डिपार्टमेंट है इस प्रकार जो आप सेन्टर के आदेशों को अबेट कर रहे हैं वह क्या है ? क्या यही संविधान के प्रति आपकी वफादारी है केन्द्रीय सरकार के प्रति वफादारी है जिससे आप विरोधी तत्वों को इस प्रकार प्रश्रय दे रहे हैं। नाजायज फायदे उठावें, केन्द्रीय सरकार की नीति को सैबोटेज करें, केन्द्र की पॉलीसी को सैबोटेज करें और आप आंखें बन्द करके देखते रहें, क्या यही संविधान के प्रति आपकी वफादारी है, केन्द्रीय सरकार के प्रति वफादारी है ? हम साफ कहना चाहते हैं कि जो आपने वायदे किये हैं राजाओं से, आपने जो भी कुछ सरमायेदारों से वायदे किये हों हम उसके पाबन्द हर्गिज नहीं हैं, हम उनको बदलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अब समाप्त हो गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): He is blowing hot and cold in the same breath. This august body functions under specific and definite rules. Under these rules we should discharge our functions. How can you blow hot and cold in the same breath and say that within the framework of the constitution you will break it ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह आपकी समझ में आना मुश्किल है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Is it logic, I ask ? I don't understand. If you want to amend the Constitution, there is a set method. There is a prescribed way of amending that august instrument.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): यह भाषा का सवाल है भाषा के विद्वान ही समझ सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Here there is no logic, there is no responsibility, as if this august House was functioning under complete anarchy. I cannot understand.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन लोगों ने वाइसराय के आगे सिर झुकाया हो वे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

समझ नहीं सकेंगे ।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : That is a different matter. That is a matter of opinion. Probably one of the leading members of the Communist Party also was cowed down and bowed down before the Viceroy. Correspondence has come out in the open and I think whereas we professed and practised alike, here there are actions, omissions and commissions with regard to which the hon. Member's party has all sorts of mental reservations, which is neither here nor there. I have nothing more to submit. I have only to say that the rules of the House must be observed. There must be a dignified and proper decorum with respect to our approach to the Constitution, and sanctity of that sacred document.

श्री उपाध्यक्ष : I think quite a lot of discussion has been done on this. I shall now give my observations on it. सदन के सामने संविधान के विषय में दो शब्द उपस्थित हुए हैं एक तो तोड़ने का शब्द इस्तेमाल हुआ है विशेष संदर्भ में। एक संशोधन का। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि तोड़ने का अर्थ क्या है और संशोधन का अर्थ क्या है। इसी अर्थ पर सारी स्थिति निर्धारित है संदर्भ सहित। इससे पहले कि इसके अर्थ के अन्दर पढ़ा जाय मैं यह व्यक्त करना चाहता हूँ प्रत्येक माननीय सदस्य जो इस सदन में आया है उन्होंने देश के प्रति, संविधान के प्रति, वफादारी की शपथ ली है। इस प्रकार शपथ लेने पर ही उनका लीगल करेक्टर यहां बैठने का हुआ है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक माननीय सदस्य इस दायरे में रहते हुए देश के प्रति, संविधान के प्रति इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करे जो देश के प्रति वफादारी व्यक्त की गई है और संविधान के प्रति वफादारी व्यक्त की गई है उनमें किसी प्रकार का लोच प्रदर्शित करता हो, तो वह ठीक नहीं।

अब प्रश्न यह है कि जो यहां पर माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल ने विचार व्यक्त किये हैं उसके पश्चात् श्री मुकुट बिहारीलाल ने विचार व्यक्त किये हैं और भी जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने अपना अपना संदर्भ बताया कि उन्होंने किस आशय से इस शब्द को रखा था। उस आशय को जानने के लिये यह आवश्यक हो जाता है उस सारी प्रोसिडिंग को पूरी तरह से स्टडी किया जाय। यह मैं निवेदन जरूर करूंगा कि इस सदन के अन्दर संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति अधिक आदर-सूचक शब्द ही प्रयोग होने चाहिये। संशोधन करने का, परिवर्तन करने का हमें हक है। परिवर्तन का अर्थ यह नहीं हो सकता कि जैसे उदाहरणार्थ राष्ट्र में जो कोई राष्ट्रीय सत्ता काम करती है यदि किसी के ख्याल से वह अच्छा काम नहीं करती है तो उस सत्ता विशेष को बदलने के बजाय राष्ट्र ही को दूसरों को दे देंगे। यह अर्थ कभी नहीं होना चाहिये परिवर्तन का। यह तो गद्दारी होगी। संविधान में परिवर्तन करने का पार्लियामेन्ट हक रखती है लेकिन उसको बिल्कुल ही खंड विखंड करके बिल्कुल खत्म कर दे यह हमारा हक जिस प्रकार की सौगन्ध ली है उसके अनुकूल नहीं। इस

Page No. 49

(श्री उपाध्यक्ष)

सब को देखते हुए युक्ति रखनी होगी, चेतना रखनी होगी, हम इस प्रकार का व्यक्तिकरण सदन में न करें।

अब प्रश्न रह जाता है इस प्रकार के जो शब्द प्रयुक्त हो गये हैं उनके बारे में क्या निर्णय लिया जाय, उनके लिये अन्तिम रूलिंग रिज़र्व की जाती है जब तक कि सारी चीजों को देख न लिया जाय।

That will be examined by the hon. Speaker. मैं समझता हूँ, श्री रामानन्दजी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उनके बाद तो मैंने शुरू कर दिया था।

Let me continue.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : श्री ज्वालाप्रसाद बोलेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : ये आपको नाम सुझाने वाले कौन हैं, इन्होंने सजेस्ट कैसे किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : I believe Shri Rama Nandji has finished. Shri Jwala Prasad.

[श्री रामानन्द एवं श्री हांडा के बाहर जाने के लिये तैयार होने पर]

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप बैठिये, मैं आप ही को सुनाना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Hon. Member should mind only his own business. The business of directing hon. Members or guiding or advising them is of the Chair.

श्री भैरोंसिंह : मैंने आरम्भ कर दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am in possession of the floor.

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था, उसमें बोलना चाहते थे।

There was a point of order.

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : Both should resume their seats the Chair is on its legs.

श्री भैरोंसिंह : बोलते बोलते ही पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद आप बोलेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कल से बहस चल रही है और हर तरीके से तरह २ की बोलियां तरह तरह की रागनियां बार बार सदन के सामने रखी जा रही हैं।

एक माननीय सदस्य : बोलियां कैसे कह रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : गधे की भी बोलियां होती हैं !

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! This is very bad.

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें उनके पास मत बिठाइये। आपस में झगड़ा हो जायगा।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इन्ट्रप्शन करने का भी कायदा है। "On a point information, या point of order" कह कर बोलना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। जिस जगह माननीय सदस्यों की सीट हो वहीं पर उनको बिठला दिया जाय।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Let him Speak.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दी जाय कि मैं अपनी बात रख सकूं इस विषय में। इस देश के सामने बड़ा कठिन काल गुजर रहा है। मैं उस तरफ आपकी निगाह खींचना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि कुछ जो विरोध में पार्टीज़ हैं वे एक तरह की प्रवृत्ति रखती हैं और उन प्रवृत्तियों और उनकी जो बेसिक आइडियोलोजीज़ हैं उनसे हमारी कांग्रेस-पार्टी का विभेद है। इस डेमोक्रेसी में, जिसमें कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है, सबसे अच्छाई यह है कि वह उन पार्टीज़ को बर्दाश्त करती है जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती हैं। हम देश में शान्ति और व्यवस्था चाहते हैं, लोगों की मर्जी से राज्य करना चाहते हैं। हमारा इसमें विश्वास है। लेकिन जो पार्टीज़ इसमें विश्वास नहीं करती हैं, जो अधिनायकवाद में विश्वास करती हैं, बोलशेविक या इन्टरनेशनल पोलिटरेट में विश्वास करती हैं उनको भी हमने आजादी दे रखी है। लेकिन एक हद तक आजादी है। कल से सदन में देखने को मिल रहा है। मैं सरकार से कुछ कहना चाहता हूँ। यदि डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है, तो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्रीजी से कि आपने अखबार पढ़ा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी में सीक्रेट डाक्युमेन्ट्स पकड़े गये हैं। उस ओर सरकार की निगाह खींचना चाहता हूं और उन डाक्युमेन्ट्स में क्या कहा गया है, क्या पॉलिसीज़ हैं उनकी ओर निगाह खींचना चाहता हूं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, मेरी सरकार से कहना चाहता हूं, दूसरी जगह हो या न हो, इस सदन के अन्दर उन पॉलिसीज़ में अपना काम शुरू कर दिया है। सरकार यदि एमर्जेन्सी में व्यवस्था रखना चाहती हो, मैं उनसे मांग करता हूँ कि जब ऐसे डाक्युमेन्ट्स प्रकट हों, एक स्टेटमेन्ट कल हुआ हो, उनके नाम मैं अभी बतला सकता हूं आज के या कल के पेपर में है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो डांगे है, उनको सस्पेन्ड किया जाय—जो आज का लीडर है और पार्टी को सही हाथों में चलाया जाय। उन्होंने उसमें कहा है किसी कीमत पर यह सरकार कायम नहीं रखना चाहते हैं,- बदलना चाहते हैं, सब तरीके अख्तियार करना चाहते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): By violation or non-violation ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

This is false. There is no statement like that.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मैम्बर अपनी बात रखें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं रखूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसका स्टेटमेन्ट है, नाम बताइये ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं नाम दूंगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। चार आदमी कॉम्युनिस्ट पार्टी के हैं जो लेफ्टिस्ट्स हैं, प्रो–चाइना, प्रो–पाकिस्तान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Hon. Member will confine himself to the debate of the Appropriation Bill.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी बात बहुत पसन्द है मैं इसको प्यार भी करता हूं लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के अन्दर बातें उठ चुकी हैं आपके आने से पहले, उनका सफाया करना है और एप्रोप्रियेशन बिल पर भी कहना है, यह मेरा कर्त्तव्य है और उस कर्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जिस स्थिति में से गुजरा जा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान है जो दिक्कतें पैदा कर रहा है और दूसरी तरफ चीन है जो दिक्कतें पैदा कर रहा है और तीसरी तरफ जिस तरह का रिएक्शन हो रहा है, जिस मौके को कम्युनिस्ट पार्टी ने चुना है, जो समझदार लोग हैं, देश के हित में काम करना चाहते हैं, उसको उखाड़ फेंक कर जो तालमेल बैठा हुआ है, वेस्ट बंगाल और आसाम में जो बोर्डर स्टेट्स होने के नाते जो चीजें पैदा हो रही हैं, हमारा राजस्थान भी एक बोर्डर स्टेट है, यहां भी एमर्जेन्सी भंग न हो, मुल्क को बर्बाद करने वाले कल से जो कदम दिखा रहे हैं। इस राजस्थान को बतला रहा हूँ, मैं आपको बतला रहा हूं, मैं इस सदन को बतला रहा हूं कि कल भी आपने सीन देखा है वे क्या करना चाहते हैं ? दुश्मनों का हमला चाहते हैं ? क्या मुल्क को वे गद्दार बनाना चाहते हैं ?

('शेम शेम' की आवाज)

वे कान्स्टीट्यूशन को बर्बाद करने की बात करते हैं, इस तरह की बात करके डिक्टेटरशिप हीरो बन कर जनता का नाम लेते हैं कि उनके पक्ष में जनता है, जनता किस तरह देख रही है, जनता किस तरह से जानती है, जनता सब देखती है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मुल्क को आजादी दिलाने में, इस देश को तरक्की दिलाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी श्रेय जाता है वह कांग्रेस को जाता है।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने क्या किया है। पता ही नहीं था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : नाम निशान ही नहीं था।

(शोरगुल, व्यवधान: अश्रव्य)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ठहरो....

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ५२ मार्का, कोई ५६ मार्का है ..

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Please address the Chair. Don't make conversation between yourselves.

(शोरगुल)

Order please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : ४७ से पहले कहां थे ?

एक माननीय सदस्य : बाद के हैं।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : डालडा के पीपे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

Please address the Chair.

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने 'हां' पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य को डालडा के पीपे की उपाधि दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं उनको मोहन घी की उपाधि देता हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है और इसको एक्सपंज कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि कहने वाले कह गये, जिनके लिए कहा गया, उनको कोई एतराज नहीं है, फिर आपको क्यों एतराज है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई एतराज नहीं है तो रहने दीजिये, साहब।

श्री रामकिशन : वैसे भी मालती बतलाया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस रूप में इस प्रश्न पर सूचना दी है, उसको स्पष्ट करना चाहिये। मैं पीपे से हांडी को खराब समझता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पीपा खराब समझता हूँ—हांडी की कुंडी कर दूंगा !

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह उनके उसूलों की बात है। मैं यह भी मानता हूँ कि उनका दिल नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दिमाग नहीं है इनका।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप इतने पास बैठोगे तो मेरे गड़बड़ी हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत सिखाये से बोल रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I will not allow this conversation to go on.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग गड़बड़ी करने के लिए सीट चेन्ज कर रहे हैं इसलिए उनको अपनी सीट पर बैठने के लिए आदेश दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : उन्हें अपनी जगह पर बिठाया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज इसलिए नहीं है कि मुझे उन पर रहम है। कल से सिर पर हाथ रख कर कहें, यों यों कर रहा है। उनको मैं दया के काबिल समझता हूँ। इसके सिवाय और भी मुझे उन पर दया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाथ फेरा होगा सिर पर तो गंजा नजर आया होगा !

श्री उपाध्यक्ष : "Point of order: पर, Point of information" पर माननीय सदस्य खड़े हों और कुछ कहें। इस सदन को बिल्कुल एक मखौल न बनावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सारे सदन का एकाध आदमी मखौल नहीं बना सकता है। सब समझते हैं, इनकी कीमत को नाप कर चलते हैं।

मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि इस एमर्जेन्सी के वक्त जिस तरह की स्केण्डलस बातें कुछ लोगों द्वारा ऑल इन्डिया लेवल पर की जा रही हैं उन पर निगाह रखें। हमारा स्टेट बोर्डर एरिया है। इसमें जो इनकी एक्टीविटीज् सदन में और बाहर हो रही हैं उनका जायजा लिया जाना चाहिये।

चीन के अटैक के वक्त इसकी उतनी जरूरत नहीं थी, जितनी आज है। मैं आपको आगाह करता हूँ खतरे की घंटी बजाकर आप को बताता हूँ कि पूरी सतर्कता से काम लिया जावे। इसलिए नहीं कि वे कम्युनिस्ट हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी बातें गलत हैं, उनकी हरकतें वैसी दिख रही हैं, कहीं बाद में ऐसा न हो कि इस बात में हमें यह सुनने को मिले कि समय पर हमारे सामने तो सब बातें आ गईं पर क्या करें डेमोक्रेसी और दरियादिली के कारण उनको हम रोक नहीं सके। हमने अब तक इन कारणों से सदन में बर्दाश्त किया, चाहे एक घंटे तक १७५ आदमियों को ३ आदमी रोके रहें। यह हमको बर्दाश्त हो सकता है एक हद तक पर वे उससे आगे बढ़कर संविधान पर कुछ कहें यह बर्दाश्त नहीं हो सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या करते रहे हैं भाई ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसको गलत न समझा जावे और इसलिए हम पूछते हैं कि जब उन्होंने अपनी बातों से और रवैये से यह जाहिर कर दिया है कि वे क्या चाहते हैं तो अब सवाल कॉन्स्टीट्यूशन का आता है।

पार्लियामेंट में आपकी राय की जरूरत संविधान पर होती, तो वह ली जा सकती थी। इससे अधिक इस सदन में कॉन्स्टीट्यूशन पर इस तरह की बातें करना, इस तरह का रवैया

Page No. 54

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

अपनाना सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि वे इस देश में केओस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

हमारे जज़बात पर आघात करना है। हमारे जज़बात को कोई आघात पहुँचाए और हम कुछ कहें भी नहीं। यह हमारे शासन में ही हो सकता है। अगर दूसरे लोग पॉवर में आवें तो कोई बात उनके आदमियों के खिलाफ, चाऊ-एन-लाई के खिलाफ कह दीजिये, क्या परिणाम होता है। मैं हिन्दुस्तान के आदमियों की बात नहीं करता। भगवान न करे, कभी ऐसा मौका आवे। चाऊ-एन लाई को गाली दे दी तो तीनों में से कोई हो, गोली मार दी जावेगी। पर आप बर्दाश्त करते हैं कि आपके इतने पवित्र संविधान के खिलाफ भी कोई कुछ भी कह दे। आप, उपाध्यक्ष महोदय, उस पर रूलिंग क्यों नहीं देते ? जो बात कही है उन्होंने सदन में लीडर ने सुनी है, हम ने सब ने सुनी है। अब इसके बाद सही तौर से हमारे जज़बातों की कद्र करके एक बात कहें। पर सुनकर भी अगर इस तरह से लिया गया तो मैं आगाह करता हूं कि अब सही वक्त आ गया है, सही मौका आ गया है कि आज देश में केओस पैदा करने वाली अपनी पॉलिसी इस तरह की डिक्लेअर करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वह Communist Party of India. है

('शेम-शेम' की ध्वनि)

इसका पूरा ध्यान रखा जावे। मैं अब तक समझता था और यह मानता था कि हमारे यहां के साथी डांगे के मानने वाले होंगे, पर आज साबित हो गया कि ये + + + हैं। तो मैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तुम किसके + + + हो ? + + +।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वासाप्पूनिया, श्री राममूर्ति, रघुरमैया इन तीनों ने।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, + + + और + + + शब्द अनपार्लियामेंट्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This is unparliamentry. This will be expunged. But I would request the hon. Members that this should not excite the House unnecessarily, from this side or that.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में कई बार रूलिंग दी जा चुकी है आसन की तरफ से कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावे और इस तरह के शब्द कई बार कार्यवाही में से निकाले भी जा चुके हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रकार के शब्दों को बार बार रिपीट करना और कहना सदन के डेकोरम को खराब करता है। अगर आपके आदेश के बावजूद भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग जारी रहता है तो यह आसन की और इस सदन की मान–हानि है। इसको रोकने के लिए, चाहे आप रोकें, और अगर आपसे नहीं रुकता है तो हमें कहिये। हम जिस तरह से भी होगा, इसे ठीक करेंगे। जो जान-बूझ कर या आवेश

+ + + अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

Page No. 55

(श्री भैरोंसिंह)

में आकर या बिना आवेश में आकर सदन की प्रतिष्ठा को घटाना चाहते हैं उनको रोकने का इन्तजाम हम करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं बिल्कुल मानता हूँ, माननीय सदस्य के सुझाव को। इस प्रकार के शब्दों की बार-बार पुनरावृत्ति करना इधर से या उधर से और सदन को एक्साइट करना यह सदन के डेकोरम के खिलाफ है। प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर यहां आये हैं वे एक एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए इस दृष्टि से जिम्मेदारी से ही यहां की बहस और सब कार्यवाही चलनी चाहिये। इसी में उनकी सुन्दरता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने + + + शब्द कहा है वह भी कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : If that has been used, it is expunged.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो कह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : आप एप्रोप्रियेशन बिल पर जितना बोलना चाहें बोलें, वरना मैं आपको सीमित करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने तो पूछा तब नाम बताये थे। बालपुनिया, बी.रामामूर्ति।

श्री उपाध्यक्ष : Now I prohibit you from giving names.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे से नाम पूछे गये....

श्री उपाध्यक्ष : किसने पूछा?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये कम्युनिस्टों के नाम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये एप्रोप्रियेशन बिल से सम्बन्ध नहीं रखते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो बातें उधर वाले कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं उधर और इधर दोनों से व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो फिर यह बात सब पर लागू होनी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : नेशनल एमर्जेन्सी के सिलसिले में इन बातों का उल्लेख करना नितान्त आवश्यक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप मुझे कन्फाइन करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस विषय में नाम देना चाहते हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन बड़े लीडरों ने कहा है कि डांगे को हटाया जावे। अमृत डांगे को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के सेक्रेटरीशिप से हटाया जावे। उन्होंने एक थीसिस लिखी है और उसके अन्दर उन्होंने लेनिटिस्ट पोइन्ट ऑफ व्यू से कम्युनिस्ट पार्टी

+ + + अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

Page No. 56

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ने नारा दिया है कि इस सरकार को हर तरह से खत्म किया जावे।

(व्यवधान)

इसलिये मैंने यह कहा कि....

श्री उपाध्यक्ष : All right, you may mention that name.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं यह कह रहा था कि हम इधर या उधर बैठने वाले कॉन्स्टीट्यूशन को वफादारी की दृष्टि से देखते हैं उनको यह बुरा लगता है कि कोई कॉन्स्टीट्यूशन के लिये बात इस तरह से कहे। सब सदस्य यह कहते हैं कि हमारे सदन का ये तीन आदमी ज्यादा टाइम लेते हैं और वे हर बात में अड़ंगा लगाते हैं और एक घंटा इस तरह से सदन का खराब हो गया है। यह उनकी मैकेनाइजेशन है कि मुल्क में केओस पैदा हो। हमें उनका शिकार नहीं होना चाहिये।

कल लाल लाल फन्दे को लगाकर आ गये यहां। यह क्या कोई डिमान्स्ट्रेशन की जगह है? हम सदन में राजस्थान की अच्छाई की बात करने को आते हैं, प्रदर्शन करने नहीं। गले में लाल लाल फंदे डालकर बैठ जाते हैं। मैं इस सदन के डेकोरम के लिये अपील करता हूं। यह कोई उनका फैन्सी ड्रेस है क्या? क्या बात है? टाई बान्ध कर आ जावें....

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of order, Sir. माननीय सदस्य ने हमारी पर्टीक्यूलर ड्रेस पर आपत्ति प्रकट की है। इस सदन में किसी ड्रेस पर पाबन्दी नहीं है, न कोई किसी तरह की ड्रेस मुकर्रर है। अगर इस प्रकार से माननीय सदस्य किसी पार्टी विशेष पर बोलेंगे, फैन्सी ड्रेस की बात करेंगे तो उनको भी तैयार रहना चाहिये इस तरह के शब्द सुनने के लिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन बातों को रोका जावे। इस तरह के जो शब्द इन्होंने कहे हैं उनको एक्सपन्ज किया जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह ढाई-ढाई पैसे की टुपल्ली पहन कर आ जाते हैं, यह फैन्सी ड्रेस नहीं है तो क्या है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : What was the point of order which Shri Rama Nand raised?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : And what was the decision given? There was a point of order raised by hon. Shri Rama Nand.

श्री उपाध्यक्ष : Point of order was that the dress should not be referred to.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपाध्यक्ष): That was no point of order.

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं; उधर के कम्युनिस्ट मेम्बर बतायें....

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please! I won't allow all this.

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं समझता हूं कि आपका (श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा का) डिस्कशन समाप्त हो गया होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सब लोग टाइम ले रहे हैं। मैं १० मिनट में समाप्त करता हूं सब लोग बीच बीच में बोल देते हैं। आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गलत बात है कि मैंने किसी की ड्रेस के बारे में कहा हो। मैं समझता हूं कि वह ड्रेस नहीं है। मैं समझता हूं कि वह डिमान्स्ट्रेशन का एक रूप है और उस रूप को सब देख रहे हैं। वह ड्रेस होती तो मुझे एतराज नहीं था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस रूप से आप इतने भयभीत हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह नहीं कहता कि हम भयभीत हैं। मैं यहां पर सदन के सभी सदस्यों से नम्र निवेदन करता हूँ कि हाउस में आयें तो अपने मफलर को बाहर रख कर आयें।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : हाउस में घुसें तो खादी की टोपी सिर पर लगा कर नहीं आयें।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! This is not a matter to be discussed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अच्छा, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेरी बातों का नोट लिया होगा। मैं हर सदस्य से कहता हूँ कि वे होशियार हो जायें और होशियार होने के बाद इस सदन के अन्दर इनके खेल को पूरी तरह समझ लें। अगर आधा घण्टा तक वह बोलते रहें, अपने पास सब जवाब है, अपन सब समझदार हैं। चाहे उधर से बोलें या इधर से बोलें–वह उनको उत्तर दे दें बजाय इसके कि ईन-मीन तीन की बात सुनें। सदन को सुचारु रूप से चलायें। तो मैं इसके बाद इस एप्रोप्रियेशन बिल पर आता हूँ।........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जनरल बातों में आलरेडी २५ मिनिट ले लिये हैं और दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : यह वैस्पा–काण्ड करने वाले हैं इनको रोकना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, Sir. My humble submission is that people create chaos and when I have come to my point, I am asked to keep mum, and I am sitting under your orders.

श्री भैरोंसिंह : Then you keep mum.

उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में दुर्भाग्य से संविधान का भी मसला इस सदन में उपस्थित हो गया। इस मसले के साथ साथ नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कम्युनिस्ट पार्टी के ड्राफ्ट रेज्योल्युशन की ओर, जो उस पार्टी के प्रमुख

(श्री भैरोंसिंह)

नेताओं ने अपनी पार्टी की विशेष बैठक के लिए तैयार किया है और जिसका उल्लेख हिन्दुस्तान के सब समाचार-पत्रों में आया है, उसका भी अपने भाषण में जिक्र किया। मैं उन शब्दों की ओर तो नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि माननीय सदस्यों ने संविधान में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में जो बातें कहीं थी वे यह कर शांत कर दीं कि संविधान के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जायेगी। लेकिन जिस ड्राफ्ट रेज्योल्यूशन का जिक्र आया उसमें यह भी लिखा हुआ है कि सरकार को वाएलेन्ट या नान-वोएलेन्ट तरीकों से जल्दी से जल्दी समाप्त किया जायेगा। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहूंगा कि इस ड्राफ्ट रेज्योल्यूशन से उनकी सहमति है या नहीं? वे इसके पक्ष में हैं या नहीं? और यदि वे इनके पक्ष में हैं तो जो कुछ संविधान तोड़ने के सम्बन्ध में कुछ बातें आवेश में ...

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अभी वह ड्राफ्ट आपके पास है हमारे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह समाचार-पत्रों में है ऑल इन्डिया पेपर्स में है। या तो समाचार-पत्रों में गलत छपा यह कह दीजिए ...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I have demanded time from the Chair to give my statement and I hope the Chair will give me time.

श्री भैरोंसिंह : तो उस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने........

श्री रामानन्द अग्रवाल : Point of order, Sir. माननीय सदस्य ने हमारी पार्टी या किसी डॉक्युमेंट का रेफरेन्स देते हुए कुछ बातें कही हैं। या तो चेयर इस प्रकार के रेफरेन्स न करने दे या जैसी मैंने मांग की है हमें उस सम्बन्ध में कहने का अवसर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की व्यवस्थाओं के अनुसार और रूल्स के अनुसार अगर कोई पर्सनल आक्षेप है तो उस पर्सनल आक्षेप के लिए माननीय सदस्य को अवसर दिया जाता है कि उसका स्पष्टीकरण करें। किन्तु पार्टी के विषय में जो इधर और उधर से कहा जाता है उसके विषय में जो भी साधारण तया जो भी बहस का मौका आता है उसके अन्दर जब माननीय सदस्य इधर से या उधर से कह सकते हैं तो वैसा अवसर जब आवेगा तो उसका लाभ माननीय सदस्य अवश्य उठायेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य एक डाक्युमेन्ट का रेफरेन्स देकर कोई बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं केवल इतना निवेदन करता हूँ कि सम्भवत: आपकी पार्टी का कोई मेम्बर बोलेगा, वह उसका स्पष्टीकरण कर देगा इस बहस ही के दौरान में।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा केवल निवेदन करना इतना सा था कि वह चाहे उनकी पार्टी का नहीं हो और समाचार-पत्रों में इस प्रकार से छापा गया है लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

अच्छा होता कि उसका स्पष्टीकरण हो जाता कि यह पार्टी का है या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, यहां संविधान के सम्बन्ध में कई प्रकार की चर्चायें हुई लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार का विरोध प्रकट किया संविधान के तोड़ने की बात को लेकर-वह समझ में आ सकता था। लेकिन सरकारी नियम जो बने हुए होते हैं उनको तोड़ने की जब सदन में बात आती है तो ऐसा लगता है कि सरकारी पक्ष की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्य उसके ऊपर इतना आवेश नहीं दिखाते। लेकिन उसी के अन्तर्गत इस विधान सभा में आपने कुछ एक्ट पास किये। उनके अन्तर्गत सरकार ने कुछ नियम बनाये-उनके विरोध का जब सवाल आता है तो सरकारी पक्ष की तरफ के माननीय सदस्य इस प्रकार से मौन रहते हैं जैसे किसी बात को सुना नहीं। आज के ४ दिन पहले इसी सदन में एक शिक्षा संस्था को लेकर एक प्रश्न पैदा हुआ था।

प्रश्न यह उठाया गया था कि राजस्थान के मुख्य सचिव, जो कि हैड ऑफ सर्विसेस हैं उन्होंने बिना अनुमति के एक इन्स्टीट्यूशन की सदस्यता किस प्रकार से स्वीकार कर ली ? उस समय यह भी प्रश्न उठाया गया था कि उन्होंने इन्स्टीट्यूशन के सदस्य रह कर किस प्रकार से सरकारी की बिना अनुमति के चन्दा इकट्ठा कर लिया ? उस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया हमें उसकी जानकारी नहीं है। मैंने जानकारी की है कि उस बाल-भारती नामक संस्था का सदस्य बनने की अनुमति मुख्य सचिव ने नहीं ली थी। परसों के दिन तक मुख्य - सचिव महोदय ने उस संस्था के नाम पर चन्दा इकट्ठा करने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी। यह दोनों चीजें ऐसी हैं कि इन चीजों को आपके द्वारा जो बनाये हुए नियम हैं राजस्थान सिविल सर्विसेस क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स के अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी जब तक नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की अनुमति प्राप्त न कर ले उस समय तक न तो चन्दा इकट्ठा कर सकता है और न संस्था का सदस्य हो सकता है। तो मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूँगा कि आप राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं और वे राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। इस प्रकार की गलती यदि मामूली सरकार कर्मचारी से होती तो निश्चित रूप से आप उसके खिलाफ एक्शन लेते। मैं आज केटेगोरिकली जानना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के मुख्य सचिव के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? मैं समझता हूँ कि कोई एक्शन नहीं लिया ! आप संविधान की बात करते हैं, लेकिन जो आपके खुद के नियम बनाये हुए हैं उनका पालन आपके अधिकारी नहीं करें और उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सर्विसेज का डिमोरेलाइजेशन होता है, सर्विसेज गलत रास्ते पर पड़ती हैं और गलत रास्ता इसलिए नहीं रुकता है कि सरकारी अधिकारी चन्दा इकट्ठा करते हैं और चन्दा इकट्ठा करने की बात सरकार के ध्यान में लाये जाने के बाद भी यदि कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो जनता टैक्सेज से त्राहि त्राहि करती है, मंहगाई से त्राहि त्राहि करती है और सरकारी अधिकारी स्वयं जब चन्दा इकट्ठा करते है तो अपने पद का दुरुपयोग करते है और जनता को ग्रसित करते हैं तो

(श्री भैरोंसिंह)

जनता और भी परेशान होती है।

मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा। पिछले दिनों मैं कपासन के दौरे पर गया था तो कपासन के एस० डी० ओ० साहब ने सैनिक फण्ड, डवलपमेंट फण्ड, और पंचायत फण्ड–इस प्रकार के तीन फण्ड खोल रखे हैं। उनको सरकार से कोई पर्मीशन नहीं हैं। जितने भी फण्ड्स हैं वे गवर्नमेंट से रिकगनाइज्ड फण्ड नहीं है। उन फण्डस के अन्दर पैसा इक्ट्ठा करने के लिए सरकार एस० डी० ओ० को कोई अधिकार नहीं दिया लेकिन कोई भी केस लेकर अदालत में चले जांय, यदि सीमेंट का परमिट लेने के लिए चले जांय, यदि टीन का परमिट देने के लिए, चीनी लेने के लिए, केस का एडजोर्नमेंट कराने के लिए, फैसला जल्दी लेने के लिए, कोई भी पार्टी कोर्ट में जायेगी तो वहां पर एस० डी० ओ० साहब कहेंगे कि डवलपमेंट फण्ड में पैसा जमा करो। यह केवल मेरे कहने तक ही सीमित नहीं है, यह मेरे पास डवलपमेंट फण्ड की रसीदें हैं जिन पर एस० डी० ओ० साहब ने दस्तखत किये हैं, किसी में २००) रु०, किसी में २३१)रु०, किसी में ५१) रुपये हैं। लेकिन उसका हिसाब कौन रखता है ? यह रसीद सरकारी छपी हुई हैं, मैंने नहीं छापी हैं। सरकार की छपी हुई रसीदें हैं। एस० डी० ओ० रसीदें देते हैं और पैसा इक्ट्ठा करते हैं। इस तरह से काम करने में क्या आप सोचते हैं, कि क्या आप यह चाहते हैं कि सरकारी अधिकारी इस प्रकार से चन्दा इक्ट्ठा करते रहें और चन्दा इक्ट्ठा करने में अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो सत्ता का दुरुपयोग निश्चित रूप से होता है। जनता से इस प्रकार से चन्दे के नाम के ऊपर, इस प्रकार से इन्स्टीटयूशन को मदद देने के नाम पर पैसा इक्ट्ठा करते हैं तो लोग मजबूर होकर पैसा देते हैं। मैं समझता हूँ कि यह न टैक्स है यह तो एक प्रकार से खुली लूट है जिसको राजस्थान सरकार आश्रय देती है। आपकी जानकारी के के लिए सब प्रकार की रसीदें मेरे पास में हैं, मुख्य मंत्रीजी चाहेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सर्विस रूल्स के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई सरकारी अधिकारी बिना गवर्नमेंट की अनुमति के बिजनेस नहीं कर सकता है। आज कई ट्रेड्स और बिजनेस को देखकर कह सकते हैं कि किसी से एडवर्टाइजमेंट लेना, किसी उद्योग का प्रचार करना और प्रचार करने की एवज में कुछ रुपया प्राप्त करना–वह चाहे किसी इन्स्टीटयूशन के लिए किया जाय वह भी एक प्रकार का बिजनेस है। यह बाल भारती का सोविनिअर निकला है। इस सोविनिअर के अन्दर पेज ४५ से लेकर इसका जो आखरी पेज है ७४ तक उसको २६ पेजेज का एडवर्टाइजमेंट मिला है, राजस्थान को बड़ी बड़ी बिजनेस कन्सर्न्स से मिला है, इंडिया की बड़ी बड़ी बिजनेस कन्सर्न्स से मिला है, और बिजनेस कन्सर्न्स जिनको एडवर्टाइजमेंट दिये जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट जिस स्पेस का होता है उसके आधार पर उनको पैसा मिलता है। राजस्थान के मुख्य सचिव ने इस बाल-भारती के मार्फत बिजनेस किया है उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं आप ? यह कह सकते हैं कि संविधान को तोड़ने के लिए कहने पर यहां इस जोर से आवाज उठायेंगे यह सही बात है, लेकिन यह

(श्री भैरोंसिंह)

आवाज जो कानून और नियम बने हुए हैं उनको तोड़ने के लिए जो सरकार चलाये, राजस्थान सर्विसेज के हैड, मुख्य सचिव इस प्रकार के कानून को तोड़ते हैं तो जिस प्रकार की शक्ति संविधान के मानले को लेकर आप बताते हैं वह शक्ति इस मसले पर आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लैण्ड रेवेन्यु विभाग के बारे में हमारे उप-राजस्व मंत्रीजी ने आज के ७-८ दिन पहले यह कहा था, एक्चुअल डेट तो मुझे याद नहीं है, कि राजस्थान की ८ लाख एकड़ भूमि पर लोगों ने गलत ढंग से कब्जा किया है। मैं आज सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के मंत्रियों की संख्या में कमी नहीं है, राजस्थान के अधिकारियों की संख्या में कमी नहीं है, राजस्थान के पास फाइनेन्स की कमी नहीं है। १९५५ से टेनेन्सी एक्ट लागू हुआ है और ५५ से लेकर ६३ तक ८ लाख एकड़ सरकार भूमि के ऊपर यदि लोग कब्जा कर लेते हैं तो सरकार क्या करती है! सरकार क्या कर रही है? सरकार पूजा-पाठ कर रही थी, सरकार क्या माला फेर रही थी, सरकार क्या अनुष्ठान कर रही थी, कि उस सरकार की ८ लाख एकड़ भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया और सरकार अब कहती है कि उन कब्जों को वाजिब करेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : मैंने ८ लाख एकड़ नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि ८ लाख की आमदनी नाजायज कब्जों को जायज करने के बतौर लैण्ड रेवेन्यू और बतौर पैनाल्टी के हुई।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने कहा वह मेरे पास लिखा है। आपने जो कहा है वह मैं लिखकर लाया हूं और अभी आपको बता देता हूं। आपने यह कहा है कि ८ लाख एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा हुआ और एक लाख और कुछ हजार एप्लीकेशन्स आई उन एप्लीकेशन्स में से इतनी को रेगुलेराइज़ कर दिया है और बाकी की एप्लीकेशन्स विचाराधीन हैं। यह सब कुछ बातें आपने कही हैं। मैं आपको अभी बताता हूं। मेरे पास वह कागजों में हैं।

अब उस स्थिति में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ८ लाख एकड़ भूमि पर लोग ज़बरन कब्जा कर लें तो सरकार किस मतलब की सरकार है? वह सरकार है क्या? यह नहीं होता है कि कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले बिना सरकार की साजिश के—यह नहीं होता है। ऐसा एक उदाहरण सरकार के सामने इस साजिश का देना चाहता हूं। यहां जयपुर के अन्दर कोई श्रीमान् हैं उनका नाम मैं आगे चलकर बताऊंगा लेकिन वह डिप्टी डाइरेक्टर खादी ग्रामोद्योग हैं। उन डिप्टी डाइरेक्टर का मैं जिक्र कर रहा हूं। १९५४ के पहले वह जयपुर में एल० डी० सी० थे। ५४-५५ में वे तहसीलदार बने। उनके एक जागीर थी। उस जागीर का रिजम्पशन हो गया और रिजम्पशन होने के बाद उनके पिताजी ने खुदकाश्त के लिए एप्लीकेशन दी। खुदकाश्त की जमीन उनको एलॉट की गई और एलॉट किसी दूसरे गरीब ब्राह्मण की जमीन की गई जो कि स्वयं जागीरदार था, जो मर गया था। उसके बच्चे नाबालिग थे, उसकी विधवा स्त्री थी, उन लोगों के पजेशन से जमीन छुड़वाकर एक दूसरे जागीरदार के पजेशन में वह जमीन

(श्री भैरोंसिंह)

दिलवाई। उस जमीन पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद फिर उन्होंने १५ बीघा जमीन उसी खुदकाश्त के नाम पर ले ली, और लेने के बाद कल्याण पुजारी नाम का व्यक्ति था उस गरीब को जमीन से हटाकर कब्जा कर लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने जब वह तहसीलदार थे तो मीनावाल गांव में सम्वत् २००२ के अन्दर माफी की जमीन की गलत एन्ट्री करके २७ बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर सिकराय में ६५ बीघा जमीन पर खुदकाश्त के नाम पर जबरदस्ती कब्जा किया है। कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब की अनुमति लेकर उन्होंने इतनी जमीन पर खुदकाश्त के लिए अपना कब्जा कर लिया जितनी उनकी जागीर नहीं थी। जागीर जितनी है और जागीर के प्रपोर्शन में जो उनके पर्सनल कल्टीवेशन में उस समय तक हो उस जमीन के ऊपर भी वह कब्जा करे और अपना पेट भरने के लिए जितनी जमीन चाहिए उसके लिए आवेदन-पत्र दे और वह सरकार स्वीकार करे तो यह समझ में आ सकता है, लेकिन जितनी जागीर नहीं थी उतनी गरीब माफीदारों की जमीन उनको एलॉट कर दी। उस जमीन पर वे काश्त नहीं कर रहे हैं। उस जमीन के एक टुकड़े का ८०,०००)रु० में सौदा हुआ और दूसरी जमीन के टुकड़े का सौदा ३२,०००)रु० ठीक हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप यह कहें कि जमीनों पर कब्जा ऑटोमेटिक नहीं होता, कब्जा जानबूझ कर सरकार की निर्धारित नीतियों के कारण साजिश के रूप में होता है। उनका मामला एन्टी-करप्शन को दिया गया, एन्टी-करप्शन ने रिपोर्ट की कि गलत ढंग से नाजायज तौर पर हक नहीं होते हुए भी जमीन ले ली। एन्टी-करप्शन की फाइल को रोका गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जमीन के नियम आपने बनाये, एलॉटमेन्ट के नियम आपने बनाये, खुदकाश्त के अधिकारी हैं वे रोते-फिरते हैं, जिनको जमीन मिलनी चाहिये उनको मिल नहीं पाती, जो हकदार नहीं हैं वे उस पर कब्जा कर सकते हैं, बेच सकते हैं और मुनाफा उठा सकते हैं—यह सब कुछ होता है। ये जमीनें एक जगह नहीं हैं, सब स्थानों पर इस तरह की जमीनों का जिक्र आता है। मैं उनके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पटवारियों का विशेष रूप से हाथ है, पटवारी गड़बड़ी करते हैं। उच्च अधिकारियों के ध्यान में ये बातें आती हैं लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते। निर्दिष्ट पुस्तिकाओं में कुछ भी लिख दें लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता।

आज वे पटवारी भी सुखी नहीं हैं। उनको क्रश करने की कोशिश की जाती है। पटवारी समाज भी आज दुःखी है। पटवारी से कहें कि ईमानदारी से काम करो तो वे कर भी नहीं सकते। रेशनेलाइजेशन ऑफ स्केल की तनख्वाह उनको मिलनी चाहिये थी लेकिन अब तक उसमें इनका फिक्सेशन नहीं हुआ। युनिफाइड पे स्केल में उनका फिक्सेशन आज तक नहीं हुआ। ये पटवारी आज दिन तक एल. डी. सी. से कम तनख्वाह पाते हैं और काम उनके पास इतना ज्यादा है कि एक एल. डी. सी. तो क्या चार पांच एल. डी. सीज को बैठा दें तो भी वे काम नहीं कर सकते फिर भी आप उस तबके से ईमानदारी की कामना करते हैं जो तबका अपने बच्चों

(श्री भैरोंसिंह)

को पढ़ा नहीं सकता, मकान नहीं बनवा सकता अपने परिवार का पेट भर सके ऐसी हालत में नहीं है इस पर भी आप राजस्थान की लाखों एकड़ जमीन बचाना चाहते हैं—यह संभव नहीं है, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जमीन इतने दिनों में चली गई है लेकिन यदि यह तबका असंतुष्ट रहा और सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो एक आठ लाख का ही सवाल नहीं, कई आठ लाख चली जायगी। लिटिगेशन होंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कुड़कियाँ होंगी और जनता की आर्थिक स्थिति गिरेगी। इसका इलाज एक ही है और वह यह कि इस तबके को खुश करो और जिन जिन सरकारी अधिकारियों ने अतिक्रमण करने की चेष्टा की है उनके खिलाफ एक्शन लो। इससे सारी समस्याएं दूर हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के फाइनेन्सेज़ का भगवान ही मालिक हैं, मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन वित्त मंत्रीजी कहेंगे कि फाइनेन्सेज़ को मालिक मैं हूं। सरकार के मंत्री कहेंगे कि सारे फाइनेन्सेज पर हमारा कन्ट्रोल है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। राजस्थान में म्युनिसिपेलिटीज का एक डिपार्टमेंट है उसके एक मंत्री हैं, एक उप मंत्री हैं, एक डाइरेक्टर हैं, एक डिप्टी डाइरेक्टर हैं और एक सेक्रेटरी हैं....

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत्त शासन) : असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हैं, डिप्टी डाइरेक्टर नहीं।

श्री भैरोंसिंह : और वे असिस्टेन्ट डाइरेक्टर कौन हैं? जिनके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह लिखा था कि एक एल.डी.सी. से असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बना दिया। जब ऐतराज किया था, सदन में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को खास तौर से रखा था। सरकार ने जिद्द पकड़ ली कि पी.एस.सी. की चिट्ठी है तो इस व्यक्ति को असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बना कर रहेंगे। इस पोस्ट के लिये जो क्वालिफिकेशन्स प्रेसक्राइब की उसमें वे बातें लिखी जो हिन्दुस्तान में किसी और व्यक्ति के लिये नहीं लागू पड़ सकती। उसमें लिख दिया कि बी.ए.एल.एल बी हो, ड्राफ्टमेन हो, लीगल वर्क को समझने वाला हो। जो लीगल सूट्स चलते थे उनको वह डील करता था इसलिये उसको इस तरह के ड्राफ्ट बनाने का ज्ञान था। केवल इन दो बातों को लेकर उस व्यक्ति को किसी प्रकार से असिस्टेन्ट बना दिया। इस तरह की क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब करदीं कि जिसके कारण वह असिसटेन्ट डाइरेक्टर बन गया। उन्होंने क्या किया? समयाभाव के कारण मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं वित्त मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग ने करीब डेढ़ लाख रुपये दिये और म्युनिसिपेलिटीज़ ने पौने दो लाख रुपये दिये वील बैरोज़ खरीदने के लिये और इन रुपयों को म्युनिसिपेलिटीज के नाम सेंक्शन कर दिया। अलग अलग म्युनिसिपेलिटीज के पी.डी. अकाउन्ट्स बैंक में जमा कर लिये गये। जो वील बैरोज ७० या ८५ रुपयों में आसानी से खरीदा जा सकता है, लोग इतने में देने को तैयार थे, कुछ लोगों ने टेन्डर भी भेजे थे, सरकार के सामने एप्लीकेशन्स भी दी थी लेकिन उन पर विचार नहीं करके १२४) या १३२) रु. में वील बरौज खरीदी और

Page No. 64

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान के २ लाख रुपयों का दुरुपयोग हुआ। अब यह दुरुपयोग है या क्या है यह तो सरकार अपने जवाब में बतावे, यह उन पर मुन्नसर है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सरकार के अधिकारी और मंत्री इतने होशियार है कि रुपयों का दुरुपयोग सफाई के साथ करते हैं, किसी को पता नहीं चले। कोई सरकारी अधिकारी दो लाख का दुरुपयोग कर दे और सरकार सोती रहे, यह हो नहीं सकता; इसकी जानकारी तो उनको होगी। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि वे वील बरौज उदयपुर में हैं वे अगर उदयपुर जावें तो देखें। वील बैरोज़ नाइट सोइल उठाने के लिये काम आता है। राज्य सरकार और भारत सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि म्युनिसिपेलिटीज को ग्रान्ट-इन-एड-दिया जाय। सोशियल वेलफेयर विभाग ने तय किया था कि जितना खर्चा म्युनिसिपेलिटीज करेंगी उतना ही हम करेंगे। दोनों के मिलाकर चार लाख रुपये हुए और वील बरोज खरीदी गई। वे उदयपुर में पड़ी हैं काम नहीं करतीं, चलते चलते मुड़ती हैं। जो चार लाख रुपये खर्च किये वे सारे के सारे वेस्ट गये। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? आप उनको इनाम देते हैं, आप उनको डिप्टी डाइरेक्टर या असिस्टेन्ट डाइरेक्टर बनाते है, उसका नतीजा आप भुगतते हैं। इसकी पर्चेजेज में किसने घोटाला किया है, कौन इसके लिये रेस्पानसिबल है इसकी जांच होनी चाहिये लेकिन नहीं हुई। एप्लीकेशन्स मंत्रीजी को दी गई कि लोएस्ट टेन्डर हो उसे स्वीकार किया जाय लेकिन लोएस्ट टेन्डर स्वीकार नही किया गया और एक किसी व्यक्ति ने सब-ऑफिस यहां पर खोल रखा है जिसका हैड-ऑफिस लखनऊ में है हिन्दुस्तान ट्रेडर्स के नाम-से उससे ये वील-बरौज खरीदे गये। खरीदने के पॉवर्स डाईरेक्टर या डिप्टी डाईरेक्टर को नहीं थे। पॉवर्स थे म्युनिसिपेलिटीज को। उन्होंने परमिशन मांगी कि हमे खरीदने की इजाजत दी जाय लेकिन डी. एल.बी. ने उनको इजाजत न देकर सेन्ट्रल पूल बनाकर खरीदीं और म्युनिसिपेलिटीज को भेजीं लेकिन वे लेने को तैयार नहीं हैं। इस सब का कारण क्या है–मैं समझता हूं मंत्री जी जवाब देंगे तब पता चलेगा।

जोधपुर में देवस्थान विभाग से चैरिटि फंड में से अपंग, अपाहिज और गरीब लोगों को किसी को दो रुपये, किसी को चार रुपये और किसी को १०), किसी को १५) माहवार दान के रूप में दिये जाते थे लेकिन वे आज १० महीनों से नहीं दिये जा रहे है। मुख्य मंत्रीजी इस बात की ओर ध्यान दें कि हमें अगर एक महीने तक तनख्वाह नहीं मिले तो हमारा क्या हाल होता है। राजस्थान के गरीब, अपंग-अपाहिज लोगों को भूतपूर्व जोधपुर स्टेट में देवस्थान विभाग से दान में यह मिलता था। इसके लिये एक एक सर्क्यूलर निकाला गया कि जिनको मिलता था उनको नहीं मिले और १० महीनों से यह रुपया उन गरीबों को नहीं मिला है। आप उन गरीब और अपंग अपाहिजों को दस महीनों तक पैसा न दें और फिर कहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा इन्तजाम है। क्या यही इन्तजाम का ढंग है? बेचारे वे गरीब लोग कहां जावें? जिनको दान के रूप में, बख्शीश के रूप में कुछ मिलता था? क्या राजस्थान सरकार उनको भी रोकना चाहती है?

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसा ही हाल मंदिरों का है। मंदिरों की जागीरों से पुजारियों को आमदनी का जरिया था वह आज छिन गया। आज राजस्थान के मंदिरों की हालत क्या है, कहीं कोई पूजा की व्यवस्था नहीं, कोई ताला खोलता नहीं, मंदिरों में सफाई का कोई इन्तजाम नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जागीरें रिज़्यूम की यह बात तो समझ में आसकती है लेकिन मंदिरों की आपने क्या व्यवस्था की, पुजारी बेकार हो गये लेकिन मंदिरो की प्रतिष्ठा का क्या हुआ या तो साफ कहदें कि मंदिरों की कोई प्रतिष्टा नहीं रखी जायगी या फिर मंदिरों की प्रतिष्टा किसी प्रकार से बचाई जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार कुछ करने को तैयार नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, उप शिक्षा मंत्रीजी हंस रहे हैं मेरी तरफ देख कर, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके लिये मसला मेरे पास है।

आपके इस विभाग से दो पत्र निकलते हैं, "राजस्थान शिक्षक", दो पत्र एक नाम से हैं। हिन्दुस्तान के किसी राज्य में एक नाम से दो पत्र नहीं निकलते, लेकिन राजस्थान में दो पत्र 'राजस्थान शिक्षक' के नाम से निकलते हैं–एक पत्र को प्रेस कमीशन से रिकॉग्नीशन मिला हुआ है और एक को नहीं मिला है। लेकिन राजस्थान की सरकार कानून तोड़ने में माहिर है। इन्होंने देखा, जिसको प्रेस कमीशन से रेकॉग्नीशन मिला हुआ है उसको गवर्नमेंट रिकॉग्नीशन दे तो क्या बात है, हम तो उसको रिकॉग्नीशन देंगे जिसको प्रेस कमीशन ने इजाजत नहीं दी हो। और जिसको इजाजत नहीं दी है उसमें लिखा हुआ है, विभाग पत्रांक एफ १८ (१३) १५५ आदि, अन्य शिक्षण संस्थाओं, वाचनालयों तथा पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत। आप स्वीकृति लैटर बता दीजिये कि इसकी प्रेस कमीशन से कब पर्मीशन आई। आज तक नहीं आई। लेकिन शिक्षा विभाग इस प्रकार की चीजों को इजाजत देने के साथ इस पत्रिका को किसी को देने में संकोच नहीं करता, इसका तात्पर्य क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में केवल इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार को इस चीज की चिन्ता नहीं और जो सोचती है कि यह चीज निकले वह निकलेगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में सरकार ने नियम बना रखे हैं, उनमें पैनल्टीज़ इम्पोज़ करने की व्यवस्था कर रखी है। क्या मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे, इन सर्विस रूल्स में व्यवस्था है कि हर सरकारी अधिकारी अपनी प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन दे, जिस जिस ऑफिसर ने जिस जिस प्रोपर्टी पर कब्जा किया है और प्रोपर्टी पर कब्जा करने के साथ ही जिनको डिस्पोज़ ऑफ किया है–उसकी सूचना दें, इस नियम के आधार पर सरकारी अधिकारियों में से कितनों ने अपनी प्रोपर्टी का असेसमेंट करके डिक्लेरेशन गवर्नमेंट के सामने दिया है और किस किस अधिकारी ने प्रोपर्टी पर्चेज़ करते समय और डिस्पोज ऑफ करते समय सरकार को इत्तला दी? आप रजिस्टर उठा कर देख लीजिये, उसमें सिर्फ चार नाम मिलेंगे, पांचवा नाम नहीं मिलेगा। यह क्यों हुआ? इस प्रकार की व्यवस्था भी आपने इन नियमों में बना रखी है, जिसके आधार पर आप जानते हैं कि सरकारी अधिकारी को पैनल्टी देते समय अगर सरकार को मालूम

(श्री भैरोंसिंह)

हो कि उसके किसी काम से सरकारी धन का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की एवज में उस पर मोनेटरी फाइन किया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में एक दो मामलों को छोड़कर आपने किसी सरकारी अधिकारी को नुकसान के एवजाने में उसकी तनख्वाह से या रेम्युनरेशन्स से उस नुकसान की पूर्ति करने की सजा दी है ? अगर नहीं दी है तो आपने कानून क्यों बनाया कि सरकार का नुकसान हो जाय तो नुकसान होने के एवज में सरकारी अधिकारी को मोनेटरी सजा मिल जाय। उसमें यह प्रावधान नहीं है कि जिसके गलत एक्शन से राजस्थान के फाइनेन्स को नुकसान हुआ है उसका प्रमोशन किस प्रकार से किया जाय।

मैं मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि सवाई-माधोपुर जिले में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने राजस्थान के इलेक्शन डिपार्टमेंट में अपने अकाउन्टस पेश किये। यह मामला इतना सीरियस है, क्योंकि हम अकाउन्ट्स के रिटर्न पेश करते हैं तो हम मानते हैं कि हम इनको सेफ रख रहे हैं, और क्योंकि सरकारी कब्जे में हैं इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एस. डी. ओ. के कोर्ट में रिटर्न पेश किये गये तो जो विरोधी पार्टी थी उसने एस० डी० ओ० से मिल कर, एस० डी० ओ० के क्लर्क से मिल कर, जहां रिटर्न में ६ हजार का खर्च बताया था वहां सात हजार का खर्च लिख दिया गया। उस मामले में रिट की गई, रिप्रेजेन्टेशन, इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने भेजी गई और उस मामले में जांच की गई तो सारे वाउचर बदले हुए नजर आये। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टीगेशन चालू हुई तो लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सके। फिर उस मामले में दबाव पटका गया। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया उसकी जमानत की गई। मैं पूछना चाहता हूँ गृह मंत्रीजी से कि इलेक्शन जैसे मसले में इस प्रकार की लापरवाही क्यों बर्ती जाती है ? उस मामले को तीन वर्ष हो गए लेकिन उस का चालान पेश नहीं किया गया है और इसलिए नहीं पेश किया गया है क्योंकि यह कांग्रेसी नेता है, जिनके विरोध में मुकदमा पेश किया गया है। राजस्थान के मंत्री कोशिश करते हैं कि जो उनके कृपा पात्र हैं, वे रूल्स को वायोलेट करें, सरकारी कागजात के अन्दर टेम्पर करें, इलेक्शन की सेक्टिटी को खत्म करें उनको मंत्री और राजस्थान सरकार प्राटेक्शन दे—इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने और विशेष रूप से राजस्थान के मुख्य मंत्री ने विशेष तौर पर यह आश्वासन दिया था कि जयपुर में कच्ची बस्तियां हैं, उन कच्ची बस्तियों के लोगों को जब तक आॅल्टरनेट प्लाट्स नहीं दिये जायेंगे तब तक उनको वहां से नहीं हटाया जायगा। उनकी इस घोषणा का लगभग १५ हजार लोगों ने स्वागत किया और माननीय मुख्य मंत्री को दुआएं दीं। लेकिन मुख्य मंत्रीजी, मैं कोई आपसे दुआ मांगने या रियायत मांगने के लिए अर्ज नहीं कर रहा हूँ। आपने राजस्थान की राजधानी जयपुर के अन्दर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया रामकिशोर

(श्री भैरोंसिंह)

व्यास को, जो मेरे मुकाबले में इलेक्शन में केन्डीडेट रहे थे । आज कच्ची बस्ती का कोई व्यक्ति उनके दफ्तर में जाता है कहता है, हमारे झोंपड़े का क्या हुआ तो उत्तर दिया जाता है भैरोंसिंह के पास जाओ । इस तरह पोलिटिकल विक्टीमाइज़ेशन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चेयरमैन करता है । जो स्कीम बनाई, उसके लिए कहा कि नौ रुपये से कम में जमीन नहीं मिलेगी । जो लोग वर्षों से वहां रहते हैं उनके लिए कहा जाय कि जमीन नौ रुपये में दी जायेगी । मैं कहना चाहता हूँ कि यह कच्ची बस्ती का मसला है, इसको मुख्य मंत्रीजी व्यक्तिगत रूप से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो यह सुलझ जायगा वरना अगर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा एक भी झौंपड़ी को तुड़वाने की कोशिश की गई तो उसका पूरी जी-जान से मुकाबला किया जायगा और एक भी झौंपड़ी तोड़ने नहीं दी जायगी । एक व्यक्ति जिसकी एक–दो रुपये की रोजी है, जो वहां वर्षों से पड़ा है, उसको नौ रुपये में जमीन देना चाहते हैं और सोचते हैं कि वह नौ रुपये के हिसाब से जमीन खरीद लेगा—मैं समझता हूँ यह असम्भव है और मानवता के नाते यह शर्म की बात है, उनकी आर्थिक स्थिति पर बोझ पटकने वाली बात है । मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ उन श्रीमान्‌जी को कह दें कि उन्होंने फियेट के मामले में दो बार गाड़ी बेच कर ब्लैक मार्केट कर दिया हो, उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई लेकिन जयपुर की कच्ची बस्ती के लोगों के साथ इस हारे हुए व्यक्ति ने पालिटिकल विक्टी-माइजेशन करना चाहा तो अच्छा नहीं रहेगा और जयपुर में बदबू फैलेगी, जयपुर की जनता ऐसे हारे हुए नेता को मानने के लिए तैयार नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको प्रोटेक्शन देना चाहें, बेकार का भत्ता देना चाहें तो उनको और किसी रोजगार पर लगा दें । आपके पास रोजगारों की कमी नहीं है, आप किसी खादी बोर्ड में लगा दीजिये, किसी भारत सेवक समाज में लगा दीजिये या दा, साहब अस्वस्थ हैं, उनको घर बैठाकर उनकी जगह लगा दीजिये । इसमें मुझे आपत्ति नहीं है । लेकिन जहां जनता का सवाल आता है, वहां इस प्रकार के लोगों को लगायेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनके कारण से दिक्कत पैदा होगी । अध्यक्ष महोदय, गवर्नर के भाषण में

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनिट ! विजीलेंस कमीशन का उल्लेख आया था । वह विजीलेंस कमीशन कहां गया ? हम ऐसा समझते थे कि गवर्नर ने भाषण दिया उसके तुरन्त बाद विजीलेन्स कमेटी की घोषणा कर दी जायगी । मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि वह विजीलेन्स कमीशन कहां है ? कागजों से बाहर निकला या नहीं ? निकलने की उम्मीद है या नहीं ? है तो कब से काम करना शुरू करेगा ? इस सम्बन्ध में वे सदन में जानकारी दें कि विजीलेंस कमीशन कब से नियुक्त किया जा रहा है और अमुक अमुक सदस्य विजीलेंस कमीशन का सदस्य होगा और उस सब का काम चल रहा है । जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते तब तक जो कमिश्नर फोर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ बना रखे हैं, उनके पास तीन तीन वर्ष से मामले पड़े हैं लेकिन उनमें पेशियां नहीं होतीं, फैसले नहीं होते, उनके पास करप्शन के, रेप के और एम्बेजल-मेंट के, मिस-एप्रोप्रियेशनज़ के केसे तीन तीन

(श्री भैरोंसिंह)

वर्ष से पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कहां तक सब्र रखा जाय कि कमिश्नर फोर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज़ इन सारे मामलों को डिस्पोज़ ऑफ कर पायेंगे ? वह नहीं कर सकते । अगर नहीं करते इससे करप्शन बढ़ता है ! मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आप विजीलेंस कमीशन, जिसका उल्लेख गवर्नर के अभिभाषण में आया है, की घोषणा करें और घोषणा करके यह व्यवस्था करें कि जितने केसेज़ उनको ट्रान्सफर किये जा सकते हैं वह करें और पब्लिक को खुली छूट दें कि वह इसके सामने एलीगेशेज़ को पुट अप कर सकें। उसके लिए इतना निवेदन करना चाहता हूँ, उस विजीलेंस कमीशन में केवल सरकारी अधिकारियों पर ही तलवार लटकाई जाय, यहां तक उसे सीमित नहीं रखा जाय लेकिन राजस्थान के मंत्रीमण्डल, राजस्थान के राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ता– चाहे वे किसी पार्टी के हों–के विरुद्ध इसमें शिकायतें की जा सके, विजीलेंस कमीशन में इस प्रकार की शिकायतें की जा सकें और छोटे से अधिकारी से लेकर मुख्य मंत्री तक के स्तर पर की जाने वाले करप्शन की रोकथाम के लिए उसके द्वारा रोकथाम की जा सके ।

इन शब्दों के साथ एप्रोप्रियेशन बिल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री रामकिशन (वैर) : क्या आप जवाब दे रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं बीच में बोल रहा हूं ।

श्री रामकिशन : आप तो राज्य कर रहे हैं। हमें बोलने का तो अवसर दीजिये । आप राज्य करते रहिये । यही आपके लिये अच्छा रहेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Poin of order, Sir, मैंने कल रूल २७३ के तहत चीफ सेक्रेट्री, राजस्थान सरकार के विरुद्ध कुछ स्पेशल एलीगेशन्स लगाने के लिए सरकार को और आसन को सूचना दी थी और इन एलिगेशन्स पर मेरा बोलना आवश्यक है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हु कि मुझे बोलने दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बात का पता लगा लेता हू और होगा तो आपको अवसर दिया जायगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता । इस सदन में जहां दूसरी बहुत सी बातों पर चर्चा हुई है और जिस रोज पुलिस विभाग के बारे में चर्चा हो रही थी मगर दुर्भाग्य से उसके बाद इस सदन में विशेष परिस्थितियों के कारण आगे बहस नहीं चल पाई और जवाब नहीं दिया गया । आज भी सदन में अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कुछ बातों के बारे में चर्चाए कीं । इसी तरह अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सर्विसेज के बारे में यह कहा कि सरकार को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उनकी प्रोपर्टीज़ के बारे में स्टेटमेंट लेना चाहिये और इसके सम्बन्ध में नियमों के बारे में पूरी पूरी पाबन्दी रहनी चाहिये। इन बातों के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ पोइन्ट्स जो अभी यहां रेज़ किये गये हैं उसके बारे में मैं फिलहाल सब चीजों के बारे में कह सकूं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैं उन चीजों की जानकारी करके उनको बता दूंगा और आगे इस संबन्ध में कोई बात सदन में कहने की हुई तो सदन में निवेदन कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सारे राजस्थान के अन्दर, इस सदन में और सदन के बाहर भी कीमतों को लेकर काफी चर्चाएं हुई हैं और यह भी कहा गया कि जो हमने पांच रुपये मंहगाई बढ़ाने का फैसला किया है वह आज के हालातों को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। चाहे पटवारी की तनख्वाह का सवाल हो, चाहे कॉन्स्टेबल की तनख्वाह का सवाल हो या और किसी की तनख्वाह का सवाल हो, इस बात को हम जानते हैं और मानते हैं कि जो कुछ आज उनका वेतन है उसमें वृद्धि होनी चाहिये, लेकिन सारा सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा फाइनेन्स हमें कितनी वृद्धि करने के लिये इजाजत देता है। आज किसी भी व्यक्ति को ६०) या ६५), ७०) या ७५) रुपये मिलें ताकि वे अपने बच्चों का और अपना जीवन-निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी प्रबन्ध कर सकें। मैं स्वयं इस बात को पसन्द करूंगा कि कम से कम १००) रुपये का वेतन सबका हो, लेकिन १००) रुपये के वेतन के लिए राजस्थान को अपनी माली हालत को सुधार कर इसके काबिल हैसियत बनानी होगी और इसी में हम लगे हुए हैं और पहले के मुकाबले में काफी परिवर्तन हमारी स्थिति में हुआ है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने इस प्रकार की बात जब कभी भी हमारे सामने आई है तो हमेशा इस बात का हमने ध्यान रखा है कि लो पेड कर्मचारियों के बारे में हम जो कुछ कर सकें करें और हमने किया है। हमने उस तरफ पूरी तरह से ध्यान दिया है। इसके अलावा सौभाग्य से खाद्यान्नों के भाव पिछले १५ दिनों में कुछ गिरे हैं और मुझे आशा है कि आगे भी गिरेंगे। हम लोग इस बात को चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर लोगों को इस बात की तकलीफ नहीं हो। कोई भी गवर्नमेंट यह नहीं चाहेगी कि जानबूझ कर भाव चढ़ाये जावें और दूसरी राजनैतिक पार्टीज़ को क्रिटीसाइज़ करने का मौका दिया जावे कि वे लोग इस प्रकार की बातों से किसी प्रकार का लाभ उठावें। आज राजनैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो जब भाव बढ़ते हैं तो इन भावों के बढ़ने से कुछ पार्टीज़ को जनता में कहने का फौरन मौका मिलता है। इसलिये ऐसी स्थिति हम खुद पैदा करें, यह बात नहीं हो सकती। यह स्थिति सारे देश भर में पैदा हुई और उसका असर राजस्थान पर भी हुआ। इसलिये मैंने सदन में पहले कहा था कि हम इसके लिये प्रयत्नशील हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार यह movement of grain बन्द हो तो हमें काफी सुविधा मिले। हमने सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात चीत की और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया और movement of grain बन्द हुआ और इससे भावों में परिवर्तन होने लगा और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इससे आशा है आगे स्थिति ठीक रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहस के दौरान में इस बात का जिक्र किया गया कि कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारी चन्दा इकट्ठा करते हैं और इस संबन्ध में कपासन के बारे में बाल भारती के बारे में काफी कहा गया और कुछ और चीजों के बारे में भी जिक्र किया गया। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक चन्दा इकट्ठा करने वाले सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, उनको पहले इजाजत लेनी चाहिये, यह नियम के अनुसार पहले इजाजत लेना उनके लिये आवश्यक है। मुझे चूंकि इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है कि किसका कितना हाथ रहा है और क्या हुआ, इसलिये इसकी जानकारी करने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा लेकिन इसके लिये यही कहूंगा कि हम सर्विस कन्डक्ट रूल्स को री-ड्राफ्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत सी बातों जो सदन में आई हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान रखेगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं जिससे इस प्रकार की भ्रान्तियें सरकारी कर्मचारियों के बारे में यहां पर उठतो हैं वे न उठें और कोई भी गलत फहमी पैदा न हो। मेरे सामने यह बात कुछ दिन पहले unauthorized coversion of land की आई और उन पर मकानों के साइट की आई। यह दुर्भाग्य की बात हैं। हम खुद नहीं चाहते कि उन लोगों को उनकी जमीन से डिसपज़ेस किया जाए। हमने इसलिये इसके लिये नियम बनाये हैं और जहां कहीं भी हमें मालूम हुआ कि लोगों ने ज्यादती करके या पटवारियों मिल करने या तहसीलदार ने मिल कर कहीं भी इस प्रकार की जमीन का कनवर्शन करने की कार्यवाही की है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उनके खिलाफ फौरन कार्यवाही की है और कुछ लोगों को हमने सस्पेन्ड किया है और कुछ को डिसमिस भी किया है। इसके अलावा जैसा आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने हमें जानकारी दी, हमने फौरन रेवेन्यू और पुलिस के रेकार्ड को जब्त करने की कार्यवाही की। कुछ रेकार्ड सरपंच के पास रह गया है उसका ठीक पता लगाने पर कार्यवाही की जावेगी। अब इस प्रकार की स्थिति आती है कि लोग खेती की जमीन लेकर प्लॉट बनाने की कार्यवाही करते हैं, यह बात जब कभी भी हमारे नोटिस में आई हमने उसकी विशेष जानकारी करके रोकना चाहा है। इसके लिये हमने आदेश दे रखे हैं। इतना ही नहीं, दरअसल शहरों में या म्युनिसिपेलिटीज़ में जहां कहीं भी एग्रीकल्चरल जमीन को कनवर्टन करने के आदेश जारी कर रखे हैं। जिससे इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो और जिससे किसी प्रकार का लाभ उठाने की स्थिति उत्पन्न न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रीवी पर्स के बारे में कहा गया जब जी. ए. डी. की मांग पर बहस हो रही थी उस समय वाटर चार्जेज़ और बिजली चार्जेज़ के बारे में और दूसरी बातों के बारे में जिक्र आया था। मैं समझता हूं कि जहां तक प्रीवी पर्स और इलेक्ट्रिक चार्जेज़ का प्रश्न है यह प्रश्न दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रीवी पर्स का प्रश्न अखिल भारतीय जनरल प्रश्न है जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को और पार्लियामेंट को अंतिम रूप से फैसला करना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

होगा। इसलिये मैं इस भाग के विवाद में पड़ना उचित नहीं समझता। जहां तक बिजली और वटर चार्जेज़ का प्रश्न है, मैं राजस्थान के उन रूलर्स से इस बात के लिये जरूर दरख्वास्त करना चाहूंगा कि राजस्थान में बिजली और वाटर चार्जेज़ की फेसिलिटी सब प्रिन्सेज़ को समान रूप से उपलब्ध नहीं है, कुछ को है और कुछ को नहीं है। उनमें भी विशेष तौर से कइयों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी दशा में वे स्वयं छोड़ दें तो किसी मुआहदे के तोड़ने की बात नहीं होगी और ठीक बात होगी जिससे सदन में बार बार सवाल खड़े होते हैं वे खड़े नहीं हों और यह प्रश्न भी हल हो सके। इस सदन की भावना को भी वे जानते हैं। फिर अलग अलग बात हो, कुछ को लाभ हो, कुछ को नहीं हो, ऐसा वे स्वयं भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिये इस मौके पर मैं और विशेष न कह कर इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग स्वयं इसको रियेलाइज़ करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): हाथ जोड़ कर कुएं के सामने खड़े हो जायेंगे तो कुआं पानी नहीं देगा, कितनी ही देर खड़े रह कर प्रार्थना किया करो वह पानी देने वाला नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मुख्य मन्त्रीजी ने जो प्रीवी पर्सेज़ के बारे में यह कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, यह तो सही है, पर राजस्थान सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है, वह साफ करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं समझता हूँ इस बारे में हम अलग अलग राय दें इसकी आवश्यकता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में जो कहेगी वही स्टेट गवर्नमेंट कहेगी। मेरी कोई राय इस बारे में होगी तो उपयुक्त क्वार्टर्स को देना पसंद करूंगा बजाय इसके कि यहां दूं। इसलिये मैं उस चर्चा में यहां नहीं पड़ना चाहता।

श्री रामकिशन: इसका मतलब यह हुआ कि वर्किंग कमेटी में बहुमत होगा तो आप हां में हां मिला देंगे और बहुमत नहीं होगा तो 'ना' कर देंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जितना मैंने कहा उससे आगे मैं किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

श्री रामकिशन (वैर): हम तो आपको प्रगतिशील और उत्साही मानते थे इसलिये कहा, पर आप तो....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आप अपनी व्याख्या मान कर चलें, मैं उस विवदा में नहीं पड़ना चाहता।

इस सदन के माननीय सदस्यों से विशेष तौर से यह अपील करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और वह है कि आज हम इस बात को गम्भीरता पूर्वक समझ कर चलें, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने जिस वक्त देश पर आक्रमण किया था उस वक्त जो देश की सीमाओं पर परिस्थिति थी उससे कहीं ज्यादा परिस्थितियां आज हैं। पहले चीन की तरफ से ही आक्रमण हुआ पर आज चीन और पाकिस्तान दोनों ही के एक दूसरे के बीच में समझौता हुआ है। उनके भाषण, एक्शन्स

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से साफ जाहिर होता है कि देश बेखबर रह कर इन मामलों में नहीं चल सकता है । इसका मतलब यह है कि देश के अन्दर, देश के बाहर से कभी भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, उनके लिये देश में कैसा वातावरण हो, इसके लिये इस सदन के माननीय सदस्यों से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। राजस्थान इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारे यहां पर मायनोरिटीज़ और मेजोरिटी कोम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में सम्बन्ध अच्छे हैं। लेकिन सभी परिस्थितियों में ये सम्बन्ध ज्यादा से ज्यादा ठीक रहें इस बारे में हमें सतर्कता पूर्वक काम करना होगा, मानवता की दृष्टि से भी और देश की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। आज चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि हमारा ध्यान बोर्डर की ओर से हट घर की ओर बंटे पर हम देश के व्यापक हित को सामने रख कर चाहे कितना ही उत्तेजना पूर्ण वातावरण क्यों न हो ठीक तरह से चलना चाहिये।

अलग अलग जगह के प्रश्न उठे उनके सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो जो माननीय सदस्यों की तरफ से पहले बातें उठाई गईं मैंने उनकी जांच कराने की बेशक कोशिश की यही अब भी कहना चाहता हूँ कि जो बातें उठाई गई हैं उनकी जांच कराई जायगी।

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले कई माननीय सदस्य इस विनियोग विधेयक पर बहस में हिस्सा ले चुके हैं और मैं भी इस विनियोग विधेयक के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। जिसके द्वारा १५२ करोड़ की मंजूरियां दी जा रही हैं........

श्री उपाध्यक्ष : I hope, you will be a bit brief.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I will try to be as brief as possible.

जिसका सारा खर्चा राजस्थान की प्रशासनिक मशिनरी के द्वारा खर्च किया जायगा, उसको स्वीकार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। १५२ करोड़ का फीगर बहुत इम्प्रेसिव हो सकता है, हमें बड़े लग सकते हैं। पिछले वर्षों में करोड़ों रुपयों की स्वीकृतियां विनियोग विधेयकों के द्वारा की हैं पर राजस्थान को आज उनका पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। इन करोड़ों रुपयों से जितनी उपलब्धियां राजस्थान की जनता के लिए हो सकती हैं वह नहीं हो रही हैं। इसका मूल कारण यह है कि राजस्थान की प्रशासनिक मशिनरी बहुत ही निम्न स्तर की मशिनरी दिन प्रतिदिन बनती जा रही है।

मैं तहसीलदार और पटवारी की बात नहीं कहना चाहता, एल. डी. सी और यू. डी. सी. की बात नहीं करना चाहता, पर मैं राजस्थान की प्रशासनिक मशिनरी के हैड जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ तथ्य इस सदन में रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा एलीगेशन उनके सम्बन्ध में यह लगाना चाहता हूं, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चीफ सेक्रेटरी के सम्बन्धों में बात कही उसका मुख्य मंत्री ने

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया । सिविल सर्विस रूल्स राजस्थान के वही हैं जो सेंटर के हैं, राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी के हैड चीफ सेक्रेटरी बालभारती नामक संस्था के मेम्बर बने, बोर्ड ऑफ मेनेजमेंट के डायरेक्टर बने, लाखों रुपया चन्दा एकत्रित किया तो इसके लिये उन्होंने राज्य सरकार से स्वीकृति ली या नहीं ली ? आज तक उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं ली है, उसके बावजूद भी मेरा विश्वास है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने सीविल सर्विस रूल्स के खिलाफ यह जो कार्य किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में हमारी सरकार बहुत कमजोर और अक्षम निकलेगी । दूसरा कोई अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही करता तो उसको चार्जशीट दे सकती थी पर हमारी सरकार की यह हिम्मत नहीं है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने सिविल सर्विस रूल्स और कोड ऑफ कन्डक्ट का साफ तौर से वायोलेशन किया है, उसके लिए उनको चार्जशीट दे या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले ।

मेरा दूसरा चार्ज इन चीफ सेक्रेटरी साहब पर यह है कि राजस्थाय सेक्रेटेरियेट की बिल्डिंग थी, उसमें जो पोर्शन जमीन का हिस्सा सेक्रेटेरियेट की बिल्डिंग में शामिल था, जहां बिल्डिंग भी बनी हुई है, जिसको पहले मालखाना कहा जाता था, उस सारी जमीन को पहले तो उन्होंने सेक्रेटेरियेट की प्रेमिसेस से अलग करवा दिया, पहले ए. जी. के दफ्तर को देने के लिए अलग करवा दिया बाद में किसी तरह मेनुपुलेनेशन करके उस जमीन को अपने खुद के नाम से पौने दो रुपया गज के हिसाब से जमीन अलॉट करवा ली । सेक्रेटरियट जाते हैं तो आखिरी बंगाल आता है, क्यूबेक्स हाउस है, वह और किसी का नहीं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का है और उस जमीन को राजस्थान सरकार ने, यू. आई. बी. ने पौने दो रुपया गज में चीफ सेक्रेटरी साहब को दी । मैं जानना चाहता हूं क्या उस समय इस जमीन की कीमत पौने दो रुपया गज के हिसाब से थी ? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी, आई. जी. पी. डाक्टर सिरीन, राजवी रूपसिंह । इस तरह राजस्थान की मशिनरी के हैड, पुलिस के हैड, मेडिकल डिपार्टमेंट के हैड और राजवी रूपसिंह को यह जमीन दे दी गई, जो सेक्रेटेरियेट की जमीन थी, उसके प्लॉट काट कर पौने दो रुपया गज के हिसाब से अलॉट कर दी ।

मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पद का दुरूपयोग नहीं तो और क्या है ? जिस जमीन की कीमत उस वक्त अगर बेची गई होती तो कम से कम २० रु. गज, २५रु. गज या ३० रु. गज आ सकती थी । हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको सेक्रेटेरियट के बाहर उसके एडजेसेन्ट रोड के बाद में उनका बंगला अवश्य होना चाहिये और बंगला बनाने के बाद में उपाध्यक्ष महोदय, वह उसमें रहे क्या ? वह उसमें नहीं रहे । मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सर्विस रूल्स में यह प्रावधान है कि जिनके मकान जहां बने हुए हैं यदि उनकी पोस्टिंग वहां होती है तो सरकार को विशेष तौर से मन्जूरी देनी पड़ती है कि वह अपने मकान में न रहे और दूसरा मकान उसको अलॉट किया जाय । मकान बनाया गया, जहां से ४००), ५००) रुपया किराया आता है ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आपने तो उनकी तनख्वाह में से १० परसेंट काट कर २००) रुपये में वह बंगला, जो उनके बंगले से ४ गुना ज्यादा बड़ा है, अलॉट कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ सेक्रटरी महोदय ने जिस तरह से यह जमीन प्राप्त की है न तो उनका प्रायोरिटी में नंबर था न दूसरे लोगों को वह जमीन खरीदने का मौका दिया गया। वह जमीन यदि ओपन ऑक्शन में बेचते तो कम से कम आमदनी २०) रु. या २५) रु. गज आती और उसका यदि प्रोपर वैल्युएशन आप करते और फिक्सड कीमत पर ऑफिसरों को देते तो प्रोपर वैल्युएशन कम से कम १०) रु. और १५) रु. गज हो सकती थी। लेकिन सरकार को रेवेन्यू की चिंता नहीं, आपकी सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ाना चाहती। आपकी सरकार टैक्सेज़ के भार से आमदनी बढ़ाना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चीफ सेक्रेटरी.......

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

जमीन गलत तौर पर लें और राज्य के पैसे से गलत दौरे करें तो हमारी सरकार क्या कर सकती है ? हमारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी, हमारे राज्य के होम सेक्रेटरी के लड़के और लड़की की शादी गढ़ी गांव में हुई तो दौरा करेंगे सरकारी तौर पर। सरकारी प्रोग्राम बनेगा। चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी से अपनी दोस्ती निभाएं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं गांव गढ़ी में चीफ सेक्रेटरी के लेवल के ऑफिसर का क्या काम था ? क्या बिज़नेस ट्रान्जेक्ट हुआ ? मेरी सूचना है कि गांव गढ़ी में शादी अटेंड करने के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की। यहां से बड़े-बड़े स्टेशन वैगन्स गए, उनमें डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के फोटोग्राफर को ले गए। आने-जाने का टी० ए० और डी० ए० उन्होंने लिया। टी० ए० किस तरह का लिया ? बहुत बड़े स्टेशन वैगन में गांव गढ़ी तक ले गए। उस स्टेशन वैगन के अन्दर मेरी सूचना है कि डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के फोटोग्राफर भी वहां गए उस शादी में। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि यह एक प्राइवेट अफेयर था, उसमें डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के फोटोग्राफर द्वारा फोटोज़ खींची जाती हैं। मुख्य मंत्रीजी, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे फोटोज़ पेश करनी पड़ेंगी फोटोग्राफर की जो वहां गए। मेरी सूचना है कि फोटोज़ खींचे गए........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे पास तो पांच एलीगेशन्स हैं। मैं अभी दूसरे एलीगेशन पर बोल रहा हूं और यदि आपकी मन्शा है कि चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध एलीगेशन्स नहीं लगाए जायं इस सदन में और यदि आपको ना पसन्द हैं तो मैं बैठ सकता हूं आपकी अनुमति से।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पर मन्शा के आक्षेप न लगाएं। मैं केवल आपको सूचित करता हूं कि समय थोड़ा है, क्योंकि १२॥ बजे सरकारी पक्ष की ओर से.......

श्री मानिकचन्द सुराणा : समय बहुत कम है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के विरुद्ध जो एलीगेशन्स हैं उनकी मैंने पूर्व सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखें, मुझे एतराज नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वहां पर स्टेट के फोटोग्राफर, चीफ सेक्रेटरी, स्टेशन वैगन्स जयपुर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से गढ़ी गए। कोई स्टेट का बिज़नेस ट्रैन्जेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद उनके आने-जाने का भत्ता, इन सबका वजन पड़ा हमारी सरकार पर, जो जनता से टेक्सैज़ वसूल करती है, उन पर गिरा। लेकिन देखने वाला कोई नहीं। यह एलीगेशन पहले भी आ चुका है स्पेसीफिकली, लेकिन इसके बावजूद सरकार न ध्यान देती है और न कोई कार्यवाही करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, चीफ सेक्रेटरी साहब क्योंकि एडमिनस्ट्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इसलिए उनके पी. एज. हैं वे बी. डी. ओज़. बनते हैं। बी. डी. ओ. बनने के बाद आर. ए. एस. आफिसर्स बनते हैं। एक पी. ए. श्री नामजोशी और एक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पी. ए. श्री दुर्गा-प्रसाद। मुख्य सचिव चाहते थे कि वे अपने पी. ए. को आर. ए. एस ऑफिसर बनाएं तो उन्होंने सबसे अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने उसको बी.डी.ओ. अपोइन्ट करवाया क्योंकि बी. डी. ओज़ के सर्विस रूल्स बनाए नहीं और राज्य सरकार चाहे जिसको भी बी. डी. ओ. अपोइन्ट कर दे। नियुक्ति टेम्पोरेरी तौर पर कर दी और जब बी डी.ओ. की अवधि काल में पूरा एक वर्ष उनको हो गया और जिस दिन उनको एक वर्ष समाप्त हुआ, उनकी तरक्की के लिए आर. ए. एस. रूल्स में प्रावधान किया गया कि फलानी तारीख को जिन व्यक्तियों को एक वर्ष की अवधि तक बी. डी. ओ. के पद पर कार्य करते हो गया है वे बी.डी.ओज., आर ए एस. की प्रोमोशन कोटा में आ सकेंगे क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर साहब के जो पी. एज़., बी. डी. ओज़ बने थे उनकी नियुक्ति को एक वर्ष हो गया था। सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करके प्रावधान किया गया कि ये आर. ए. एस. की प्रोमोशन कोटा में आ सकेंगे और वे इस तरह से आर. ए. एस. में आ गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने उसके बाद में कितने अपने पी. ए. को बी. डी. ओ. बनाया और किस तरह से बी. डी. ओज़- को आर. ए. एस. ऑफिसर बनाया ? आप कोई मिसाल नहीं दे सकते कि किसी पी. ए. को बी. डी. ओ. बनाया और बी. डी. ओ. के रास्ते आर. ए. एस. में प्रवेश किया हो। इस तरह की शासन व्यवस्था जहां हो, शासन पक्षपात करता हो, मनमाने तरीके से नियमों में परिवर्तन किया जाता है, टेम्पोरेरी नियुक्तियों की जाती हों, मनमाने तरीके से ऑफिशियेटिंग नियुक्तियां की जाती हों, इसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। जहां हमारे चीफ सेक्रेटरी के पी. एज. के लिए रूल्स में परिवर्तन होगा और रूल्स अमेंड होंगे, उस प्रशासनिक मशीनरी में जहां हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं क्या उनके अन्दर कोई संतोष व्याप्त हो सकता है ? इन हरकतों से जो हमारे ऑफिसर्स और दूसरे अधिकार हैं उनमें असंतोष व्याप्त है और वे महसूस करते हैं कि आज हम सुरक्षित नहीं हैं, आज उनकी सीनियोरिटी सुरक्षित नहीं है सीनियारिटी चाहे जिस तरह से बना की जाती है।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

दूसरा उदाहरण यह है कि इस हमारे चीफ सेक्रेटरी का एक दूसरा स्टेनोग्राफर था श्री नाग। इस श्री नाग को उन्होंने एडजस्ट करने के लिए और असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाने के लिए सेक्रेटेरियट के अन्दर यह रूल निकाला कि स्टेनोग्राफर्स के लिए भविष्य में सेक्शन ऑफिसर्स और असिसटेंट सेक्रेटरी की ४–४ पोस्ट्स रिज़र्व होंगी और उसके बाद में श्री नाग को सेक्शन ऑफिसर का टेम्परेरी अपोइंटमेंट दिया गया। लेकिन मैं मुख्य मन्त्रीजी से चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि उनका एपोइंटमेंट जरूर हो गया सेक्शन ऑफिसर के पद पर लेकिन इस श्री नाग ने एक दिन भी सेक्शन ऑफिसर का काम नहीं किया, वे बदस्तूर स्टेनोग्रफर की हैसियत से चीफ सेक्रेटरी के पास काम करते रहे और जब वह समय पूरा हो गया तो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर उनको कन्फर्म कर दिया गया और उसके बाद में उनको प्रोमोशन असिसटेंट सेक्रेटरी के पद पर किया गया। ४–४ रिज़र्वेशन्स किए गए। हिंन्दुस्तान के सविधान के अनुसार हरिजनों के लिए पोस्ट्स का रिज़र्वेशन होता है और मान्यता प्रदान की है और डाइरेक्टिव संविधान में इस तरह की रिज़र्वेशन्स के बारे में है। लेकिन पी० एज, के लिए, स्टेनोग्रफर्स के लिए, इस तरह की जो आपने रिज़र्वेशन्स रखी हैं, तो नतीजा क्या हुआ ? कई असिसटेंट सेक्रेटरीज़ और ऑफिसर्स ने अपको रिप्रेजेन्टेशन दिए हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को कौन सुनता है, उनकी सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि इससे चीफ सेक्रेटरी के स्टेनोग्राफर इन्वोल्वड हैं। आप दूसरे असिसटेंट सेक्रेटरीज़ और सेक्शन ऑफिसर्स का हक मारना चाहते हैं क्योंकि आप पर्टिक्यूलर स्टेनोग्राफर को प्राथमिकता देकर उनको ऊपर लाना चाहते हैं असिसटेंट सेक्रेटरी के पद पर। ऐसे बीसियों उदाहरण हैं लेकिन यह जो पर्टिक्यूलर इग्जाम्पल दिया है उसके द्वारा इस सदन को ज्ञान होगा कि किस प्रकार से इन सर्विस रूल्स को अमेंड किया जाता है और उसमें पक्षपात है और उसके अन्दर अपने रिश्तेदारों और अपने कृपा पात्रों को एडजस्ट किया जाता है। मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के बहुत से प्रोफेसर्स कल मुझसे मिले और उन्होंने मुझे यह सूचना दी कि इस मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज में एक कोई बालूलालजी पनगड़िया हैं, बदकिस्मती से या खुश किस्मती से वे उदयपुर के हैं। उनको वहां पर ओ० एस० डी० लगा दिया गया।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : वे राजस्थानी नहीं हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष Order please

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुझे धौलपुर का बड़ा दर्द है। फर्टीलाइज़र फैक्टरी आपके यहां खोल दी जाय, यह मैं मुख्य मन्त्रीजी से रिकमन्ड कर चुका हूँ, चाहे हांडा साहब नाराज हो जायं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सेठजी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है उनकी सेहत का ख्याल रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये श्री बालूलालजी पनगड़िया ३६० से ६०० को ग्रेड में थे। और इस ग्रेड के ऑफिसर को चीफ सेक्रेटरी

Page No. 77

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

की कृपा के कारण ओ० ऐस० डी० वहां पर लगा दिया ९०० से १३०० की ग्रेड में । मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज में उनको ओ. एस. डी. लगा दिया । उपाध्यक्ष महोदय, ९००) रु. तक जो ऑफिसर्स पहुँचे थे या ८००) रु. तक पहुंच चुके थे क्या उनको वहां नहीं भेजा जा सकता था कि ३००) से ९००) रु. की ग्रेड के ऑफिसर को जो ५००) या ५५०) रु. पाता है उसको वहां भेज रहे हैं और ९००) रु. एक साथ दिलवाना चाहते हैं। इससे अधिक भ्रष्टाचार और पक्षपात का उदाहरण क्या दिया जा सकता है । वर्तमान तनख्वाह उनकी ५५०) रु. है। उनको आपने ऐसी जगह भेजा हैं जहां उनको ९००) रु. मिलेगा और ९००) से १३००) रु. की ग्रेड होगी । आप उनको कन्फर्म करना चाहते हैं! आप उनको रजिस्ट्रार कन्फर्म करना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रार बनाना चाहते हैं मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज का। जिस तरह से युनिवर्सिटी में और कॉलेज में आपके दादा बैठे हुए हैं उसी तरह मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज में दादा बैठ जांय, आप अपने मोहरे रखना चाहते हैं । राज्य की शिक्षण संस्थाओं में आप अपने मोहरे रखना चाहते हैं, मुख्य मन्त्रीजी यदि राजस्थान के प्रशासन की यही व्यवस्था रही तो राजस्थान की प्रशासनिक मशीनरी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकती चाहे वित्त मन्त्री २५२ करोड़ का खर्चा कर दे । जिस मशीनरी के जंग लग गया है, जो पक्षपात करती है और नियमों की अवहेलना का काम करती है उस मशीनरी से राजस्थान का भला नहीं हो सकता । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन चीफ सेक्रेटरी साहब के ये कारनामें हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : कोई आपकी नाराजगी है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई मेरी उनसे नाराजगी नहीं है। सिद्धान्त का प्रश्न है। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई वैमनस्य नहीं है। केवल एक सिद्धान्त के नाते मैं यह कह रहा हूं। किसी सोसाइटी का हैड यदि करप्ट हो जाय तो उसका शरीर दुरुस्त नहीं रह सकता, पांव दुरुस्त नहीं रह सकते । यदि शासन का हैड पवित्र रहा तो शरीर भी पवित्र रहेगा, पांव भी पवित्र रहेंगे और सोसाइटी में भी पवित्रता बनी रहेगी। इसलिए दुःख है इस बात का कि चीफ सेक्रेटरी ने यह काम किया।

उदयपुर के अन्दर जितनी भी आसपास कृषि भूमि थी उसको आपने अपने अधिकार में कर लिया है और कर रहे हैं लेकिन चीफ सेक्रेटरी की कृषि योग्य भूमि को उदयपुर अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्वायर नहीं कर सकता। वह भूमि तो उनको आबादी लैंड में कन्वर्ट कर के दी जा सकती है। ताकि उसको बेच कर लाखों रुपयों का व्यक्तिगत फायदा उठावें। मुझे पूरी सूचना नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने भी कन्वर्ट करा लिया है या नहीं, ढाबरियाजी कह रहे हैं कि करा लिया है, जब तक सर्टिफाईड कॉपी न मिल जाय तब तक मैं यह एलीगेशन नहीं लगा सकता ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : लगा दें ।

श्री बालकृष्ण कौल : गोभी खाने तो आ सकते हैं ?

श्री मानिचन्द सुरणा : आप निमन्त्रण देंगे तो जरूर आवेंगे। डिनर के खाने-पीने में दोस्ती है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां कृषि योग्य भूमि को आबदी लैंड में कन्वर्ट करा दिया गया और उनको खुदकाश्त का पट्टा प्रदान कर दिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : सबको जिन्दा रहने का हक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चूंकि वे चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे प्रशासन में बहुत बड़ी हस्ती रखते हैं इसलिए उनकी कृषि भूमि को आबादी लैंड में परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन दूसरे गरीब आदमियों की भूमि को उदयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक्वायर कर लिया और अब उदयपुर के लिए खुद प्लॉट्स काटेंगे और उनको बेचेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने उदयपुर में ही मकानों के लिए जमीन नहीं ले ली है किन्तु जयपुर के सेक्रेटेरियेट की जो लैंड है उसको रेज़िडेन्शियल हाउस में कन्वर्ट कराने के एलीगेशन के अलावा भी यह है कि जिला भीलवाड़ा में एक गांव है पलाड़। वहां पर चरनोट की जमीन है इन्होंने अपने नाम दर्ज करा लिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : 'Charnot' means ?

श्री मानिचन्द सुराणा : चरागाह की जमीन।

श्री उपाध्यक्ष : चरनोट चरागाह एक ही बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : गो माता के पेट में से ले लिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस जमीन को अपने रिश्तेदार और पत्नी के नाम से दर्ज करा लिया। मुख्य मन्त्रीजी कहेंगे उनकी जागीर थी। मुआवजे में खुद काश्त की जमीन मिल सकती थी इसलिए उनको ग्रान्ट दे दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मन्त्रीजी नियमों को पढ़ लें कि मेजा बांध के नीचे जो जमीनें आयी हैं उसमें से इस तरह से खुद काश्त की जमीनों को देने का कोई प्रावधान नहीं है और प्रावधान हो भी तो परम्परागत रूप से गांव के चारनोट के रूप में जो जमीन काम में आती है उसको अलाट कर देना किसी प्रकार का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। इसलिए २५० बीघा जमीन इन्होंने इस तरीके से जहां इरीगेशन की नहर आती है, सिंचाई होती है मेजा बांध से सिंचाई का ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत फायदा उठाने के लिये उन्होंने वह जमीन अलॉट करवाई। नतीजा क्या हुआ काश्तकारों ने आन्दोलन किया। भूमिहीनों ने आन्दोलन किया तो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया भू-दान में देता हूँ। भू-दान में देने का वायदा कर देने पर भी भू-दान में नहीं दिया, उसका कब्जा नहीं छोड़ना चाहते और लाखों रुपयों की पैदा करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक हमारा चीफ सेक्रेटरी इस तरीके से व्यक्तिगत स्वार्थ और फायदा इस प्रशासन से लेगा तो हमारे दूसरे लोगों पर उसका क्या असर होगा।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और इस चीफ सेक्रेटरी की देखा-दाखी श्री राजकुमार हैं, सिविल लाइन्स के पीछे एग्रीकल्चर लैंड है वे उसको लेते हैं । चीफ सेक्रेटरी के साढ़ू डी० एम० कोठारी हैं उन्होंने भी एग्रीकल्चरल जमीन ले ली है वहां पर । और इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी के दूसरे साढ़ू हैं श्री गुलाबचन्द लोढ़ा, जो समाज कल्याण विभाग के संचालक हैं, उन्होंने रिकमन्ड किया है कि ४० हजार रुपया बाल भारती को दिया जाय । मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सोशियल वैलफेयर विभाग द्वारा शिड्युल्ड कास्ट और शिड्युल्ड ट्राइब्स के छात्र छात्रोंओं के होस्टल बनाने के लिए रुपया दिया जाता है । बाल भारती में कोई होस्टल नहीं बना है । अध्यापिकाओं के क्वार्टर्स बना दिये गये हैं । क्या आप अध्यापिकाओं के क्वार्टर बनाने के लिए इस प्रकार की ग्रान्ट देते हैं ? होस्टल बनाने के नाम से अध्यापिकाओं के क्वार्टर बना दिये जांय यह कहां तक उचित है । मैं निहायत ही

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नम्रता के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि बाल भारती का जो केस है उसको मुख्यमंत्री जी लाइटली न लें । इसमें बड़ा तूफान है है और १। लाख रुपया जिन पूंजीपतियें से चीफ सेक्रेटरी साहब ने इक्ट्ठा किया है, आप रिकार्ड उठा कर देखे कि जिन लोगोंने बाल भारती को चन्दा दिया है क्या उन लोगों ने चन्दा देने से पहले और उसके बाद में सरकार से कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाया है और उठाया है तो कितना उठाया है चीफ सेक्रेटरी के पद पर यदि किसी निकम्मे आदमी को भी बिठा दिया जाय तो इस प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके १। लाख तो क्या सवा करोड़ रुपया भी इक्ट्ठा कर सकता है । लेकिन आप इसको नहीं सुनेंगे । आप तो १) में चेम्बर ऑफ कोमर्स को दस लाख रुपये की जमीन दिलाते हैं । मेरी आपको इस बात की चुनौती है कि मैं आपको उस जमीन का दस लाख रुपयों का चेक लाकर दे सकता हूं और यदि उस जमीन का ऑक्शन किया जाय तो दस लाख से भी अधिक रुपया उसका मिलेगा । लेकिन मुख्य मंत्रीजी दस लाख रुपये को स्वीकार नहीं करेंगे। वह तो एक रुपये में उस जमीन को अलॉट करेंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : चन्दे का सवाल है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जमीन को वे भी बेच कर ला रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पूंजीपतियों से सम्बन्ध हैं इस सरकार का और यह सरकार उन्हीं के कन्धों पर टिकी हुई है । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो इन पूंजीपतियों की ताकत पर, इनके पैसों और बल पर भरोसा करेंगे तो आप राजस्थान में समाजवाद नहीं ला सकेंगे । इन पूंजीपतियों से हट कर किसान और मजदूरों के साथ आवेंगे, उनका साथ देंगे और उनके संगठन में ताकत पैदा करेंगे । तो आप अपने संगठन में ताकत पैदा करेंगे । एक एक रुपया भीख मांग करके भी आप चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं। यह जब आस्था आप में पैदा होगी तभी राजस्थान में समाजवाद आ सकता है, दूसरी तरह के प्रगतिशील विचार आ सकते हैं।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में जो अनाज की बिक्री सरकार द्वारा कराई जा रही है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। स्टेट द्वारा वहां अनाज की दूकानें खोली जा रही है....

श्री उपाध्यक्ष : आप समय और लेंगे तो आगे आने वाले व्यक्ति नहीं बोल सकेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जोधपुर में जो सरकार ने नीति अख्तियार की है उसके अनुसार सरकार अनाज की दूकानें खोलेगी और उसी आधार पर आपने वहां अनाज की दूकानें खोली हैं। जोधपुर में होलसेल सहकारी समिति भंडार है जिसके आपके कॉग्रेसी लोग ही प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी हैं और चेयरमैन के पद पर हमारे विधान सभा के सदस्य श्री आनन्दसिंह कछवाहा हैं। इस तरह से सारे शहर में ७८ होल सेल सहकारी भंडार चल रहे हैं। उनके सेक्रेटरी ने अभी २० मिनिट पहले ही मुलाकात की है और कहा है कि दो दिन हुए सरकार ने उनको अनाज देना बन्द कर दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ सरकार ने यह जो नीति बनायी है कि सरकारी दूकानों से अनाज बेचा जाय, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं मैं सरकारी दुकानों का विरोधी नहीं हूँ; लेकिन जहां पर आलरेडी सहकारी समितियां काम कर रही हैं और जिनके काम के बारे में कोई शिकायत नहीं है....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : Are you sure about it ?

श्री मानिकचन्द सुराणा I an quite sure about it. उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बीस मिनिट पहले यह सूचना दी है वहां के सहकारी भंडारों के सेक्रेटरी ने कि उनको अनाज देना बन्द कर दिया है यह जो आपकी नीति है बहुत ही फॉल्टी नीति है। आप स्टेट सेक्टर बढ़ाइये, प्राइवेट सेक्टर की कोस्ट पर बढ़ाइये। कोऑपरेटिव सेक्टर की कोस्ट पर आप अगर स्टेट सेक्टर बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी कोऑपरेटिव्ज़ फेल होंगी। लाखों करोड़ों रुपया आप सहकारिता को बढ़ाने के लिये देते हैं, सहकारिता में निष्ठा व्यक्त करते हैं; इस तरह से वह सहकारिता समाप्त हो जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की सरकार की नीतियां हैं उससे कोऑपरेटिव सेक्टर पनप नहीं पायगा। आप कोऑपरेटिव सेक्टर का मर्डर करके स्टेट सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह आपकी नीति गलत है। आप जहां १ अरब ५२ करोड़ रुपये का यह बिल पेश कर रहे हैं उससे आपको सही उपलब्धियां करनी चाहिये। साथ ही आपको सही नीतियां अख्तियार करनी चाहिये और उनका सही इम्प्लीमेंटेशन करना ज्यादा जरूरी है। इतना ही मेरा इस पर निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) चीफ सेक्रेटरी के बारे में कुछ पोइन्ट उठाये गये, उनकी जानकारी मैंने की है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं भी इस बारे में बोलने वाला हूं, आप साथ ही जवाब दे दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एप्रोप्रियेशन

Page No. 81

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बिल पर हम विचार कर रहे हैं। मैं इसकी एक–दो धारायें हैं जिनकी ओर खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन एप्रोप्रियेशन बिल के अन्दर पहला आइटम है राजस्व के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आप पर्सनल आक्षेप लगाने की चेष्टा मत करिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, जिसके बारे में मैंने लिखकर दिया है वही आक्षेप मैं लगाऊंगा उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पर्सनल अटैक भी आप नहीं करेंगे, स्टेट इन्टरेस्ट की बात करेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : At what time, is goingto be closed ?

श्री उपाध्यक्ष : At 12. 45.

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इस तरह से काम नही चलेगा, उपाध्यक्ष महोदय हम तीन रोज से बराबर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : जनसंघ को समय मिला है, बराबर मिला है।

श्री अब्दुलजब्बार : मुझे खास खास चीजें रखनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Well, the Hon. Members will have to accommodate within the time.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ आज हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार और प्लानिंग कमीशन–ये सब मिलकर इस बात पर जोर लगा रहे हैं कि हमारा एग्रीकलचर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये। यह तब बढ़ सकता है जब कि इर्रिगेशन के सोर्सेज़ ठीक हों, उसके लिए जमीन उपलब्ध हो।

मैं कहना चाहता हूँ कि अभी एक माननीय सदस्य ने आपके सामने एक बात रखी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार जहां लेन्ड रिफोर्म्स की बातें करती है राजस्थान के अन्दर, हमने अखबारों में देखा है एक दो नेताओं के भाषण छपे हैं उसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने प्लानिंग कमीशन के आदेशानुसार जितने लेन्ड रिफोर्म्स करने चाहिये थे वे पूर्ण कर दिये हैं। उसका नतीजा क्या हुआ है उसको गरीब लोग और भूमिहीन लोग ही समझ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न रखा था २६ अगस्त, १६६३ को बहुत बड़े आदमी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी क्या इन महाशय को कोठियों के अन्दर १६०० बीघा जमीन दी गई है, कुछ शर्तों के आधार पर दी गई है। जबाब मिला, जो हाउस में मिला वह इतना असत्य दिया गया जो प्रोसीडिंग के पेज ३६,४१ और ४२ के अन्दर छपा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप–मंत्री राजस्व) : जिस समस्या के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं उस सम्बन्ध में एक breach of privilege motion दिया हुआ है जो माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है इस-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लिये जब तक उसका फैसला न हो जाय ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एडमिट किया गया है या नहीं, इस सम्बन्ध में चर्चा करना ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस विषय में जब कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दिया जा चुका है, तो इस विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर बोलें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि यह जो मसला उठाया है उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में नहीं लिया है जिसको ३०७ की धारा की तहत लिया है। उसके लिये सम्बन्धित मंत्री महोदय हवाई जहाज से उड़ कर विलायत चले जायेंगे उसके बाद सवाल आयगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : I have no knowledge of it.

आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन दे दिया है, उस पर अध्यक्ष महोदय उचित निर्णय लेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसको स्वीकार नहीं किया गया है। मैं तो यह निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि चेयर की तरफ से आदेश मिलना चाहिये। हाउस एडजोर्न होने बाद नहीं पहले मिलना चाहिये। अगर यह मसला एतराज काबिल है तो मैं इसको छोड़ता हूं।

दूसरा मसला यह है कि इस एप्रोप्रियेशन बिल द्वारा १ अरब ५२ करोड़ रुपये के करीब खर्च करने की मांग की गई है। मै आपसे अर्ज करना चाहता हूं सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी जिसको आप बनाने की कहते हैं तो हमें देखना यह है कि इस सारे रुपये में से कितना परसेन्ट रुपया जो एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर रहे हैं उसको वित्त मंत्री महोदय देख लें। इस रुपये का ५४ परसेन्ट रुपया आप एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर रहे हैं मैं इस सम्बन्ध में एक डिपार्टमेन्टल की मिसाल देना चाहता हूँ कि हमारा पैसा किस प्रकार खर्च होता है। पिछली दफा वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा हो रहा है उसमें सवा करोड़ रुपये की बचत करेंगे। जब उन्होंने इसका स्टेटमेन्ट हाउस में रखा तो उसमें बताया गया कि वे डेढ़ करोड़ की बचत नहीं कर पाये और आगे भी नहीं कर पायेंगे। ऐसे कितने ही विभाग हैं जिनको आप बिलकुल समाप्त कर दें तो भी आपकी स्टेट का काम चल सकता है।

जैसे मैं एक विभाग के आंकड़े रखना चाहता हूं। सहकारिता का विभाग है और उसका बजट है ६४-६५ का ७७ लाख ३६ हजार का। इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करते हैं उसको कम कर दें तो बहुत रुपया बचाया जा सकता है। इसमें सिर्फ यहां के डाइरेक्टर के ऑफिस पर एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है ६ लाख २५ हजार और जिलों में २२ लाख २१ हजार। तो ७७ लाख का सारा विभाग का बजट है और उसमें से २७॥ लाख रुपया आप केवल खर्च करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर। क्यों साहब? ऐसे विभाग को क्यों जिन्दा रखना चाहिये। कोई जरूरत नहीं है। और इसका काम क्या है? रुपया डिस्ट्रिब्यूट करना। बैठकर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हों तो भी समझें ठीक है। केवल ६ लाख ५५० रुपया मार्केटिंग

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सोसायटीज सेन्ट्रल बैंक, सहकारी समितियां कर्मचारी प्रशिक्षण समितियों को बांटते हैं। इसके अलावा दूसरी छोटी सहकारी समितियों को अनुदान है ३१ लाख १७ हजार का। तो डिस्ट्रिब्यूशन पर अगर आप २७॥ लाख रुपया खर्च करें तो इसकी जरूरत नहीं है। पहले भी मैंने राय दी थी और आज भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को राय देना चाहता हूं कि इस विभाग को मर्ज कर दिया जाना चाहिए आपके विकास विभाग में और यह २७॥ लाख खर्च को बचाया जाना चाहिये।

दूसरा विभाग है समाज कल्याण विभाग वह भी धर्मादा का है जिसमें धर्मादा बांटा जाता है। इसकी भी जरूरत नहीं है।

तीसरा है सोशयल वैलफेयर विभाग। इसको आप मर्ज कर दीजिये एजुकेशन विभाग में जहां तक एजुकेशनसे सम्बन्धित हिस्सा है, वहां तक उसमें, और जहां तक पंचायत समिति और डेवलपमेंट से सम्बन्धित हिस्सा है वह उसमें मर्ज कर दें।

इस तरह से तीनों विभागों को हटा देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का आपका १ करोड़ ३६ लाख रुपया बच जाता है अगर फाइनेन्स मिनिस्टर और मुख्य मन्त्री महोदय वास्तव में चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम हो तो मैं सही और सच्ची बात बता रहा हूं। अगर वे इसे नहीं बिठा सकते हैं तो मेरे से राय लें, मैं इसे बिठाकर बताऊंगा कि किस तरह से अफसरों का और एडमिनिस्ट्रेशन का यह खर्चा बचाया जा सकता है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : इधर आ जाइये तो अच्छा है मौका आ जावेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं उधर आऊं या न आऊं, आप तो सही राय मानने की कोशिश करिये। मैं इधर ही बैठकर आपको सब बता दूंगा।

मैंने एप्रोप्रियेशन बिल देखा तो हैरत मुझे इस बात की है कि सरकार कहती है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ावेंगे, समाजवाद लावेंगे, पर कौनसा समाजवाद ? कौनसा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ावेंगे ?

इर्रिगेशन में पैसा कम कर दिया। पंचायत समितियों को दिया जाने वाला पैसा कम कर दिया। इर्रिगेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गांवों में रहने वाले बढ़ाते हैं। जयपुर, जोधपुर या अजमेर वाले नहीं। वहां तो आपने पैसा खर्च अधिकाधिक करने की तजवीज की है। बजट में बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में खर्च करने की बात है, पर जब तक गांवों में किसान के लिये आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा।

पूंजीपतियों को आप करोड़ों रुपया देते हैं और बाद में जाकर राइट ऑफ भी कर देते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे पैसे की क्या सिक्योरिटी है ? विजयनगर के अमर मिल में आपने पैसा दिया। वह बन्द पड़ा है। जितना पैसा दिया है उसमें से एक पैसा भी वसूल होने वाला नहीं है। मिल में जो लोहा है मशीनों का उससे उसका एक अंश भी नहीं मिल सकेगा।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

पर चूंकि वे एक कृपा पात्र सेठ हैं भीलवाड़े के इसलिये उनको दे दिया । •उनको आप लाखों रुपया देना चाहते हैं। उनको फिर वूलन कारखाना खोलने के लिये प्रोमिज कर रहे हैं रुपया देने के लिये ।

मैंने हाउस में ये सब बातें रखी हैं और अपोजीशन से रक्खी हैं। पर इसलिये नहीं रखीं कि मुझे विरोधी पक्ष में होने से ही कोई विरोध है इस सरकार से, इसलिये रक्खी हैं कि मेरे दिल में टीस पैदा होती है हमारे राज्य के लिये, उसके पैसे के लिये। आपने सात करोड़ से ज्यादा पैसा राइट ऑफ कर दिया है और पता नहीं हर साल कितना आप अपने बजट में राइट ऑफ करने की बात करते हैं। करोड़ों रुपया आप इन कैपिटेलिस्टों को उधार देते हैं। कहते हैं इन्डस्ट्रियलाज़ेशन करना है, औद्योगिकरण करना है राजस्थान का।

अपना पैसा दूसरों के हाथ में देकर आप औद्योगिकरण क्यों करना चाहते हैं ? अपने स्टेट लेवल पर अपने पैसे से आप स्वयं अपने कर्मचारियों से क्यों नहीं करवाते ? जब बात आती है तब आप यह कहने से कभी नहीं चूकते कि आपकी सर्विसेज़ बड़ी एफीशियेन्ट है, बड़ी एफीशियेन्सी से काम करती हैं। तो फिर क्या बात है ? क्यों नहीं आप अपना पैसा उनके हाथ में देकर औद्योगिकरण करते हैं और क्यों नहीं उनके मार्फत पैसा खर्च कराकर उनकी एफीसियेन्सी का नमूना हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं ? आप राज्य की जनता के सामने अपनी सर्विसेज़ की एफीशियेन्सी का नमूना रक्खें।

पर लोगों ने आपकी और आपकी मशीनरी की एफीसियेन्सी तो रोड़ वेज में और पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण में देख ली । जो कुछ थोड़ा बहुत ठीक काम पहले होता था उसको भी बरबाद कर दिया। ऐसे अफसरों को आप धन देकर कहते हैं कि ५४ पर्सेन्ट बजट का पैसा हम खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया में कहीं ऐसी स्टेट नहीं होगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन में इतना खर्चा होता है जितना यहां होता है। फिर गौरव से कहते हैं हमारा बड़ा एफीशियेन्ट स्टाफ है ।

५८ साल में रिटायर करने की बात आपने की है। महरबानी करके बड़े बड़े आदमियों को बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो हैं उनको ५५ साल में कर दीजिये। जो ज्यादा तनख्वाहें पाने वाले हैं उनको, अधिक अच्छा तो यह हो, कि आप कम्पलसरी रिटायरमेन्ट दे दें ५५ से पहले ही और जो योग्य चैप हैं उनको आगे आकर अपनी योग्यता को बताने का अवसर दें। इससे एफीशियेन्सी बढ़ेगी, वर्ना जैसे एक आपके साथी ने कहा कि यह उदयपुरवाद और मेहतावाद नहीं चलेगा; आपको इस उदयपुरवाद को समाप्त करना पड़ेगा।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of order, Sir, मैंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्दर यह लिखकर दिया था कि मैं जेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिये मुझे भी कुछ अवसर बोलने का दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

श्री अब्दुल जब्बार : मैंने फिर रिवाइज्ड रिक्वेस्ट की है ; आपको फिर लिख कर दिया है। मैं मुख्तसर जेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : १२.४५ हो चुका है।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका था कि मैं मुख्तसर बोल लूंगा और जितना वक्त इसमें निकल गया है उतने में तो मैं कह चुका होता।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the hon. Members not to insist on their own opinion only. You must be able to adjust with the Chair.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : केवल ५ मिनिट ?

श्री अब्दुल जब्बार : We are ready to adjuset with Your Honour.

श्री उपाध्यक्ष : I try to adjust with every Member according to convenience, but it is not that what the hon. Member likes should always be done.

श्री अब्दुल जब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना कह देना चाहता हूँ...........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order.

(दो-तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए, शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अब्दुल जब्बार : मैं विश्वास से कहता हूँ कि मैं अधिक नहीं बोलूंगा। इतना कहना चाहता हूँ कि जो सरकार दावा करती है कि वह इन्सानियत को जिन्दा रखना चाहती है वह इन्सानियत जेलों में दम तोड़ रही है। यह मैं बताऊंगा। ....मुझे सदन में यह बताने की इजाजत दें।

जेलों में वह इन्सान, जिसको सुधारने के लिए कहते हैं उनकी आत्माएं रो रही हैं। भूतपूर्व होम मिनिस्टर जानते हैं कि उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। जेल से पत्तों के बजाय लकड़ियां........ब्लाक कर दिया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य और पहले भी यहां मुख्य सचिव के बारे में बाल भारती को लेकर एक यह प्रश्न उठाया गया था कि वह बिना पर्मिशन के इसमें किस प्रकार से हिस्सा ले रहे हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, ऑल इन्डिय सर्विस। रूल्स जो कि आई. ए. एस. पर लागू होते हैं उसमें उनके लिए जो रिलेवेन्ट रूल है उसको मैं इस सदन के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उसमें यह लिखा गया है :

Provided that a Member of the Service may take part in the registration, promotion or management of a co-operative society registered under the Co-cperative Societies Act, 1912 or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act. यह ऑल इन्डिया सर्विस रूल्स जो आई०

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ए० एस० सर्विस के होते हैं और उनके ऊपर लागू होते हैं और उन रूल्स के अनुसार चीफ सेक्रेटरी जो कि इस बाल भारती के बोर्ड के मेम्बर हुए उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे गवर्नमेंट से पर्मीशन पहले सीक करते और इस धारा के अन्तर्गत वे उसके मेम्बर बने और मेम्बर बन करके इन्सटीट्यूशन में काम करना शुरू किया ।

दूसरा सवाल यहां पर अभी यह उठाया गया था कि इस संस्था ने एडवर्टाइज़मेंट वगैरह में काफी धन इकट्ठा किया और उसमें उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया । मैं सदन की जानकारी के लिए इतना बता देना चाहता हूँ कि जो एडवर्टाइज़मेंट्स इसमें आये हैं उनकी तादाद सब मिलाकर ५२ है और कोई भी एडवर्टाइज़मेंट ५०० रुपये से ज्यादा का एडवर्टाइमेंट नहीं है । अगर इसकी पोज़ीशन का मिसयूज़ या दुरुपयोग बतायें तो एक इन्सटीट्यूशन के लिए ५०० रुपये का सिर्फ एडवर्टाइज़मेंट एक पार्टी से लेने की बात आई और उसमें भी कलकत्ता के ज्यादा-तर लोग हैं कि जिन्होंने इसमें एडवर्टाइज़मेंट दिया है । इसलिए मैं यह समझता हूं कि इसमें मेक्सीमम ५०० रुपये से ज्यादा एक भी व्यक्ति का एडवर्टाइज़मेन्ट नहीं है उससे यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि कोइ पद का दुरुपयोग करके हजारों लाखों रुपये किसी पार्टी से लेने की बात इसमें आई हो ।

दूसरे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह कहा गया....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पर्मीशन के बारे में कहा, इसमें तो वर्ड ऑकेज़नली है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह इसमें काम कर सकते हैं, उनको पर्मीशन की जरूरत नहीं है । जो मैंने पढ़ा ऑल इन्डिया सर्विस रूल्स, उसके अनुसार ऐसा कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उसमें वर्ड 'ऑकेज़नली' है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसका प्रोवीज़ो, मैंने सारा का सारा पढ़ कर सुनाया है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मकान के बारे में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी ने जो कि सड़क पहले नहीं थी उस सड़क को बनवाया और बना कर के २ या १।।। रुपये में उस प्लॉट को विशेष तौर से रियायत में ले लिया । मैं समझता हूं कि जयपुर के रहने वाले और जिनको जयपुर से जानकारी रही है सब जानते हैं कि कुछ अर्से पहले जयपुर में सभी व्यक्तियों को अलॉटमेंट प्लाट्स का हुआ करता था । आक्शन का सिस्टम ही जयपुर में नहीं था । अभी कुछ दिनों पहले जब कि यह बात सामने आई कि जो प्लाट्स २ रुपयें में दिये जाते हैं वह लोग १५ और २० रुपये में ट्रान्सफर कर देते हैं । तो इनकम ग्रुप्स के अन्दर हमने यह डिवाइड किया कि जो कम इनकम वाले हैं उनको अमुक रेट पर दिया जाये और ज्यादा इनकम वालों को दूसरी रेट पर और हायर इनकम ग्रुप वाले आक्शन से लें । इनको जिस समय अलॉटमेन्ट किया गया उस समय यू. आई. बी. अलॉटमेन्ट के रूल्स

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फोलो करती थी। जिस रेट पर इनको दिया गया सैकड़ों दूसरे व्यक्तियों को भी इसी रेट पर दिया गया। रहा सवाल इस बात का कि सेक्रेटेरियट के पास विशेष तौर से इनके लिए प्लॉट बनाया गया तो जो 'सी' स्कीम बनी थी। 'सी' स्कीम बनने के समय इस जगह प्लॉट पहले से ही निर्धारित किये गये थे और सड़कें बाद में बनादी गयीं, तो सड़कों का भी प्रावधान था तो यह जो भी प्लॉट दिया गया कोई नये तौर से नहीं 'सी' स्कीम के समय प्लॉट्स की योजना थी और ए. जी. ऑफिस बना और यू. आई. बी. ने स्कीम बनाई....

श्री भैरोंसिंह : यू. आई. बी. ने रेजीडेन्शियल पर्पज़ के लिए यह जमीन रखी थी या दूसरे इन्सटोट्यूशन्स के लिए थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जब कि पहले स्कीम बनी थी और अमुक प्लॉट्स दिये जा सकते हैं। उन प्लॉट्स के तय करने के बाद में इन्होंने एप्लाई किया और अलॉट हो गया।

श्री भैरोंसिंह : पहले रिज़र्वेशन किसके लिए था ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अभी भी ए. जी. ऑफिस उस जमीन के लिए क्लेम करता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यहां प्लाट्स बनाने की योजना थी और 'सी' स्कीम बन जाने के बाद फिर यू. आई. बी. ने वहां पर प्लाट्स डिवाइड किये और उनको एप्लाई करने के बाद में अलाट किया गया। हां, रिलेवेन्ट इश्यू यह हो सकता है कि दूसरे आदमियों ने जिस कीमत पर ली और चीफ सेक्रेटरी कम कीमत पर ले लेते तो वाजिब हो सकता था, लेकिन प्लेस के बारे में डिस्प्यूट हो सकता है तो गौण प्रश्न बनता है। मुख्य प्रश्न तो यह बनता है कि वहां रहे या दूसरी जगह पर रहे। प्लॉट्स उनको फिक्स कीमत पर अलॉट किया गया और वह रूल्स के अन्तर्गत था और उसी के अनुसार उन्होंने प्लाट वहां लिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप महसूस करते हैं कि कोई पक्षपात नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटेरियट के पास लगी हुई जमीन मिल जाये....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चीफ सेक्रेटरी कोनहीं तो दूसरे को मिलती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसी भी गरीब आदमी को मिलती। लेकिन २२००) रुपये पाने वाले को प्रापर्टी देकर पक्षपात नहीं है तो फिर और क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह उन को नहीं मिलती, दूसरे को मिलती।

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसी भी गरीब आदमी को मिलती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चीफ सेक्रेटरी को यू. आई. बी. अलॉट करती है तो उसमें मैं नहीं समझता कि क्या चीफ सेक्रेटरी को इजाज़त नहीं कि वह एप्लाई कर पाये ? आज कई लोगों ने प्लाट्स लिये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : point of clarification Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं अपना पोइन्ट रख रहा हूँ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं यह जानना चाहूंगा कि जहां मुख्य सचिव महोदय का मकान है वहां पर सरकार का मालखाना बना हुआ है। उसका कोई कम्पेन्सेशन सरकार ने नहीं लिया है, यू. आई. टी. ने नहीं लिया है और उसकी कीमत कोई ३००० रुपये है और ब्यूबेक्स हाउस के कॉर्नर में मौजूद है और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सुबूत है।....

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : वह अब भी गवर्नमेंट प्रोपर्टी है ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस तरह से उनकी कम्पाउन्ड में गवर्नमेंट प्रोपर्टी हो सकती है। उन्होंने अपनी फोरवाल बना ली है, इससे ज्यादा सुबूत क्या हो सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर चीफ सेक्रेटरी उसका यूज़ कर रहा हो या उससे फायदा उठा रहा हो....

श्री मानिकचन्द सुराणा : किस कारण से कम्पाउन्ड वाल बना ली है और अपने कब्जे में ले लिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट प्रोपर्टी रेकॉर्ड में मौजूद है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेकिन उसके चारों तरफ कम्पाउन्ड वाल बनाली है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोलबाजार, जयपुर): गोदाम में जाने के लिए गवर्नमेंट का कोई रास्ता है या नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई रास्ता नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने आपसे निवेदन किया कि इसमें जो रिलेवेन्ट इश्यू आते हैं उनसे अगर हम दूसरी तरफ जायेंगे तो दूसरे पोइन्ट्स रेज़ होंगे। रेज़ यहां पर यह किया गया था कि गवर्नमेंट प्रोपर्टी है वह विदआउट कम्पेन्सेशन उन्होंने ले ली है....

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह आज भी उनके कब्जे में है। उसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है और वह चीफ सेक्रेटरी के अधिकार में है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो आपका चार्ज था, उसका मैंने आपसे कहा कि उन्होंने नहीं लिया है विदाउट कम्पेन्सेशन।

अब आप कहते है कि रास्ते के बारे में क्या है ? यह सेपेरेट क्वश्चन है जो कि आपने अभी उठाया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने अभी कहा कि वह गवर्नमेंट की प्रोपर्टी अभी तक है तो उसमें जाने का रास्ता कौनसा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is a separate question अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट की प्रोपर्टी ले ली है तो वह नहीं ली है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चीफ सेक्रेटरी कोई गरीब आदमी नहीं हैं कि उससे कम्पेन्सेशन तय नहीं हो सका चार साल तक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह क्या जानकारी है ? यह क्या तौर तरीका है माननीय मुख्य मंत्रीजी का ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें । यह एन्क्वायरी करवायेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस बात की जांच करवाई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : वह जांच करवाने का कह रहे हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह किसी सरकारी अधिकारी से जांच नहीं होनी चाहिए । मैं चाहता हूँ कि इसकी किसी डिस्ट्रिक्ट जज से जांच करवाई जाय या हाई कोर्ट के जज से जांच करवाई जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आपने जो प्रश्न उठाया है उसके लिए वे उनकी जानकारी के अनुसार कह रहे हैं ...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उन्होंने चार दीवारी बनाई ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप–मंत्री गृह) : On a point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of order.

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बार बार यह व्यवस्था की है भाषण के सम्बन्ध में कि इन्क्वायरी या इन्फार्मेशन जो कुछ भी हो वह एट दी कन्क्लूजन होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Point of order, Sir.

एक माननीय सदस्य : यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरी व्यवस्था है, उपाध्यक्ष महोदय, only one hon. Member will rise even to ask a question. दोनों व्यवस्थाएं आपने बराबर दी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Let this point of order be discussed first.

श्री मुरलीधर व्यास : यह हमारे साथ अन्याय है कि इस तरह से पोइन्ट आफ आर्डर रेज़ करें ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह उदयपुर वाले उदयपुर वालों की क्यों बात कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, आप उस तरह से कोई भी एलिगेशन लगाते हैं पर्सनल और इन्फोर्मेशन गेदर करते हैं तो मैं नहीं समझता कि इस हाउस में यह सिलसिला कैसे बनता जा रहा है कि जब जवाब देने की बात हो तो बारबार डिस्टर्ब किया जाय....

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब आप जवाब देते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बराबर यह परम्परा बनती जा रही है । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन चीजों के बारे में गम्भीरता से देखना चाहिए

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक तरफ से आप तो कहे जाते हैं तो दूसरे पक्ष को इस बात का अधिकार है कि जो उस मामले में फैक्ट्स हैं रखें। उन फैक्ट्स से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और अगर कोई बात है तो it is a different thing. The facts are before you.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि वह जो गवर्नमेंट प्रोपर्टी है उसके आस पास जो चीफ सेक्रेटरी ने चारों तरफ दीवार खींच दी तो आप स्वयं क्या यह महसूस नहीं करते हैं कि इस प्रकार से प्रापर्टी को घेरने के लिए वाल्स बना दे और उसके बावजूद आप कहें कि वह प्रापर्टी हमारे कब्जे में हैं, हमारे पास में हैं जबकि उसमें आने जाने का रास्ता नहीं है। जब हमने कहा तो इसकी जानकारी करना आपके हाथ में है। आप मुख्य मंत्री हैं और चीफ सेक्रेटरी जो कि जिम्मेदार सबसे बड़ा अफसर है वह सरकारी प्रोपर्टी को घेर ले और उसके बाद में जवाब इस तरह से दें तो मैं नहीं चाहता कि कम से कम आपके मुंह में से इस प्रकार की बात निकले। अगर आप इस तरह से कहें कि अगर सरकारी प्रापर्टी पर घेरा डाला है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए तो हम तालियां बजाकर उसको सुन सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! माननीय सदस्य, आप भाषण दिये जा रहे है। यह कोई व्यवस्था है।

श्री मुरलधर व्यास : सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए उसका यह जवाब मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मै यह चाहता हूं कि प्वाइन्टस आप क्लेरिफिकेशन जो कुछ उठाना है वह पूरा उत्तर होने के बाद में उठायें तो ठीक हो।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : जो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा उसके लिए अर्ज कर रहा हूं कि उनके पास जो आलरेडी प्लाट्स हैं और एक नहीं कई फिर उनको यहां पर किस प्रकार से एलॉट कर दिया गया। एक व्यक्ति के पास ऑलरेडी मकान है, प्रोपर्टी है तो एलॉटमेंट कैसे हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : That is another question.

एक माननीय सदस्य : यह समाजवाद की रूपरेखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : He should reply to this.

श्री उपाध्यक्ष : That is all right. He is just replying. Please hear the hon Minister.

श्री रामानन्द अग्रवाल : We want to know this. Let the hon. Minister reply to this also.

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि एलिगेशन का जो कुछ सम्बन्ध था वह इस बात से था कि वह उन्होंने लिखकर दिया था कि इस गवर्नमेंट प्रोपर्टी को उन्होंने ले लिया उसकी जानकारी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मै उपलब्ध कर सकता था उसके अनुसार मैंने कहा कि आज भी वह गवर्नमेंट प्रोपर्टी है। अब उस प्रोपर्टी में जाने का रास्ता है या नहीं या क्या हुआ, यह बिल्कुल फ्रेश प्वोइन्ट है, यहां पर अभी रेज किया गया है उसकी जानकारी मेरे पास तत्काल नहीं हो सकती है, इतना माननीय सदस्य रियेलाइज कर सकते हैं उसके अन्दर क्या पोजीशन है यह देखना पड़ेगा। हर जानकारी कि कौन सा रास्ता है क्या है यहां पर लेकर नहीं खड़े हुए हैं। इस लिए मेरा कहना यह है कि यह जो प्वाइन्ट आया था उसकी जानकारी की।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी मेटीरियल क्वेशचन अवश्य है। उन्होंने चारों तरफ चहार दीवारी खींची या नहीं। चहार दीवारी खींचने का मतलब है इल्लीगल पजेशन करना। कम से कम आप यह तो कह सकते हैं कि अगर माननीय सदस्य जो बता रहे हैं कि चहार दीवारी खींच ली तो उनका यह ट्रेसपास है, उनका इल्लीगल पजेशन है और उसके बारे में फिर आगे कहते हैं कि कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं। अगर right of ejectmentका क्वेश्चन है तो उसके ऊपर राइट हो सकता है, लेकिन पजेशन उन्होंने ले लिया है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि इल्लीगल पजेशन प्रोपर्टी पर उनका है इसके सम्बन्ध में लॉ जानने वाला कोई भी कह सकता है कि इल्लीगल पजेशन है या नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चहार दीवारी खींच ली तो ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट का मालखाना उसमें है। उसकी चाबियां गवर्नमेंट के पास में हैं। वह गवर्नमेंट के कब्जे में है। आप यह कहें कि पजेशन उनका है तो आप मुझ से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं....

श्री विजयसिंह झाला : माननीय सदस्यों ने चार्ज लगाया था ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : पजेशन चीफ सेक्रेटरी का है।

श्री अध्यक्ष : I think the hon. Members don't want to hear anybody else. Both hon. Members are speaking at the same time.

श्री विजयसिस झाला : माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाया था उसमें यह स्पष्ट कहा था कि चहार दीवारी है। अब माननीय मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आप बताते हैं तो यह प्रश्न नहीं उठता है। सदन में यह जानकारी देनी चाहिए थी कि मुख्य सचिव ने इस प्रकार की चहार दीवारी खींची है वह वैधानिक है या नहीं। इस प्रकार सदन में कहना कि इस प्रकार की सूचना नहीं मिली थी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बहस के दौरान में जो प्रश्न उठाये गये वह कोई भी प्रश्न हो सकता है लेकिन यह तो कोई स्वभाविक नहीं है कि जो भी संबंधित मंत्री हों उनको समग्र राजस्थान की समग्र जानकारी एकदम हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : It hasbeen discussed many times before· यह चीज कई बार डिस्कस हुई है। इस तरह से नहीं कह सकते हैं। सब चीजों की जानकारी आनी चाहिए थी। अब भी मालूम करा सकते हैं, we can wait.

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : १० रोज से बहस हो रही है। इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। All these matters that the Chief Secretary his exploited his official position, are being discussed in the House for the last ten days. You must know. Whatever questions have been raised you shoud have full information about them. You must be vigilant as Chief Minister what the Chief Secretary is doing without our telling you.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please!!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य तो बार बार एक अटेक करने की बातों को लेकर चलते हैं कि आपकी बात को माना जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि इतने फैक्ट दिये गये हैं कि गवर्नमेंट की प्रापर्टी को कब्जे में कर लिया है और जब मैं यह कहता हूं कि प्रोपर्टी उनके कब्ज में नहीं है, गवर्नमेंट के पजेशन में है तो अपनी वीकनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को रियलाइज़ नहीं करते हैं और मुझे दबाने की कोशिश की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी चीफ मिनिस्टरशिप में चीफ सेक्रेटरी इस प्रकार से जमीन ले ले और आप जवाब देने को तैयार नहीं हैं कि चहार दीवारी है कि नहीं, आप जवाब देने को तैयार हैं कि नहीं कि राइट ऑफ इजमेंट हो रहा है। आप उनको शील्ड करना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : No question of shielding.

माननीय उपाध्यक्ष, इसी प्रकार अभी यहां पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि उदयपुर के अन्दर एग्रीकलचर लैण्ड आबादी के तौर पर बेच दी। बहुत से माननीय सदस्यों को यह पता नहीं होगा कि उदयपुर में जब श्री टी० विजय राघवाचार्य की मिनिस्ट्री थी, उनकी गवर्नमेंट थी, जिस वक्त वह प्राइम मिनिस्टर थे वहां पर कम्पेन्सेशन के लिए एक स्कीम उन्होंने वर्क आउट की थी जिसके मुताबिक जिन लोगों के पास एग्रीकलचर लैण्ड हो तो दो–तिहाई गवर्नमेंट के पास लेकर एक–तिहाई उनके पास में छोड़ दी जाय in lieu of Compensation· इसके अलावा कुछ लोगों की पर्सनल बाड़ियां थीं और इस प्रकार की स्थिति के अन्दर मेरे सामने एक आध बार पहले किसी ने कहा था और मैंने जानकारी की, इस प्रश्न को इस सदन में भी उठाया था, श्री मधोक को मैंने भेजा था होस्पिटल की जमीन के सिलसिले में....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of order....

श्री उपाध्यक्ष : You don't allow him to say.

श्री वियजसिंह झाला : मैं पॉइन्ट

Page No. 93

(श्री विजयसिंह झाला)

ऑफ ऑर्डर उठा रहा हूं। बात ऐसी है कि सदन में जो पोइन्ट्स रखे जाते हैं उनके बारे में इन्क्वायरी होती है....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : This is a point of disorder.

श्री भैरोंसिंह : It is not for you to decide.

श्री उपाध्यक्ष : Order please, hon. Members !

श्री विजयसिंह झाला : यहां पर सदन के सामने फैक्ट्स रखे थे और उनके आधर पर मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था। सारे फैक्ट्स जो विधान सभा में रखे, उन सारे फैक्टस पर इन्क्वायरी नहीं बैठाई थी। जो फैक्टस सदन में रखे जाते हैं उनके आधार पर इन्क्वायरी बैठाने की घोषणा की जाती है और उसी आधार पर इन्क्वायरी बैठानी चाहिये थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करदूं कि सारे फैक्ट्स क्या हैं। यह प्रश्न नहीं है कि इन्क्वायरी करते समय क्या कहा जाता है। यहां यह कहा गया था कि एग्रीकल्चर लैंड का एक लाख रुपया कंपेनसेशन देकर मेडिकल कॉलेज के लिए ले लिया तब मैंने कहा था कि जांच कराऊंगा कि आया वह आबादी की लैंड थी या एग्रीकल्चर लैंड थी। मैं सूचित करना चाहता हूं कि श्री मधोक ने रेकार्ड और जानकारी के बाद सूचित किया है कि वह आबादी लैंड थी।

श्री विजयसिंह झाला : I challenge. उन्होंने इन्क्वायरी नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको संशय है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): आपको पूरी व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !
(अनेक माननीय सदस्य एकसाथ बोलने लगे)

Order please !

श्री विजयसिंह झाला : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है....

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में विभिन्न व्यवस्था है। अपने रूल्स में इस प्रकार की व्यवस्था है कि यदि आप संतुष्ट न हों तो रूल्स के अन्तर्गत और तरह से प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन यह व्यवस्था के प्रतिकूल है कि आप किसी को बोलने न दें।

श्री विजयसिंह झाला : सदन में जो जानकारी दी गई वह सही नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : सदन में जो बात कही गई उसको गलत समझते हैं तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। आप जितनी जानकारी चाहते हैं वह आ चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या मैंने मुख्य मंत्रीजी को कागज नहीं लिखा था कि आपने सदन में जो आश्वासन दिया था जिन तथ्यों पर जांच कराने का, उन तथ्यों पर श्री मधोक जांच नहीं कर रहे हैं, उसको सीमित करके कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो आश्वासन दिया है उसके अनुसार इन्क्वायरी

(श्री विजयसिंह झाला)

होनी चाहिए ऐसा पत्र मैंने मुख्य मंत्रीजी को लिखा था, क्या वह उन्हें नहीं मिला ? यदि मिला, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको जब मालूम हो गया कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, आबादी लैंड है तो आपने शिफ्ट करना शुरू कर दिया।...

श्री विजयसिंह झाला : I challenge it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You are overlooking the rules.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने इस लिए निवेदन किया कि इस बारे में मेरे सामने जानकारी है कि आबादी लैंड थी और जो कुछ कपेनसेशन पे किया गया चीफ सेक्रेटरी को, उनकी आबादी लैंड थी तो उनको राइट था कंपेनसेशन लेने का। यदि माननीय सदस्य के पास विपरीत फेक्ट्स है एग्रीकल्चर लैंड थी तो मुझे और फेक्ट्स दें मैं एश्योरेन्स देता हूं कि फिर इन्क्वायरी कराऊंगा यदि वे साबित कर दें कि आबादी लैंड नहीं थी।....

श्री विजयसिंह झाला : Point of information, Sir.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मथोक की रिपोर्ट सदन में रख दीजिए, फिर पता लग जायगा कि जांच पूरी हुई है या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पूरी जांच की गई है।

श्री विजयसिंह झाला : कोई विटनेस नहीं लिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने विटनेस देने से इन्कार कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : आप रिपोर्ट हाउस की टेबल पर रख दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कहीं न कहीं किसी को बेस रख कर चलना पड़ेगा लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अगर एग्रीकल्चर लैंड का ज्यादा कंपेनसेशन दिया होता तो जिसको दिया होता वह भुगतता। यहां किसी को डिफेन्ड करने का सवाल नहीं है लेकिन जो फेक्ट्स सामने आते हैं उनकी जांच करके आपको बता देते हैं।

दूसरी बात एग्रीकल्चर लैंड भीलवाड़ा में एलॉट करने के बारे में कही गई। जहां तक रूल्स का सवाल है, रूल्स बहुत क्लीयर है। जागीरदार होने के कारण उनको जमीन वहां एलॉट की गई जिसका उनको अधिकार है। उनके लड़का नहीं है इसलिये लड़की या और किसी के नाम किया तो that is all within the rules and there is nothing illegal in it.

श्री मानिकचन्द सुराणा : सीलिंग का प्रावधान आने के बाद किया या पहले किया, प्रश्न यह है ? आप गैर कानूनी नहीं होने की बात कहते हैं, रूल्स को पढ़ेंगे नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसे और जागीरदारों को जमीन एलॉट की है उसी तरह से इनको भी की है। जब सीलिंग का कानून आयेगा और जिस तरह से वह दूसरों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर लागू होगा उसी तरह से इन पर भी लागू होगा, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। जो पी. एज़. के बारे में कहा गया....

श्री मानिकचन्द सुराणा : टीनेन्सी एक्ट के नीचे जब से सीलिंग का प्रावधान आया है तब से ट्रान्सफर्स नल एन्ड वोइड हैं। इसके बाद में इन्होंने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर किया हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यदि नियम के विरुद्ध करेंगे तो कार्यवाही उनके विरुद्ध की जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कौन करेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट।

श्री भैरोंसिंह : कौन ऑफिसर करेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कलेक्टर है, दूसरे ऑफिसर्स हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप हाई कोर्ट जजेज़ से करवाइये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रूल्स के अन्दर में जो कुछ किया जा सकता है that will be done.

एक माननीय सदस्य : हम तो आप को मदद कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको किसी बात पर संतोष नहीं है तो half an hour discussion raise कर सकते हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अन्य व्यवस्था से हमें क्या करना है, हम तो इस हाउस में चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के अन्तर्गत ही कोई बात हो सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह बहुत सीरियस बात है। चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह से बोल रहे हैं; जैसे वे चीफ सेक्रेट्री से hand and gloves हों।

श्री उपाध्यक्ष : That is a different question.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं और निवेदन करूं, यह भी कहा गया कि होम सेक्रेटरी की लड़की की मैरेज में गवर्नमेंट फोटोग्राफर ले जाया गया, मैं निवेदन करूं कि फोटोग्राफर गद्दी में गया ही नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फोटोग्राफर गया है, मैं फोटो पेश कर सकता हूं। मैं सुबूत दिलवा दूंगा कि फोटोग्राफर वहां गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह इन्फोर्मेशन मुझे डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स द्वारा दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनके खिलाफ तो जाच करवाते आपको पांच साल हो गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके पास

Page No. 96

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और दूसरे फेक्ट्स हो तो दें, definitely look into it-

मेरे पी.ए. और सी.एस. के पी.ए. के बारे में कहा गया....

श्री विजयसिंह झाला : मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहा हूं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पहले कह लूं, उसके बाद करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने किसके खिलाफ इन्क्वायरी करके एक्शन लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जरूरत पड़ी है तो एक्शन लिया हैं, बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ सख्ती, जरूरत पड़ने पर, की जाती है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई विधायक यहां पर फेक्ट्स रखे उनके आधार पर मुख्य मंत्री इन्क्वायरी कराने का आश्वासन दें, उसके अनुसार जो इन्क्वायरी हो, उसके अन्तर्गत एक विधायक का स्टेटमेंट हो, उस इन्क्वायरी के दर्म्यान स्टेटमेंट लिया जाय। उसमें विधायक यह कहे कि चूंकि विधान सभा में विधायक ने जो फैक्ट्स रखे थे और मुख्य मंत्री ने जिनके आधार पर जांच करने की घोषणा की थी, उसके अनुसार जांच नहीं हो रही है, इसलिए उस आधार पर जांच करनी चाहिए। इसलिए यह एक व्यवस्था का प्रश्न है कि मुख्य मंत्रीजी घोषणा करें, उसके अनुसार इन्क्वायरी न हो और उसके अन्दर विधायक का स्टेटमेंट हो, उसे चैलेंज किया जाय तो दरअसल में क्या होना चाहिए ? इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था तो हो चुकी है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जनरल बहस में, एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर जो बहस हो उसमें जो फेक्ट्स लाये जायं, उनके बारे में जितनी जानकारी सरकार को हो तो जो जनरल पॉलिसी के प्रश्न उठाये जायं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के प्रश्न उठाये जायं इत्यादि इत्यादि-उनका उत्तर सरकार द्वारा दिया जाता है। जो खास तौर पर एलीगेशन्स होते हैं उनका यथासाध्य उत्तर दिया जाता है। लेकिन यदि तथ्यातथ्य से कहीं माननीय सदस्यों को संतोष नहीं होता है-तो उसके विषय में विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं, और तरह के प्रावधान हैं, half an hour discution raise. करना इत्यादि इत्यादि, उनके अनुसार विवाद उठाये जा सकते हैं। इस प्रकार कार्यवाही को निलम्बन करके उत्तर न दे सकने की परिस्थिति बनाई जाय-यह सदन की व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं इसलिए पोईन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहा हूं....

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : मतलब यही है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि सदन

(श्री भैरोंसिंह)

के माननीय सदस्य किसी पर्टीक्यूलर पर्सन पर एलीगेशन लगाते हैं और सरकार उनकी जांच करती है और जांच के तहत एलीगेशन सही नहीं होते हैं तो रूल्स के अन्दर व्यवस्था यह है कि एलीगेशन्स लगाने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव किया जा सकता है, क्योंकि उसने सदन को गलत सूचना दी है। इससे बाहर कोई तरीका नहीं हो सकता। अब माननीय मुख्य मंत्री के मुंह से निकल जाय गलत-और उस गलत शब्द का यूज करके प्रिविलेज मोशन मूव करें, तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जो एलीगेशन लगाये हैं, उसके बेसिस पर जो घोषणा की है इन्क्वायरी करने की, उसके अनुसार इन्क्वायरी करें और उसके बाद इन्क्वायरी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय ताकि सदन अन्दाज लगा सके कि मुख्य मंत्री कह रहे हैं, वह सही है या सदन में जो एलीगेशन्स माननीय सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी के साथ लगाये हैं और उनको प्रूव करने के लिए तैयार हैं, वह सही हैं। यह एलीगेशन्स लगाना और सरकार की तरफ से कहना-गलत है-मैं समझता हूं सदन में गलत परम्पराओं का निर्माण करना है। मैं समझता हूं, एलीगेशन्स के सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी करने के डिक्लेरेशन किये जायं और जो जांच हो उसको सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में सही परम्परा स्थापित करना या गलत परम्परा स्थापित करना-यह माननीय सदस्यों का सामूहिक अधिकार है। वैसे पर्सनल एलीगेशन्स के विषय में २७३ रूल आता है उसके अनुसार माननीय सदस्य अध्यक्ष को तुरन्त सूचना देंगे कि पर्सनल एलीगेशन्स लगाना चाहते हैं ताकि जो पर्सनल एलीगेशन्स लगाये जाते हैं उनके विषय में जितनी जानकारी सरकार को हो, वे दें। और अगर बीर बार उसको चैलेंज किया जाय और उसमें उधर से पूरी जानकारी किये बिना झूंठ सच इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रश्न यह नहीं है।

उपाध्यक्ष : इसलिए मैं यह विशेष निवेदन करता हूं कि यदि माननीय सदस्यों को संतोष न हो उत्तर से या किसी तथ्यातथ्य की गुत्थी में इधर से झूंठ शब्द का प्रयोग हो तो उस पर सीधा विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो जाय-ऐसी बात समझ में नहीं आ सकती, यदि उसके अन्दर माननीय सदस्य को संतोष नहीं है तो इसमें और प्रावधान हैं जिनके अनुसार और भी उसके ऊपर डिस्कशन रेज़ किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्कशन रेज़ नहीं करना है। आज मुझे कौन रोक सकता है, यदि मैं विजयसिंह झाला या झालावाड़ से आये हुए माननीय सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार प्रश्न मूव करना चाहूं ?

श्री उपाध्यक्ष : इतना सहानुभूतिपूर्ण वातावरण हमेशा ही रहा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसमें सहानुभूति का प्रश्न नहीं है, वैधानिक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां की व्यवस्था दुर्व्यवस्था में न बदले, इतना प्रश्न है।

श्री विजयसिंह झाला : दुर्व्यवस्था का और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वैधानिक प्रश्न है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने व्यवस्था दी है कि हमारे रूल्स के तहत ऐसे प्रावधान हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था नहीं दी है, यह क्लेरिफिकेशन दिया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह क्लेरीफिकेशन दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने कई बार फर्माया है कि half an hour discussion raise किया जा सकता है........

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह नहीं कहता हूँ। मेरी तरफ से सजेशन नहीं है कि half an hour discussion raise किया जाय या न किया जाय, मैं कहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत उस विषय पर विवाद रेंज किया जा सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस प्रकार का कोई प्रावधान हमारे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में नहीं क्योंकि half an hour discussion raise करने के लिए आवश्यक है कि किसी क्वेश्चन के जवाब में सरकार की तरफ से कोई बात कही गई हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक कोई क्वेश्चन नहीं हो, उस पर रिप्लाई नहीं आया हो तब तक half an hour discussion नहीं मांगा जा सकता। इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हाफ अवर डिस्कशन का या one hour discussion का रूल है, उस पर तवज्जोह दें........

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार के रूल्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : कोई है नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अगर हाउस में डिस्कशन हो चुका है तो रूल्स के तहत half hour या one hour की बहस नहीं मांगी जा सकती। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस पर सरकार जानकारी दे, पूर्ण तथ्य हैं वे दें और जवाब दें। या कहीं पूरे तथ्यों की जानकारी न हो तो यह कहें कि हम पूरी जानकारी करके जवाब देना चाहते हैं और पूरी जानकारी करके जवाब दें। लेकिन जब यह कहते हैं कि पूरी जानकारी है और जांच करने के लिए तैयार हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप उस विषय का क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है कि क्वेश्चन पुट अप किया जाय। हम सरकार को फेक्ट्स लाकर देते हैं ताकि सरकार जांच करे। हम मांग करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाय क्योंकि उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं तो आप उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते। चीफ सेक्रेटरी साहब इन्क्वायरी भनोत साहब से करायें, वे सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चीफ

Page No. 99

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सेक्रेटरी का भनौत में इन्ट्रेस्ट नहीं था....

श्री मानकचन्द सुराणा : किसमें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कि भनौत साहब इन्क्वायरी करने जायं। आप भूल रहे हैं।

श्रीमानिकचन्द सुराणा : आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं। पहले वाले में चीफ सेक्रेटरी इन्ट्रेस्टेड नहीं थे, उदयपुर वाले में थे। मैंने निवेदन किया कि उदयपुर में एग्रीकल्चर लैंड को रेज़िडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया और पट्टा दे दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिस्कशन रेज़ करना चाहें तो रूल्स के तहत कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी व्यवस्था के ऊपर दूसरी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि किस रूल के तहत आप फर्माते हैं कि इन क्वेश्चन्स को हम हाउस में एजीटेट कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके उसक पट्टा कब दिया गया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आबादी लैंड में उन्होंने जमीन को कन्वर्ट कर दिया, जिसका मैं हवाला दे रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कब दे दिया गया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे पास सर्टीफाइड कॉपी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कब दिया गया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप हाई कोर्ट के जज से जांच करायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके आबादी लैंड का पट्टा दिया गया। आप इतना बता दें कि उस एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके आबादी लैंड का पट्टा कब और किस तारीख को दे दिया गया ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तो तारीख दे दूंगा। मेरे पास सर्टीफाइड कापी है। आप यह बता दें कि हाई कोर्ट के जज से जांच करायेंगे या नहीं। आप जांच करायेंगे नहीं और मुझसे सर्टीफाइड कॉपी ले लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इससे साफ हो जायगा। आप बता दें तो जांच करने में सहूलियत हो जायगी, आपका कहना सही है या नहीं। यह बात साफ हो जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पिछले चार सालों में कन्वर्ट किया गया है। मैं कॉपी दे दूंगा। लेकिन मैं यह व्यवस्था चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप सुनें तो। जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि विवाद का प्रश्न किस रूल के अन्तर्गत उठाया जाय। मैं माननीय सदस्य का ध्यान रूल्स में चेप्टर १४ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं........

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल(बयाना): ठीक है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : किसी भी पब्लिक इम्पार्टेन्स के मामले पर डिस्कशन उठाया जा सकता है। आपको संतोष न हो तो आप उसके अन्तर्गत उठायें।

सदन का समय समाप्त होने जा रहा है, क्या सदन की मन्शा है कि जब तक एप्रोप्रियेशन बिल पास न हो जाय, सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर व्यवस्था नहीं दी, जो माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने प्रश्न उठाया था। इस सदन में किसी एलीगेशन की एन्क्वायरी की मांग की जाय और यहां दिये गये एश्योरेन्स के बेसिस पर गवर्नमेंट कोई इन्क्वायरी करे तो वह उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए ताकि माननीय सदस्य भी रिपोर्ट को देख सकें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथ द्वारा) : कोई इन्क्वायरी नहीं हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर्टीक्यूलर केस की नहीं कहता। मैं कहता हूं कि सदन की स्वस्थ परम्परा के आधार पर, गवर्नमेंट किसी खास सीक्योरिटी मेज़र की वजह से न रखना चाहे तो आपत्ति नहीं, वरना इन्क्वायरी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए ताकि जिन माननीय सदस्य ने एलीगेशन लगाया था वह सही था या गलत था और इन्क्वायरी का नतीजा क्या निकला। इन बातों से माननीय सदस्य अपने आपको सेटिसफाइड कर सकें। आप यह व्यवस्था दें तो सदन के माननीय सदस्यों को मदद मिलेगी और गवर्नमेंट की नीयत भी साफ हो सकेगी।

श्री विजयसिंह झाला : On a point of Order, दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंहजी........

श्री उपाध्यक्ष : एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : इसके साथ में वह भी है।

श्री फूलचन्द जैन : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के अनुसार गवर्नमेंट को बाध्य नहीं किया जा सकता कि कौनसी रिपोर्ट को वह रखे और कौनसी रिपोर्ट को वह न रखे। इसके बाद भी यदि किसी विषय के अन्दर कोई सन्देह रह जाता है तो उसके लिए, जैसा मैंने प्रावधान बताया था उसके अन्तर्गत डिस्कशन रेज़ किया जा सकता है तो सम्भव है, गवर्नमेंट उचित समझती हो तो जिस विषय से जो सम्बन्धित रिपोर्ट है, उसको रख सके अथवा उस रिपोर्ट की जिस्ट दे सके। कई प्रकार के कॉन्फीडेंशियल नेचर के कागजात होते हैं इसलिए उनको सिद्धान्ततः तो यहां पर

Page No. 101

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं रखा जा सकता और न गवर्नमेंट को बाध्य ही किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की रिपोर्ट को रखने के लिए सरकार को बाध्य करने का प्रावधान है। किसी डोक्युमेंट के सम्बन्ध में हाउस में कोई प्रश्न उठाया जावे उसके सम्बन्ध में गवर्नमेंट इन्क्वायरी कमेटी बिठाती है और वह मामला कमेटी को रेफर किया जावे तो हमारे यहां पर ऐसे रूल्स हैं कि उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन से रूल हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो हाउस के प्रिविलेज का प्रश्न है। मुख्य मंत्री रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना नहीं चाहते। अगर वे किसी सिक्योरिटी के लिए रखना नहीं चाहते तो उस बात को गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिये। इसके अलावा यह हाउस सुप्रीम है। इस हाउस में कोई भी डोक्युमेंट रखा जा सकता है और गवर्नमेंट उसको इस हाउस से अलग रखे यह उचित नहीं है। गवर्नमेंट को फुल फेथ होना चाहिये। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उसको यहां रखना उचित नहीं हो तो सरकार को चाहिये कि हाउस को इस संबन्ध में सेटिसफाई करे। अन्यथा इस तरह की तमाम रिपोर्टें सदन की मेज पर आनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि यह जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

श्री मोहनलाल सखाड़िया : अगर कोई समिति सेट अप होती जो कोई दूसरी चीजों पर या पोलिसी मेटर पर रिपोर्ट देने को होती तो वह अलग बात थी। मगर जिस तरह से ओफिसरों के जरिये कुछ केसेज़ की इन्क्वायरी करा लेते हैं और एन्टीकरप्शन के जरिये इन्क्वायरी कराते हैं या और किसी के जरिये इन्क्वायरी करा लेते हैं तो उसको सूचना हाउस में दे देते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं और उनका जो इफेक्ट होता है, उसका जिस्ट यहां कह दिया जाता है। इसलिए यह कहना कि इस प्रकार की परम्परा है जैसा यहां कहा गया कि रिपोर्ट आनी चाहिये, मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं होगी।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था का भी प्रश्न है कि श्री भैरोंसिंहजी ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया, मान लें कि कल माननीय सदस्य इन्क्वायरी के दौरान में गलत साबित हों तो कल privilege of peace का प्रश्न आता है और नहीं तो यह सद्भावना टूटती है और हम रूल्स के विपरीत भी........

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो डर है मैं बिल्कुल समझ गया। अगर कोई इस प्रकार का मामला होगा तो उसको पूरी तरह से एग्ज़ामिन करेंगे।

इसके अलावा जो अभी पेपर ले करने की बात कही गई है उसके अन्दर रूल २८८ पिक्चर में आता है। उसका प्रोविज़ो (२) है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा :

"Provided further that where a

(श्री उपाध्यक्ष)

Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

श्री भैरोंसिंह : यह प्रोविज़ो (२) में है लेकिन अकसर यह प्रोविज़ो इस्तेमाल में नहीं आता। यह जिस्ट तो हमारे सामने आया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिस्ट तो हमारे सामने आया लेकिन मधोक साहब ने इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी के दौरान में उन्होंने रेवेन्यू रेकर्ड को एग्ज़ामिन किया होगा किसी के बयान भी लिये होंगे। यदि उनकी रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखा जावे तो मैं नहीं समझता कि पब्लिक सिक्योरिटी को किस तरह से खतरा हो सकता है। पब्लिक इन्ट्रेस्ट में स्टेट की सिक्योरिटी को किस प्रकार का खतरा है, यह मैं नहीं समझ सका; कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट की दुहाई देकर इस सदन में उस रिपोर्ट को रखने से रोका जावे। अगर मुख्य मंत्री यह मानते हैं कि सरकार का दिमाग और नीयत साफ है तो मधोक साहब ने जो रिपोर्ट इस मामले की जांच करके की है और सारे आॅर्डरों को, हाउस की टेबल पर रखने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। It should be made available to this august House, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में व्यवस्था दे चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि अब एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस जारी हो और इसके विषय में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि और भी कोई पॉइन्ट हो तो रूल के अनुसार उठाये जा सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, रूल २८८ के अन्तर्गत जो हमने मांग की है कि डाकुमेन्ट्स सदन की मेज पर रखे जावें इसके लिए इसमें जनरल रूल है कि ऐसे दस्तावेज मेज पर रखे जावेंगे उसके साथ यह भी है कि मंत्रीजी यह बतावें कि उसका पेश किया जाना लोक-हित के प्रतिकूल होगा............

श्री उपाध्यक्ष : यह पहला प्रोविज़ो है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं कहा है। यह मंत्री महोदय को कहना चाहिये कि उसका पेश करना लोक-हित के प्रतिकूल होगा। अब तक गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कहा। जब गवर्नमेंट ऐसी बात कहे तो आप ऐसी व्यवस्था करें तो इस रूल के अन्तर्गत ठीक हो सकता है। अन्यथा यह रूल लागू नहीं होता। अगर कोई ऐसी स्थिति हो तो माननीय मुख्य मंत्री बता दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत से माननीय सदस्यों में इस सम्बन्ध में कन्फ्यूजन हो रहा है। जो माननीय सदस्य कोलायत से आनेवाले हैं उन्होंने मुद्दा उठाया वह दूसरा है। वह यह है कि जो इन्क्वायरी की गई वह एक मसले पर ही की गई और वह पूरी तरह से इन्क्वायरी नहीं हुई। उन्होंने मुझे एक लेटर भी भेजा उसमें यह था कि सारे मामलों की कमेटी इन्क्वायरी करे। मैंने कहा कि मैं जानकारी करूंगा। मैंने जानकारी की। और अभी मैंने जानकारी की और बीकानेर से आने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया उसके बारे में जानकारी की और मैं कहना चाहता हूँ कि चीफ सेक्रेट्री के बारे में एग्रीकल्चरल लैन्ड को आबादी लैन्ड में कनवर्शन का कहा गया वह राजस्थान के बनने के बाद कन्वर्शन नहीं हुआ है, ऐसा मुझे कहा गया है। यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं मुख्य मंत्री से एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने शब्दों में इस बात को स्वीकार किया है कि चीफ सेक्रेटरी के पास जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : एक छोटा सा सवाल है। उन्होंने कहा कि उनके पास एग्रीकल्चरल लेन्ड थी और राजस्थान के बनने के पूर्व उसका कनवर्शन हुआ और वह आबादी की जमीन हो गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के अन्दर जो रूल्स हैं उसमें यह प्रावधान है कि किसी सिटी में मकान बनाने के लिये जमीन हो या मकान हो तो उसको कन्सेशनल रेट में प्लॉट नहीं दिया जावेगा। आपके कहने के अनुसार चीफ सेक्रेट्री के पास मकान बनाने के लिए जमीन थी तो उनको अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा किस प्रकार से जमीन दी गई, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो एक बिलकुल ही अलग सवाल खड़ा हो गया है, राजस्थान के किसी शहर में जिसकी जमीन है वह यहां ले सकता है या नहीं, मैं समझता हूँ ऐसे तो सैकड़ों हजारों केसेज हैं जिनमें यू० आइ० बी० ने जमीनें दी हैं, किसी की बीकानेर में है तो यहां दी है, जोधपुर में है तो उसको यहां दी हैं। मैं नहीं जानता कि रूल्स में ऐसी बन्दिश है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : बन्दिश है, मैं बता दू।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रूल्स में इस तरह की रिजिड्नैस है, यह मुझे मालूम नहीं, पोइन्ट खड़ा किया गया है तो इसके बारे में मैंने कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक पोइन्ट खड़ा किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Member please......

श्री मानिकचन्द सुराणा : किसके द्वारा सरकार जांच करवाना चाहती है ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६४ को पारित किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किस बात का प्रस्ताव है ?

श्री बालकृष्ण कौल : एप्रोप्रियेशन बिल पास करने का।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इससे पहले एक प्रश्न और है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन

Page No. 104

(श्री उपाध्यक्ष)

(नं० २) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान एप्रोप्रियेशन नं० २ बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : On a ponit of order sir, पहले वित्त मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा वह वापिस लें ।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): वह मूव ही नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष : That was not allowed by the Chair.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन नं० २ बिल, १९६४ को पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल को पारित करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रीजी ने प्रस्ताव पेश किया है । मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि राजस्थान के जो वित्त मंत्री हैं उनमें इस कर्टसी का अभाव है कि सदन में दो दिन से एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है, वित्त मंत्री उसका दो मिनिट भी उत्तर नहीं दे सके । यह तो सही है कि भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह परम्परा डाली थी । जिस समय भूतपूर्व वित्त मंत्रीजी के सम्बन्ध में चार पांच दिन सदन में वाद विवाद हुआ था उस समय बहस के उत्तर में उनका ५ मिनिट ही भाषण हुआ पर आज वित्त मंत्रीजी ने एक मिनिट भी भाषण नहीं दिया, यह सदन के प्रति डिस्कर्टसी है । चाहे किसी वजह से हो, यदि वित्त मंत्री यह समझते हों कि यदि मैं उत्तर देने खड़ा होऊंगा तो माननीय सदस्य तरह तरह की जानकारी चाहेंगे, उनको जानकारी मैं माननीय सदस्यों को दे नहीं सकूंगा, इस पर सदन में मेरी मखौल उड़ेगी और मेरी स्थिति जो एक वित्त मंत्री की रहनी चाहिये उस तरह की न रह कर उसमें कमी आयेगी, यह समझ कर उन्होंने उत्तर नहीं दिया है या और किसी वजह से उत्तर नहीं दिया है तो यह सदन इस प्रकार के उनके रवैये को डिस्कर्टसी मानता है ।

एक जानकारी मुख्य मंत्रीजी से चाही गई, उसका कोई संतोषजनक उत्तर मुख्य मंत्री की ओर से नहीं दिया गया । इसके पीछे कुछ इस प्रकार के पहलू हैं जो उनके भाषण से स्पष्ट रूप से सदन के सामने आये हैं । मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि इंडियन सर्विस रूल्स के अन्तर्गत कोई भी अधिकारी इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन का सदस्य पदाधिकारी बन सकता है जो समाज में सामाजिक कार्य करती है ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत संक्षेप में कहें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं संक्षेप में ही कहूँगा ।

मैं समझता हूँ इन्डियन सर्विस रूल्स और राजस्थान सर्विस रूल्स इनमें जहां तक सरकारी अधिकारियों के अधिकारों का प्रश्न आता है कोई अन्तर नहीं है । रूल्स में व्यव-

(श्री भैरोंसिंह)

स्था है कि सरकारी अधिकारी ओकेज़नली ऐसे इन्स्टीट्यूशन में काम के लिये जा सकता है उन रूल्स में रोटेरी क्लब का उल्लेख है, इस प्रकार की संस्था का उल्लेख है पर परमानेन्ट रूप से गवर्निग बोडी का सदस्य, वाइस प्रेसिडेन्ट के पद पर रह कर किस पद पर रहने के लिये या सदस्य बनने के लिये आवश्यक है कि उसको सरकार की परमीशन लेनी चाहिये। उन्होंने सरकार से इसके लिये कोई परमीशन नहीं ली है। मैं समझता हूं इस मामले में आप चीफ सेक्रेटरी का प्रोटेक्शन करेंगे, यदि एक दफा इस प्रकार की लीनियेन्सी आयेगी तो निश्चित रूप से सरकारी अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करेंगे।

मुख्य मंत्रीजी ने मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बिना रिकोग्निशन के कैसे जमीन मिल गई ? मैं समझता हूँ आज कोई व्यक्ति बिना रिकोग्निशन के लोन या grant-in-aid ले तो जहां तक रूल्स के प्रावधान का सवाल है, उसके अनुसार लेने वाले की चाहे जिम्मेदारी न हो पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेने वाले चीफ सेक्रेटरी, देने वाला सरकार का सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंट। राजस्थान की प्रशासनिक सर्विसेज के हैड किसी इन्स्टीट्यूशन के वाइस प्रेसिडेन्ट बन कर बिना रिकोग्निशन के जमीन ले, ग्रान्ट इन एड ले और सवा लाख रुपया चन्दा एकत्रित करे, उसके लिये मुख्य मंत्री की प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता नहीं बल्कि एक्शन लेने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा प्रश्न अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के रूल्स के सम्बन्ध में था, इसके रूल्स साफ हैं कि किसी व्यक्ति का कोई मकान जमीन राजस्थान के किसी शहर में है तो उसको कन्सेशनल रेट्स पर जमीन नहीं मिल सकती, मुख्य मंत्री ने भी कई बार इस बात का आश्वासन दिया था। मैं मुख्य मंत्रीजी से केटेगोरीकली आश्वासन चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी ने जमीन ली है तो इस बात को लेकर राजस्थान के मुख्य सचिव के खिलाफ वे एक्शन लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Ramanand Agrawal will speak, इससे पहले मैं कह देना चाहता हूं, कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम १५६ के अन्तर्गत समय पर फाइनेन्शियल बिल पूरा हो जाय इसलिये दो बजे तक का समय निर्धारित करता हूं। इसके बाद इस एप्रोप्रियेशन बिल पर मत लिया जायगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): जब तक एप्रोप्रियेशन बिल पास नहीं हो जाय तब तक के लिये सदन चले, वह समय खत्म हो गया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समय कभी भी निर्धारित कर सकता हूं। रूल्स के अन्तर्गत कभी भी कर सकता हू।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कितना समय दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : विशेष तौर से सी० पी० आई० के रिज़ोल्यूशन के ऊपर स्पष्टीकरण करना चाहते थे, आसन से आदेश दिया गया था इसलिये विशेष रूप से दे रहा हूं।

Page No. 106

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : स्पष्टीकरण करने का तो इश्यू ही नहीं आया ।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, Sir, आपने व्यवस्था दी उसमें एतराज नहीं है; पर पार्टियों के फैसलों पर बहस यहां सदन में हो, यह मुनासिब नहीं है। सी० पी० आई० का रिज़ोल्यूशन वगैरह सब अखबारों में आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope, the Hon. member to speak will just keep it in mind.

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि कोई पर्सनल एलीगेशन किया गया हो और उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करें तो कोई एतराज नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने हम पर एलीगेशन लगाया........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष, आपकी यह रूलिंग हमेशा काम आने वाली है। अब जहां तक पार्टियों के सिद्धान्तों का सवाल है उनके बारे में ये भी कहते रहते हैं, हम भी कहते रहते हैं यह यहीं नहीं सब जगह एक्सेप्टेड है। आज तक एक्स्प्लेनेशन का मौका नहीं दिया। इस तरह की व्यवस्था से तो रोजाना इस तरह के एक्स्प्लेनेशन्स होंगे। जहां पोलिसीज का सवाल आता है, कोई रिपोर्ट रखने का मसला आता है तो कहते हैं कि कोई प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस होते हुए यह प्रश्न खास तौर पर आया कि....

श्री उपाध्यक्ष : Time is very short. Only five minutes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : चीफ सेक्रेटरी के मसले को लेकर पिछले १० दिनों से इस सदन में कितनी ही बार कितने ही रूप में प्रश्न उठे और जो रुख इस बारे में सरकार की ओर से लिया गया और मुख्य मंत्री ने जो जवाब इस बारे में दिया है वह बिलकुल असंतोष जनक है। हम यह चाहेंगे कि मुख्य सचिव के सारे कारनामे हैं उनके ऊपर जांच कराई जाय और इस जांच के लिए हाई कोर्ट के जज के लेवल की कमेटी बैठाई जानी चाहिये। तभी इस तरीके से एक-जो डीमोरलोइजेशन सर्विसेज़ में आता है और यह सरकार के प्रति असंतोष फैलाता है, वह खत्म हो सकेगा। इसके अलावा उपाध्यक्षजी, इस सदन में कुछ चर्चाएं उठाई गई, कुछ पर्सनल एलीगेशन्स मेरे बारे में भी लगाए गए, यह बात कह कर कि अखबारों-में कोई स्टेटमेंट छपा है जिसमें कॉम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन के बारे में कुछ कहा गया था और यह भी कहा गया कि जो सदन में बैठने वाले सदस्य हैं और मेरे बारे में, उनके स्टूज हैं। कई तरह की चर्चाएं की गई। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो भी अखबारों में स्टेटमेंट अभी आया है वह सी. पी. आई का, कम्युनिस्ट पार्टी....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गृह) : आपकी व्यवस्था के विपरीत है ।

श्री उपाध्यक्ष : You will not refer to that.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार से जहां तक हमारा ताल्लुक है वह कॉम्युनिस्ट पार्टी का जो अमृतसर रिज़ोल्यूशन है....

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग) : आसन की व्यवस्था के विरुद्ध आप बोल रहे हैं। आपकी व्यवस्था है कि इस चीज पर नहीं बोलेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात की चर्चा की गई है। नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्सनल आक्षेप किये हैं। मैं समझता था कि सी.आइ.डी. से इस प्रकार का स्टेटमेंट करवाते तो ज्यादा उपयुक्त जगह होती। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन में स्पष्ट होना...

(घंटी)

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : Point of order Sir.

श्री चन्दनमल वैद : There is point of order.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप भी सी.आई.डी के यहां जाकर रिपोर्ट कर दें। यह कहकर किसी माननीय सदस्य के लिए रिफ्लेक्शन न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर मुझे बोलने दिया जाय। Let me say.

श्री फूलचन्द जैन : Point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी पालिसी से सरकार को आगाह रखना चाहिए।

श्री फूलचन्द जैन : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य जिस वक्त बोले उस वक्त माननीय सदस्य ने मांग की थी कि कि समय दिया जाय। मैं समझता हूं कि आसन से व्यवस्था दी गई थी कि इस संबंध में प्रक्रिया के दूसरे नियमों का लाभ उठाया जा सकता है और इस समय इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Now you will not refer to that please.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : He is again referring.

श्री उपाध्यक्ष : There is very little time now.

श्री रामानन्द अग्रवाल : You must check it. आपने इजाजत दी है मुझे कहने की। मेरे संबंध में जो कहा गया उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वह स्टेटमेंट उसके अंदर आया जिसका जिक्र किया गया, वह एक इर्रेसपोन्सीबिल स्टेटमेंट है, कॉन्युनिस्ट पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : यह बिल्कुल गलत बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत और इर्रेसपोन्सीबिल स्टेटमेंट है जिससे न मेरा ताल्लुक है न मेरी पार्टी का ताल्लुक है। उनको स्टूज बनाने की कोशिश न की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री जयकिशन : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : Five minuts.

श्री जयकृष्ण (थानागाज़ी) : एप्रपोएशन बिल पर दो रोज से बहस चल रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने तरह तरह की बातें रखी। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के जो एक माननीय सदस्य थे उनके बारे में यह बात कही कि उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में एक जमीन ली है और उन्होंने वह जमीन आपने भाई और बेटों के नाम से कर ली है। आप इस तरह की गलत बातें कह कर राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं। आपको यह पता है और अच्छी तरह से पता है कि वह जमीन किससे ली है। उन्होंने यदि एक जागीरदार....

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी से भी ली हो, उसको पार्टीशन किया है या नहीं ?

श्री जयकृष्ण : अपनी जोत के लिए....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टीशन किया है या नहीं ?

श्री जयकिशन : वह माननीय सदस्य आपकी तरह कोई दो दो सेल्स टैक्स के बोर्ड नहीं लगा सकते। एक दूकान पर दो तरह के बोर्ड लगाते हो। आप देखना चाहते हैं तो उनकी दूकान पर जाकर देखिए। एक दूकान पर दो बोर्ड मिलेंगे। वह माननीय सदस्य खेती करता है अपने लड़के के नाम से....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टीशन किया है या नहीं ?

श्री जयकिशन : जमीन अपने बच्चों के नाम से कर दी है। उन्होंने उसका रुपया दिया है, रजिस्टर करवाई है। अमरसिंह एक बहुत बड़े जागीरदार थे उनकी जमीन है। दूसरे गांवों में जाकर नहीं ली है। यदि एक कार्यकर्त्ता जमीन लेता है और जीवन निर्वाह करता है तो कौन सा पाप हो गया ? अपने दामन को तो देखो ? आपके पास जायदाद कहां से आई ? आपको आज हमारी तरफ देखना चाहिए। हम जिस सिद्धांत में विश्वास करते हैं, हमने यदि अपनी सरकार से कहा कि आपको आगाह होने की जरूरत है तो क्या हो गया ? आज यदि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ कह दे, यदि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्टीट्यूशन के लिए इस प्रकार की बात कह दे, उसके लिए यदि हमने सरकार को आगाह किया तो बुरी बात नहीं है। आज हिंदुस्तान की डेमोक्रसी खतरे की तरफ जा रही है, आज कॉम्युनिस्ट पार्टी हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र को खतम करना चाहती है। आज हिन्दुस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप कायम करना चाहती है। मैं कॉम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि क्या संसार के अन्दर कोई ऐसा देश है जहां प्रजातंत्र को कॉम्युनिस्ट पार्टी ने पनपाया हो ?

(शोरगुल)

जिन्होंने सत्य बात कही उसको आपने दबाने की कोशिश की। अगर बुल्गेनिन ने सच्ची

(श्री जयकिशन)

बात कही तो गोली का शिकार होना पड़ा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह जिंदा है।

श्री जयकिशन : हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, समाजवाद का बजट प्रस्तुत किया है। आप अवसरवादी लोगों के साथ मिलकर आज इस सदन में आज विराजमान हैं और जागीरदार, जिनके प्रिवी पर्सेज के बारे में आप कहते हैं, जिनकी जागीरों के बारे में आप कहते हैं, यदि वे ही जागीरदार लोग आपका साथ नहीं देते तो आज सदन में आपको बोलने का मौका नहीं मिलता। आपने उनकी मदद की है। इस सदन के माननीय सदस्य बनने के लिए आप उनसे सब तरह के गठबंधन कर सकते हो। आज आप कहते हो कि वे खराब हैं। हमने जागीरदारों को खत्म किया है हमने राजाओं को खत्म किया है....

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

और मौका आएगा तो और कुछ आगे करेंगे। प्रजातन्त्र के तरीके से....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please निर्धारित समय खत्म होता है।

श्री मानिकचंद सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत आवश्यक बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : निर्धारित समय खतम होता है। I am sorry.

श्री बालकृष्ण कौल : दो दिन से जो एप्रोप्रियेशन बिल पर वाद विवाद हो रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का आश्वासन दें कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जो एलीगेशन्स लगाये गई हैं उनकी जांच करने को तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष (वित मंत्री की ओर) : Yes, please.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्र) : यह जो ट्रेन्ड स्पीच का था....

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया....

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of privilege, Sir.

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज उठाना चाहता हूँ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : I have already fixed up time.........

(व्यवधान एवं शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : There can be no time for a point of privilege. It can be raised any time.

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ...

श्री उपाध्यक्ष : It can not be raised at any time according to the chapter on Privilege Motions in our Rules.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, हमारा निर्धारित समय दो बजे तक था। अब दो बज कर १ मिनिट हो गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : The Chief Minister should give an assurance.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! order!!

श्री बालकृष्ण कौल : I will request the Chair, Sir,......

श्री उपाध्यक्ष : मेरी पहले व्यवस्था यह थी कि बिल जब तक पारित न हो जाय तब तक समय बढ़ा दिया जाय। उसके बाद........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह बदल गया।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह व्यवस्था दी थी कि २ बजे मतदान होगा। यह मतदान का समय है इसलिए यह नहीं समझा जा सकता कि समय बिलकुल समाप्त हो गया है। और out of time यह कार्यवाही हो गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : चीफ सेक्रेटरी की इन्क्वायरी कराने के बारे में क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६४ को पारित किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप हमारी बात तो सुन लीजिये। चीफ सेक्रेटरी की इन्क्वायरी क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : चीफ मिनिस्टर महोदय जवाब दें........

श्री उपाध्यक्ष : जो इसके पक्ष में हों वे हां कहे। (हां)

जो इसके विरोध में हो वे नां कहे। (ना)

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is a very serious matter......

चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी की इन्क्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं हैं, वे उनको शील्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमने यह मांग की है कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जांच कराई जाय। आप नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए हम वाक आउट करते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं और मुख्य मंत्रीजी उनको दबाना चाहते हैं इसलिए हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(साम्यवादी, प्रजा समाजवादी, और समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

(मत-विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः प्रश्न रखता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल, १९६४ पारित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज साफ नहीं आयी।

श्री उपाध्यक्ष : Does not matter.

(मत-दान के पश्चात्)

विधेयक पारित हुआ।

मैं सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनाङ्क ३० मार्च, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही २ बज कर ५ मिनिट पर, सोमवार दिनाङ्क ३० मार्च, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

शनिवार दिनांक २८ मार्च, १९६४

स्कम्भ

१. विधायी कार्य-पुरःस्थापित विधेयक १

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ पुरःस्थापित किया।

२. मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य २

मुख्य मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने सदन को सूचित किया कि पंजाब द्वारा लिसाडा ड्रेन के जरिये जो पानी घग्घर में देने की योजना बनायी गई थी, उसमें से अब 'अपर रीचेज़' का पानी चन्द्रभान ड्रेन के जरिये सतलज के अन्दर मोड़ देने का निश्चय किया गया है।

३. उप-मंत्री द्वारा वक्तव्य ३

हनुमानगढ़ में प्रदर्शनकारियों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में उप-मंत्री, श्री निरंजननाथ आचार्य ने एक वक्तव्य दिया।

४. कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं सदन द्वारा उस पर विचार १८

श्री मथुरादास माथुर ने कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया। तत्पश्चात् श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है, सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

स्कम्भ

५. विधायी कार्य-विचारार्थ लिया गया विधेयक राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४. २०

दिनाङ्क २७ मार्च, १९६४ को वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, आज भी विचार किया गया। मुख्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सोमवार, दिनाङ्क ३० मार्च, १९६४ की कार्य सूची

राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६४ पर विचार-विमर्श एवं पारण।

*शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २८ मार्च, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	१	राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) –२८ मार्च, ६४– विधेयक, २९६४ पुरः स्थापन	———
,,	३ व ५	[ ].	———
,,	७	(श्री राममिवास मिर्धा)	(श्री रामनिवाम मिर्धा,
३	शीर्षक	मुख्य मन्त्री द्वारा घग्घर –२८ मार्च ६४– के पामी विषयक यक्तव्य	घग्घर–२८ मार्च, ६४– हनुमान के॰प्रदर्शन कारियों विषयक
४	,,	पामा विषयक	पानी विषयक
५	१	श्री रामान्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
७से९	,,	लाटी चार्च	लाठीचार्ज
७	१०,२९	श्री रामान्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
८	३	श्री रामन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
११	शीर्ष	(श्री मोहनलाल मुखाडिया)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
१५	२१	श्री रामनन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
१६	अन्तिम से ५	श्री हरीराम चौहान	श्री हरिराम चौहान
१७	शीर्षक	हनुमागढ	हनुमानगढ़
१८	२०	श्री मथुरादास माथुर	श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री)
१९	शीर्षक	के	का प्रतिवेदन
२०	शीर्षक	चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	स्थगन–प्रस्ताव
२२	१८	श्री मुरलीवर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
२३	२४	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
२७	शीर्ष	———	(श्री मुरलीधर व्यास)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२६	शीर्ष	(श्री मोहनलाल सुखाडिया)	(श्री मुरलीधर व्यास)
३५	,,	–२८ नार्च, ६४	–२८ मार्च, ६४
,,	१४	श्री गिरधारीलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
३६	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
३७	१४	श्री फतहसिंह	श्री फतेहसिंह
३७	१७	मानसिंह महार	श्री मानसिंह महार
३७	२१	श्री रामानन्र अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
४३	शीर्षक	२८ मार्च, ६३	२८ मार्च, ६४
५६	२	अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
७२	अन्तिम से २	सभाती,	सभापति,
११२	२६	(उपाध्यक्ष)	———
११७	शीर्षक	राजस्था।	राजस्थान
१३६	शीर्षक	राजस्‌ ान	राजस्थान
१५०	शीर्षक	विक्	विधेयक
१५२	१६	श्री उपाध्यक्ष order please	श्री उपाध्यक्ष : order please !
,,	२०	श्री मानिवचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१५५	३	श्री मानिचन्द सराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	अन्तिम से २	श्री मानिचन्द सुराणा	,, ,, ,,
१५७	शीर्षक	(संख्या २ –२८ मार्च,	(संख्या २) –२८ मार्च,
१६३	शीर्ष	(श्री रागप्रद लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
१६५	शीर्षक	–२८ नार्च, ६४	–२८ मार्च, ६४
१६६ से १७०	शीर्षक	वनियोग	विनियोग
१६६	१४	श्री विजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
१७७	शीर्षक	–२८ मार्च ६३–	२८ मार्च, ६४–
१७६	अन्तिम से २	श्री मुरलधर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
१८२	१६	श्री विजयसिंस झाला	श्री विजयसिंह झाला
१८४	अन्तिम	श्री वियजसिंह झाला	,, ,, ,,
१८६	१५	श्री भेरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
,,	अन्तिम से २	श्री उपाध्यथ	श्री उपाध्यक्ष
१६४	१२	उपाध्यक्ष	,, ,,

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१६७	२	श्री मानकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
१६८	अन्तिम से ६	श्री उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१६६	२२	(नाथ द्वारा)	(नाथद्वारा)
२००	शीर्षक	विधेयक, १६६२	विधेयक, १६६४
२०१	अन्तिम	श्री मोहनलाल सखाडिया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२०७	शीर्षक	(सख्या २)	(संख्या २)
२१५	८	श्री जयकृष्ण	श्री जयकिशन
२१८	६	श्री उपाध्यक्ष (;वित्त मंत्री की ओर) :	श्री उपाध्यक्ष : (वित्त मन्त्री की ओर)
,,	११	(वित्तमन्त्र)	(वित्तमन्त्री)

※नोटः— विस्तृत शुद्धि—पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।